

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 4 में अंक 20 से 27 तक)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची
षोडश माला, खंड 4 दूसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)
अंक 25, मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 / 21 श्रावण, 1936 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
^{1*} तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 486	14-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	41
तारांकित प्रश्न संख्या 487 से 500	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4650 से 4879	

¹ किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	42-52
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	53-54

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल संस्थानों की सुरक्षा' और 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें और 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 53

(दो) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डी.ए.आर.ई.), कृषि मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली – एक मूल्यांकन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति की 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री रावसाहेब पाटील दानवे 54

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती अनुसंधान

संस्थान का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री रत्न लाल कटारिया 55

56-57

सुश्री उमा भारती	55-56
	58 -59
सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित	60-62
(एक) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014	60-61
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014	62
नियम 377 के अधीन मामले	79
(एक) असम के शिव सागर जिले में पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण और उनके आरक्षण की आवश्यकता	
श्री कामाख्या प्रसाद तासा	80
(दो) उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार के वित्तीय हिस्सेदारी को जारी किये जाने और राज्य में सहकारी बैंकों के लाइसेंस की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	81

(तीन) महाराष्ट्र में वर्धा और देवली नगरों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तड़स

82

(चार) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हीरा उद्योग के विकास हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी

83

(पाँच) संघ सेवा लोक आयोग की परीक्षा में पाली भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामन नवाशा वांगा

84

(छह) झारखंड में सोन वैली सीमेंट्स लिमिटेड को पुनः चालू किये जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम

85

(सात) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिये उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले

86

(आठ) हिन्दी टंकण के लिए सभी प्रकार के 'फॉन्ट्स' में एक समान की-बोर्ड और हिन्दी आशुलिपि के लिये भी एकरूप चिह्न और संकेतक सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल

87

(नौ) उत्तर प्रदेश में 'राबर्ट्सगंज' संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर 'सोनभद्र' किये जाने की आवश्यकता

श्री छोटे लाल

88

(दस) बिहार के बेगूसराय जिले में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह

89

(ग्यारह) लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन चलाने और इस ट्रेन के आगमन और प्रस्थान समय को पुनर्निर्धारित किये जाने की आवश्यकता

श्री राजीव सातव

90

(बारह) नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सी. महेंद्रन 91

(तेरह) तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री आर. पार्थिपन 92

(चौदह) कोलकाता मेट्रो को पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरुईपुर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता

प्रो. सुगत बोस 93

(पंद्रह) पुणे मेट्रो परियोजना हेतु धनराशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 94

(सोलह) मैथिली भाषा को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश रंजन 95

(सत्रह) केन्द्रीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए बढ़ाए गए शुल्क
को वापस लिये जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 96

नियम 388 के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव 99

संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014

तथा

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 100 -114

117-193

विचार के लिए प्रस्ताव 100-101

श्री रविशंकर प्रसाद 101-114

श्री एम. वीरप्पा मोइली 117-128

श्री एस.एस. अहलुवालिया 129-134

डॉ. एम. तंबिदुरै 134-142

श्री कल्याण बनर्जी 143-151

श्री भर्तृहरि महताब 152 -157

श्री आनंदराव अडसुल 157-159

श्री बी. विनोद कुमार 159-161

डॉ. ए. संपत 161-165

श्री रामविलास पासवान	166-170
श्री धर्मेन्द्र यादव	170-172
श्री राजेश रंजन	172-174
डॉ. अरुण कुमार	174-175
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	175-177
श्री कौशलेन्द्र कुमार	177-178
श्री सी. एन. जयदेवन	178-180
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	180-182
श्री असादुद्दीन ओवैसी	182-184
एडवोकेट जोइस जॉर्ज	184 -185
श्री आर. राधाकृष्णन	185
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	186-187
श्री रविशंकर प्रसाद	187-193

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. एम. तंबिदुरै

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थोमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. के. ग्रोवर

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 / 21 श्रावण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 481, श्री सत्यपाल सिंह

(प्रश्न संख्या 481)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसानों की सब्जियां सुरक्षित रखने के लिए क्या सरकार की कोल्ड स्टोर बनाने की योजना है, जिससे सब्जी मंडी में न बिकने पर उन्हें कोल्ड स्टोर में रखा जाए और वे खराब न हों? कोल्ड स्टोर न होने पर 35-40 प्रतिशत सब्जियां न बिकने के कारण सड़ जाती हैं और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके परिणामस्वरूप सब्जियां महंगी हो जाती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सब्जी मंडियों में कोल्ड स्टोर बनाने की सरकार की अगर कोई योजना है, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है और जिला केन्द्र की मंडियों में यह योजना कब तक पूर्ण होगी?

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, सरकार की कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि मंत्रालय समेकित बागवानी विकास मिशन कार्यान्वित कर रहा है। एम.आई.डी.एच. में शीतगारों सहित कटाई-पश्चात अवसंरचना की ऋण से जुड़ी जितनी परियोजनाएं हैं, उनमें सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35 प्रतिशत और पहाड़ी अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत राज-सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी वर्ष 2008-09 से शीत-श्रृंखला, मूल्यवर्द्धन और परीक्षण अवसंरचना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें दस करोड़ रुपये की आधिकतम अनुदान सहायता के

² प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अध्यधीन सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल निर्माणों की वुल लागत की 50 प्रतिशत दर पर तथा पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में 75 प्रतिशत की दर से राज-सहायता का प्रावधान है। साथ ही कृषि और प्रोसेसिंग गुड्स के उत्पादन एवं निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम अपेडा के नाम से जानते हैं, के जरिए वाणिज्य मंत्रालय निर्यात हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार की एजेंसी को 90 प्रतिशत तक अनुदान-सहायता देता है और 75 लाख रुपये की सीमा के साथ 40 प्रतिशत की राज-सहायता की दर पर गैर-सरकारी निर्यातकों को भी सहायता उपलब्ध कराता है।

श्री सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि सब्जियों को किसान काफी दूर बड़े-बड़े शहरों, मंडियों में बेचने के लिए ले जाते हैं, परन्तु मंडियों में किसानों के ठहरने के लिए किसान-विश्रामालय नहीं होते हैं, जिससे किसानों को रात्रि में मंडी पहुंचने पर विश्राम करने, ठहरने की समस्या होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मंडियों में किसानों के लिए विश्रामालय बनाने की सरकार की कोई योजना है? अगर है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया, मार्केटिंग यार्ड राज्य सरकारें बनाती हैं। माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है। मैं राज्य सरकारों से बात करूंगा और लिखूंगा, ताकि उन मंडियों विश्रामालय बनाए जाएं। किसान अपना उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसकी हानियों का मूल्य क्या है? साथ ही वर्तमान में देश में क्या कोई कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला है? यदि है, तो आवश्यकता और उपलब्धता में अंतर क्या है? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उपरोक्त अंतर का राज्यवार विवरण क्या है और उसके कारण होने वाली हानि कितनी है?

महोदया, वर्ष 2007-2008 में सी.आई.पी.ए.टी.टी. अध्ययन जो किया गया था, उस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर फसलों और पशुधन उत्पाद की हानियों का आंकलित मूल्य यानि आर्थिक मूल्य लगभग 44,143 करोड़ रुपए था। इस रिपोर्ट के अनुसार चयनित मोटे अनाजों में फसलोपरांत हानि 3.9 प्रतिशत से छः प्रतिशत, दलहन में 4.3 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत, तिलहन में 2.8 से 10.8 प्रतिशत की रेंज में पाई गई है। चयनित फलों

और सब्जियों में हानि 5.8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की रेंज में आंकलित की गई है। राज्यवार विवरण हमारे पास है और यह सभा पटल पर रख दिया गया है। उसके अंदर इसे संलग्न कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास तमिलनाडु, विशेषकर तंजावुर में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। यदि कोई प्रस्ताव नहीं है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का इन कोल्ड स्टोरेज की स्थापना में निजी पक्षों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, भारत सरकार की कई योजनाएं हैं और कई राज्य सरकारों की भी हैं। उन गाइडलाइंस के तहत यदि कोई प्रस्ताव आता है, तो निश्चित रूप से तमिलनाडु में भी बनाया जा सकता है।

श्री अक्षय यादव : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज जसवंत नगर और सिरसागंज में स्थित हैं। यह क्षेत्र आलू उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन हर साल यहां पर फसल खराब हो जाती है। इस कारण कोल्ड स्टोरेज में आलू कम पहुंचता है और कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। क्या मंत्री जी ऐसे जो कोल्ड स्टोरेज नुकसान के कारण बंद हो रहे हैं, उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद देकर चालू रखेंगे और जो बंद हो गए हैं, उन्हें सब्सिडी देकर पुनः चालू करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंह: यह बात सही है कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में सब्सिडी दी जाती है। इस समय देश में 6,890 कोल्ड स्टोरेज हैं और उत्तर प्रदेश में 2176 हैं। हम इनके निर्माण में सब्सिडी देते हैं। अभी एक नई व्यवस्था की गई है कि कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों को टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग के लिए राज सहायता का प्रबंध किया जाए, जिससे उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि नुकसान कम हो।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : अध्यक्ष महोदया, कृषि इस देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र और आधार है। प्रत्येक वर्ष सब्जियों सहित तीस प्रतिशत कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते हैं और किसानों को नुकसान होता है। यदि सरकार हर जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाने पर विचार करें, तो वह किसानों को होने वाले नुकसान की राशि से भी इनका निर्माण करा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की ओर से देश के प्रत्येक जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाने या राज्यों के साथ लागत साझा करने की कोई योजना है?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की भी कई योजनाएं हैं। जैसे भारतीय खाद्य निगम भी गोदाम बनाता है और किराए पर भी लेता है। इसी प्रकार से सीडब्ल्यूसी और राज्य सरकार के एसडब्ल्यूसी के भी गोदाम हैं। इस योजना के तहत किसी भी जिले में कोई भी उद्यमी गोदाम बनवा सकता है।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: मेरा प्रश्न विशेष रूप से जिलेवार कोल्ड स्टोरेज के विषय में है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : डिस्ट्रिक्टवाइज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर जगह इस सुविधा के लिए प्रावधान है और जहां भी उसकी आवश्यकता होती है, गाइडलाइन्स के मुताबिक ही उसकी मंजूरी दी जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हम सब्सिडी देते हैं। आप सब्सिडी वहां देते हैं जिस ब्लॉक में कोई कोल्ड-स्टोरेज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति वहां कोल्ड-स्टोरेज लगाना चाहता है तो सब्सिडी देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोल्ड-स्टोरेज बनाना चाहेगा तो क्या उसे आप सब्सिडी देंगे? लेकिन यह गलत है। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस ब्लॉक में कोई कोल्ड-स्टोरेज नहीं है, उसे सब्सिडी 50 लाख रुपये दे देते हो। आपने कहा कि हम सब्सिडी देते हैं। इसका मतलब है कि सबको सब्सिडी देते हैं। तो क्या आप सबको सब्सिडी देंगे?

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, सब्सिडी देने का हमारा एक मापदंड है, वह पहाड़ी राज्यों के लिए अलग है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग है, सामान्य जगहों के लिए अलग है। इसी प्रकार से एससीएसटी और महिलाओं के लिए अलग है और सामान्य श्रेणी के लिए अलग है। हम ब्लॉकवाइज या पंचायतवाइज सब्सिडी नहीं देते हैं, कैटेगरी के तहत देते हैं।

(प्रश्न संख्या 482)

[अनुवाद]

कुमारी शोभा करंदलाजे : महोदया, मैं उडुपी और चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ जहाँ नक्सली गतिविधियां काफी सक्रिय हैं। पिछले पांच वर्षों में नक्सली हमलों में पांच नागरिक मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि उत्तर में भी माननीय मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि उडुपी, चिकमंगलूर और शिमोगा जिले में भी नक्सली गतिविधियां चल रही हैं। पिछले दस वर्षों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में नक्सली गतिविधियों से लगभग 5000 नागरिक और लगभग 2000 सुरक्षा बल के जवान मारे जा चुके हैं। मारे गए नागरिकों में से अधिकांश आदिवासी हैं। उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और मारा गया। हाल के कुछ नक्सली हमलों में, घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने तथा उनसे बचाव हेतु उचित उपाय न किए जाने की स्थिति उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए, झीरम घाटी की घटना हुई जिसमें कांग्रेस नेता और अन्य कार्यकर्ता हमले में मारे गए थे। इस घटना के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए। ऐसे माओवादी प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? ऐसे क्षेत्रों में खुफिया जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं होती है? हमारी सुरक्षा खुफिया एजेंसियां इन खतरों को भांपने में क्यों विफल रहती हैं?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है और जो भी बातें प्रश्न पूछते समय कही हैं काफी हद तक उनमें सच्चाई है। हमारे देश के कई राज्य इस समय माओवाद से प्रभावित हैं। हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इस यथार्थ को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन इन हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए, माओवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा, पहले भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं और अब भी बराबर सरकार के द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अब इस माओवाद के द्वारा की जा रही हिंसा को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए अभी हाल में ही मैंने अपने गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक की थी। नक्सलवाद और माओवाद की समस्या से इस देश को निजात दिलाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर समीक्षा

बैठक थी। हमने तय किया है कि जहां पर आवश्यकता होगी, हम कठोर कदम भी उठाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो उसका सामाजिक पहलू है, जिस सामाजिक पहलू के कारण यह माओवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है, उस समस्या का भी हम समाधान करेंगे। जो क्षेत्र अभी विकसित नहीं हैं, या अंडर-डिवेलप हैं, उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा क्या-क्या हो सकता है, इन सारे विषयों पर हमने विचार किया है और उस संबंध में हमारी कार्य-योजना लगभग तैयार हो चुकी है।

[अनुवाद]

कुमारी शोभा करंदलाजे : महोदया, वामपंथी चरमपंथी सुरक्षाबलों पर हमला करने के लिए एके-47, 303 राइफल जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, विशेषकर राज्य पुलिस, केवल पुराने हथियारों जैसे बंदूकें और अन्य पुराने हथियारों का ही उपयोग कर रहे हैं। विदेशों में निर्मित हथियार और गोला-बारूद चरमपंथियों तक कैसे पहुंच जाते हैं? हमारी राज्य की सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं?

महोदया, राज्य में तैनात आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों की संख्या में भी भारी कमी है। कर्नाटक में 81 आई.ए.एस. अधिकारियों और 57 आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी है। राज्य में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के इन पदों को भरने के लिए भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बाकी सदस्यों के लिए भी प्रश्न पूछने की गुंजाइश छोड़ दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जो भी राज्यों में ऑपरेशन होता है, वह ऑपरेशन स्टेट पुलिस और हमारी सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के म्युचुअल कोऑपरेशन के आधार पर ही होता है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमारी स्टेट पुलिस के पास जितने अच्छे वैपन्स होने चाहिए, वे अच्छे वैपन्स हैं लेकिन उतने अच्छे वैपन्स उनके पास नहीं है। केन्द्र सरकार के द्वारा वहां पर पुलिस स्टेशंस की स्ट्रेंथनिंग के लिए और साथ ही साथ पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी समय समय पर सहायता मुहैया कराई जाती है और

प्रतिवर्ष यह सहायता सभी राज्यों को केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी यह पूरी कोशिश है कि स्टेट गवर्नमेंट को विश्वास में लेकर हम अपनी स्टेट की पुलिस फोर्स को वैल-इरक्विप्ड कर सकें ताकि यदि कभी किसी भी प्रकार की चुनौतियां उनके सामने आती हैं तो उनको मीट-आउट करने में उसे पूरी तरह से कामयाबी हासिल हो सके।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रताप सिन्हा-उपस्थित नहीं।

श्री सी.एन. जयदेवन : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नक्सली गतिविधियों को केवल पुलिस कार्रवाई के माध्यम से नहीं दबाया जा सकता तथा उन क्षेत्रों में सामाजिक विकास भी होना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। मैं यह बात गर्व से नहीं कहता, लेकिन मैं एक पूर्व नक्सली हूँ और मैंने साठ और सत्तर के दशक के दौरान केरल में कई कार्रवाइयों में भाग लिया था। भूमि सुधार विधेयक पारित होने के बाद और व्यावहारिक रूप से लोगों को पता चला कि उन्हें ज़मीन और न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है, तो लोगों ने नक्सल आंदोलन में भाग लेना बंद कर दिया। क्या सरकार राज्य सरकारों को भूमि सुधार विधेयक पारित करने और इन क्षेत्रों में विचारपूर्वक इसे लागू करने के लिए बाध्य कर सकती है? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब लोगों को उनकी न्यूनतम मजदूरी मिले। यह 100 रुपये नहीं है। केरल में अब एक कृषि कामगार को 600 रुपये और महिलाओं को 400 रुपये मिलते हैं। क्या केंद्र सरकार भारत में गरीब लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को बाध्य करने हेतु ऐसी कार्रवाई कर सकती है?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार द्वारा बराबर समय समय पर एडवाइजरी राज्य सरकार को जारी की जाती है ताकि जो भी न्यूनतम वेतन मजदूरों का निर्धारित है, वह न्यूनतम वेतन उन्हें मिल सके। हमारे मंत्रालय से यह एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है लेकिन किसी न किसी मंत्रालय से बराबर भारत सरकार

जारी करती रहती है और जहां तक लैंड रिफॉर्म्स बिल का संबंध है, सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लैंड रिफॉर्म्स बिल को प्रभावी तरीके से अपने अपने राज्यों में लागू करें।

श्री रमेश बैस : माननीय अध्यक्ष जी, नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। अभी शोभा जी ने भी जिरम घाटी की चर्चा की थी। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 16 जिले इस नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित हैं और अभी तक वहां 71 जवान शहीद हो चुके हैं। आज बस्तर की स्थिति यह है कि वहां के स्कूलों में 'जन गण मन' की प्रार्थना नहीं होती, बल्कि माओवाद की प्रार्थना शुरू हो गई है। 12 से 14 साल के बच्चों ने हथियार उठाना चालू कर दिया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस इससे निपटने में सक्षम नहीं है। एक राज्य में दबाव पड़ता है तो वे दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ से लगे हुए महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, झारखंड प्रदेश हैं। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सभी प्रदेशों के बार्डर सील करके कोई ऐसी योजना बना रहे हैं ताकि सभी प्रदेशों से नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो सके?

श्री राजनाथ सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माओवाद के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैं स्वीकार करता हूं कि सभी पड़ोसी राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए लगभग 20-25 दिन पहले दस राज्य, जो माओवाद से प्रभावित हैं, मैंने सभी राज्यों के चीफ सैक्रेट्रीज़ और डायरेक्टर जनरल पुलिस की बैठक बुलाई थी। इस देश को माओवाद के संकट से निजात दिलाने के लिए क्या रणनीति होगी, इस बैठक में हमने इस पर विस्तृत चर्चा की है और रणनीति तैयार की है।

श्री अजय मिश्रा टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की नेपाल राष्ट्र से लगी भारतीय सीमा व्यापारिक गतिविधियों के लिए खुली है और मित्र राष्ट्र होने के कारण आवागमन के लिए भी खुली है। परिणामस्वरूप पीलीभीत, लखीमपुर से गोरखपुर तक भारी आवागमन सीमावर्ती क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में नेपाली माओवादी संगठन बेहद प्रभावी हैं तथा सीमावर्ती जिलों के अधिकतर अपराधी और फरार ईनामी अपराधी नेपाली माओवादियों की मदद से भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ले लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्र और जिले के व्यापारियों से अवैध वसूली की जाती है। इस जानकारी के बावजूद भी वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पूर्व सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय

गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के फरार और ईनामी अपराधी, जो आपराधिक गतिविधियों में माओवादियों की मदद में लिप्त हैं, क्या उन्हें पकड़ने का काम भारत सरकार करेगी? उक्त माओवादी जो इनको शरण देते हैं, क्या उनके विरुद्ध भी सरकार कार्रवाई करेगी?

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सच है कि हमारी सीमाओं के आसपास एक्सटॉर्शन अपेक्षाकृत अन्य भागों की तुलना में अधिक होता है। लेकिन ऐसे एक्सटॉर्शनरिस्ट के विरुद्ध कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या प्रगति है, इसे और अधिक कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, मैं इस संबंध में राज्य सरकारों से भी बात करूंगा।

(प्रश्न संख्या 483)

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, बी.ए.डी.पी. के इश्यू में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसे पढ़कर मुझे लगता है कि यूपीए सरकार अपने ही फंड के प्रति कितनी असहाय थी, यह यही दर्शाता है। मुझे एक ही कहावत याद आती है 'माल महाराज का, मिर्जा खेले होली।' पूरा फंड गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय धन आबंटित करता है, चाहे बी.ए.डी.पी. हो या आई.ए.पी. हो, इन्होंने खुद जवाब दिया है कि एक सदस्य ने 12 मार्च, 2012 को प्रश्न किया था और उसका जवाब सरकार ने 10 जनवरी, 2014 को दिया। इसका मतलब है कि गृह मंत्री जी द्वारा पूछे गए राज्य सरकार से प्रश्न का उत्तर डेढ़ साल बाद राज्य सरकार देती है। सही स्थिति यह थी कि यह सड़क बनी ही नहीं थी और पूरे तीन करोड़ की लूट बी.ए.डी.पी. फंड की हो गई थी। इस मामले में उसी एकजीक्यूटिव इंजीनियर को इंचार्ज बनाया गया जो इसमें था। इन्होंने अभी कहा है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला गुणवत्ता सहित सीमावर्ती निगरानी संबंधी योजना तैयार की है जो हर क्वार्टली रिपोर्ट करेगी लेकिन इस निर्णय के बाद तीन क्वार्टर बीत गए हैं। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से प्रश्न है कि कितनी क्वार्टरली रिपोर्टिंग बिहार के बॉर्डर एरिया से आई है और जैसे एन.एच.आर.एम. को शामिल किया

है, वैसे ही क्या सरकार बी.ए.डी.पी. और आई.ए.पी. योजना वो जिला सतर्कता निगरानी में रखने की सोच रही है या नहीं?

श्री किरन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने सही कहा कि जो प्रोसीजरल लैप्स हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है। बिहार सरकार से रिपोर्ट मंगवाई गई है, परंतु उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो गड़बड़ी हुई है, उसकी रिपोर्ट आई है। जब तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आयेगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बिहार में टोटल 34 ब्लॉक्स हैं और 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का पैसा जाता है। हम लोग क्वार्टरली इसका रिव्यू लेते हैं और फिर से अगला पैसा रिलीज करने से पहले हम लोग युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का भी जायजा लेते हैं और रिपोर्ट भी लेते हैं, तभी हम लोग नैक्स्ट फंड एलोकेट करते हैं।

डॉ. संजय जायसवाल : मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो बी.ए.डी. पी. योजना आप पंचायतों से लेते हैं, उसमें सांसद की कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि उनकी भी योजना ली जाए। चाहे आपका वहां सशस्त्र सीमा बल है, जिससे कि बॉर्डर पर स्मगलिंग कैसे रोकी जा सके या मिश्रा जी ने जैसे प्रश्न उठाया कि अपराधियों की आवाजाही रोकी जा सके, उसके लिए उस इलाके में भारत-नेपाल सीमा पर प्रोपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और हमें यह भी समझना चाहिए कि जो 1200 किलोमीटर भारत-नेपाल की सीमा है, अगर आप चीन की सीमा का खर्च देखें तो उसके मुकाबले यह खर्च कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें एक साजिश के तहत जानबूझकर साढ़े सात लाख रुपये से कम की योजनाएं ली जाती हैं, जिसके कारण इनका कोई टेंडर नहीं होता है और आपस में आधिकारियों और लोकल समिति के द्वारा मिलकर पूरी धनराशि गबन कर ली जाती है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या इसके मैकेनिज्म में सशस्त्र सीमा बल, सांसद और जिला निगरानी समिति तीनों को इनवोल्व करने का आप कोई विचार कर रहे हैं या नहीं?

श्री किरन रिजीजू : मैडम, माननीय सदस्य ने सही कहा कि इसमें जो स्कीम फॉर्मूलेशन होता है, वह डिस्ट्रिक्ट से चालू होता है और जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता वहां के जिलाधिकारी (डी.सी.) करते हैं। उसके लिए हम लोग यह चाह रहे हैं कि गाइडलाइंस तो बनी हुई हैं, लेकिन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हम लोग जायजा लेंगे, जिसमें सांसद और जो लोकल एम.एल.ए. होते हैं और हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेंज हैं, माननीय सांसद बिहार से हैं और बिहार और नेपाल की सीमा पर एस.एस.बी. (सशस्त्र सीमा बल) रहता है, उनसे भी हम लोग योजना मांगते हैं कि आपको भी इसमें व्यू देना चाहिए। 10 परसेंट हम लोगों ने सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेंज को अपने सलैक्शन पर फंड एलोकेट कर रखा है। एम.पीज. का डेफिनिटली इसमें रोल होना चाहिए, अगर इसमें कहीं नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग डायरेक्टिव्स इश्यु करेंगे।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान : माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो उत्तर भेजा है, उसमें लिखा गया है "फरवरी 2014 में बी.ए.डी.पी. के दिशानिर्देशों में और संशोधन किया गया है।" लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इस समिति के सदस्य कौन हैं? जो कमेटी बनाई गई है, जो बॉर्डर के एम.पीज. हैं, अगर उन्हें उसमें मैम्बर नहीं बनाया गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने बताया है।

श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान : अगर एम. पीज. को इसमें इनक्लूड नहीं किया गया तो क्या उन्हें इसमें इनक्लूड किया जा सकता है या नहीं?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो बॉर्डर एरियाज में ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में भी कमेटी होनी चाहिए। उसमें भी थोड़ी एम.पीज. की निगरानी होनी चाहिए। क्या यह किया जा सकता है या नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं?

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह सही दिया है, लेकिन मैं सभी सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बॉर्डर एरिया डैवलपमेंट प्रोग्राम्स तैयार किये जाएं तो

उस समय निश्चित रूप से सांसद और विधायकों से परामर्श किया जाए। इस प्रकार के निर्देश गये हैं, लेकिन यदि उस क्षेत्र वे विधायकों और सांसदों के साथ परामर्श नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि यदि हमें उसकी जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसका संज्ञान लेंगे। ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया : मॉनिटरिंग समिति में इसे सम्मिलित कर लें... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने बताया है, सबके उठकर बोलने से क्या होगा।

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदया, भारत-नेपाल सीमा पूरी तरह खुली हुई है और सीमा पर हालत बहुत ही दयनीय है, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि 2011-12 में 4548 लाख रुपये, 2012-13 में 4982 लाख रुपये और 2013-14 में 4982 लाख रुपये उत्तर प्रदेश में अलाट हुए थे। मंत्री जी से मेरा कहना है कि सन् 2011, 2012 एवं 2013 की अगर एस्टिमेटिड कॉस्ट देखें तो हर चीज़ का दाम बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी सीमा है, क्या इस पर और धन बढ़ा कर आबंटित करने का प्रयास करेंगे?

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, 990 करोड़ रुपये का यह बी.ए.डी.पी. प्रोग्राम चल रहा है। डेवलपमेंट का प्लान यह नहीं है। जहां क्रिटिकल गैप, जो बहुत ही तकलीफ वाले सीमावर्ती इलाके में, नॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस से कहीं छूट गया है, जहां पैसा नहीं पहुंचा, उस गैप को फिल करने के लिए बी.ए.डी.पी. का यह खास कार्यक्रम चलाया गया है। यह मैं मानता हूँ कि 990 करोड़ रुपये में पिछले दो-तीन साल से इजाफा नहीं हुआ है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि सभी सदस्यों की मंशा शायद मंत्री जी समझ रहे हैं, उसके अनुसार ही वे उत्तर देंगे। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमारे सभी सदस्यों की यह इच्छा थी कि जो भी कमेटी बने, जिसके द्वारा बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूरी योजना बनाई जाती है, उसमें हमारे सांसद शामिल होंगे कि नहीं होंगे। उसमें एक थोड़ी सी व्यवहारिक कठिनाई रहती है। जो हाईली सेंसिटिव एरिया है, जो बॉर्डर से लेकर दस किलोमीटर तक की होती है, उसमें जो भी फण्ड एलोकेशन होता है, उसका 10 प्रतिशत एक्सपेंडीचर,

हाईली सेंसिटिव विलेज अथवा जो एरिया होगा, उसका फैसला हमारी डिफेंस फोर्स के द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा ही वह खर्च किया जाता है। क्योंकि, मुझे अपने सांसदों के क्षेत्र के विकास की चिंता रहती है, इसलिए मैं ब्लॉक-वाइज देख रहा था कि कितना फण्ड एलोकेट होता है। कहीं पर डेढ़ लाख, कहीं पर दो लाख, कहीं पर ढाई लाख रुपये प्रति ब्लॉक के लिए मिल पाता है। लेकिन यदि सिक्योरिटी फोर्स ने अथवा वहां की हमारी डिफेंस फोर्स ने यह फैसला कर लिया कि इस ब्लॉक में यह फलां एरिया हाईली सेंसिटिव है तो वे चाहें तो पूरे के पूरे फण्ड को हमें वहीं पर यूटिलाइज करना होगा। सांसद होने के कारण भी अथवा वहां की स्टेट अथॉरिटी होने के बावजूद भी हम उसे रोक नहीं पाएंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने अच्छे से उत्तर दिये हैं। यह प्रश्न हो गया है।

(प्रश्न संख्या 484)

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मैं सन् 1974-75 का बजट प्रपोजल देख रहा था, उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री चौहान साहब ने कहा था कि हमारा जो पूरा बजट है, वह केवल फूड के ऊपर निर्भर है, मतलब, चारों तरफ किसको खाना देना है, किसको खिलाना-पिलाना है। इसके लिए हमको सारे खाद्यान्न पदार्थों का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस देश के किसानों ने उस बात को इतनी गहराई से लिया कि आज हमारे पास इतना सरप्लस फूड है कि साल-दो साल तक यदि खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो, अकाल पड़ जाए तो भी हम लोगों को खाना खिला सकते हैं। इसमें निश्चित तौर पर शरद पवार साहब का बड़ा योगदान है। लेकिन यह जो नैशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स बना, अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, उसने एक बात कही कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो कॉस्ट लगेगी, उसका 50 परसेंट ऊपर प्रॉफिट दे कर इसका एम.एस.पी. तय करना है, लेकिन उस रिकमंडेशन को यू.पी.ए. सरकार ने नहीं माना। यह सन् 2004-05 की रिकमंडेशन

थी। इसके लिए सी.ए.सी.पी. एक संस्था है, जो कि इसका एम.एस.पी. तय करती है। सी.ए.सी.पी. में 12 मापदण्ड हैं। 12 मापदण्डों में फर्टिलाइजर है, पॉवर है या इसी तरह लेबर है, जिसमें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है। सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है कि सन् 2013 में सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह पेट्रोलियम में अण्डर रिकवरी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसी तरह से सी.ए.जी. ने क्वेश्चन उठाया कि आप जो एम.एस.पी. तय करते हो, आपका इसका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। एम.एस.पी. तय करते हुए जो आपके 12 मापदण्ड हैं, इसको आप ट्रांसपेरेंटली नहीं करते हैं, इसके कारण फार्मर्स खेती नहीं करना चाहते हैं और वे आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद इन्होंने रमेश चन्द्रा कमेटी बना दी।

माननीय अध्यक्ष : यह सबको मालूम है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, मैं यह कह रहा हूँ कि एम.एस.पी. तय करने के लिए सी.ए.सी.पी. ने रमेश चन्द्रा कमेटी बना दी। रमेश चन्द्रा कमेटी ने कहा कि यह देश छह जोन में विभक्त है। छह जोन्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग-अलग है, जैसे ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, साउथ का अलग है, नार्थ-ईस्ट का अलग है और हिली एरिया का अलग है। मेरा कहना है कि सी.ए.जी. की रिकमेण्डेशन के बाद यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एरियावाइज अलग-अलग है तो क्या सरकार एम.एस.पी. तय करने के लिए एरियावाइज अलग-अलग प्रोज्यूस का अलग-अलग एम.एस.पी. तय करने का विचार रखती है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, यह जो कमेटी वर्ष 2013 में बनायी गयी थी, वह एम.एस. पी. तय करने के लिए नहीं बनायी गयी थी, बल्कि यह कमेटी सुझाव देने के लिए बनायी गयी थी। इस कमेटी में 11 सदस्य हैं और इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। इस कमेटी में पांच किसान प्रतिनिधि भी हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि श्री अजमेर सिंह लखवाल, श्री राकेश सिंह टिकैत, श्री यदुवीर सिंह, श्री के.टी. गंगाधर, सुश्री कविता कुरुगति इसमें शामिल हैं। मैंने व्यक्तिगत जानकारी ली है कि ये पांचों कृषि क्षेत्र के जानकार लोग हैं। एक तो टिकैत साहब के लड़के ही हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से किसानों के हित में इनके सुझाव आएंगे और जब सुझाव आएंगे तो उन सुझावों पर हम विचार करेंगे।

श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस देश में लैंडलैस लोगों की संख्या 11 प्रतिशत है और दो प्रतिशत इस देश में ऐसे फार्मर्स हैं, जो फार्मस की बात करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उनके पास तीस परसेंट जमीन है। 11 प्रतिशत लोगों के पास एक धुर जमीन नहीं है, एक कट्टा जमीन नहीं है और दो परसेन्ट लोग हैं, उनके पास यह एन.सी.एफ., जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, उसमें 30 से 40 परसेन्ट लोग बी.पी.एल. श्रेणी में हैं। मेरा यह कहना है कि एन.सी.एफ. की एक रिकमेण्डेशन थी कि जो आई.सी.ए.आर. है, जिसके कार्यक्रम में अभी माननीय प्रधान मंत्री जी गये थे, वह रिकमेण्डेशन यह थी कि कम समय में और कम लागत में तीन फसल की खेती जब तक नहीं होगी, तब तक किसानों को इसका फायदा नहीं होगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर गरीबों को भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि 30 से 40 परसेन्ट गरीब हैं। उनके लिए भी आपको अनाज की व्यवस्था करनी है।

मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि आई.सी.ए.आर. इसके बारे में क्या कर रही है और दूसरा जो आपने झारखंड में घोषणा की है तो आई.सी.ए.आर. का इंस्टीट्यूट क्या संथाल परगना में आप खोलेंगे?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, आई.सी.ए.आर. ने पिछले वर्षों में कई सौ ड्यूरेशन क्रॉप्स की ईजाद की हैं और कम वर्षा में होने वाले बीजों को भी ईजाद किया है। इसका बहुत बड़ा लाभ देश को पिछले कुछ वर्षों में मिला है और आगे भी मिलने वाला है।

अभी तक आजादी के बाद सिर्फ दिल्ली के अन्दर एक आई.सी.ए.आर. का केन्द्र था, राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान परिषद। इस सरकार ने तय विया है कि इसका एक केन्द्र झारखंड में और एक असम में हम स्थापित करेंगे। इसके लिए हमने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि वे जमीन उपलब्ध करायें। जब वे जमीन उपलब्ध करायेंगे तो हमारी एक टीम वहाँ जायेगी, उसकी रिपोर्ट लाएगी और तब इसके बाद निश्चित होगा कि वह कहाँ पर बनेगा।

श्री अनन्तकुमार हेगड़े : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब मैंने मंत्री जी का उत्तर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी गोली चल रही है। उत्पादन

बढ़ा है, हम भी मानते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि कृषि या खेती लाभदायक बनी है। सदन भी इसका साथ देगा कि कृषि इस देश में लाभदायक नहीं है, जो लोग परम्परागत कृषि करते हैं। हमारे देश में 18 प्रतिशत लोग पांच एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिक हैं और जो 82 परसेन्ट लोग हैं, वे स्मॉल एंड मारिजिनल फार्मर्स हैं। ये जो स्मॉल एंड मारिजिनल फार्मर्स हैं, एम.एस.पी. के तहत जो प्राइस फिक्स किया जाता है, उसका लाभ उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि, उनका उत्पाद मार्केट तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए खेती लाभदायक नहीं बन रही है। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देते समय कृषि मंत्री जी कहेंगे, अगर हम पानी का जिक्र करते हैं तो वे कहेंगे कि पानी हमारा क्षेत्र नहीं है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछने से पहले ही ऐसा क्यों सोचते हो? आप प्रश्न पूछिये।

श्री अनन्तकुमार हेगड़े : इसलिए उन पर थोप दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि पानी के बिना खेती नहीं हो सकती। पानी के बिना कृषि लाभदायक नहीं हो सकती। इसलिए मूलभूत सविधा के तहत किसानों को पानी दिलवाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा है? अगर सोचा है तो कब तक यह लागू होगा?

श्री राधा मोहन सिंह : यह बात सही है कि खेतों में ज्यादा उत्पादन और पैदावार तब होगी जब उसे पानी मिलेगा। देश में 44 प्रतिशत खेती योग्य जमीन सिंचित है और 56 प्रतिशत खेती योग्य भूमि आसिंचित है। इसीलिए इस बार हमारी सरकार जो बजट लाई है और बजट लाने से पहले जो राष्ट्रपति जी का आभिभाषण हुआ था कि हम एक नई योजना लाए हैं प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना, हमारा लक्ष्य है इस देश के हर जोत तक पानी पहुँचाना और इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप कब तक हर खेत में पानी पहुँचा देंगे? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, प्लीज बैठिये।

श्री तापस मंडला

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राधा मोहन जी, आपको तापस मंडल जी का प्रश्न सुनना है।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह गंभीर मामला है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बाद में पूछिए, अभी मैंने उनको मौका दिया है। ऐसे बीच में नहीं बोलतो। ज़रा मेरी तरफ ध्यान रखें। तापस मंडल जी को प्रश्न पूछने दें।

[अनुवाद]

डॉ. तापस मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सत्य है कि आजकल कृषि कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं रह गया है। हमारे चालीस प्रतिशत किसान अब कृषि के रूप में अपने पेशे को छोड़ने के कगार पर हैं। सरकार बागवानी के बजाय कृषि पर अधिक पैसा निवेश कर रही है। यदि सरकार अधिक निवेश करेगी और बागवानी खेती के तहत क्षेत्र को सब्सिडी देगी, विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में फूल, सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, तो यह किसानों के लिए एक लाभकारी प्रस्ताव बन जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा किसानों को कृषि के पेशे में बने रहने में सहायता करने के लिए कोई योजना प्रस्तावित है, जिससे बागवानी में अधिक निवेश करके किसानों को खुश किया जा सके ताकि वे अपना पेशा छोड़ने के बारे में न सोचें।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हम राज्यों को पैसा देते हैं और उसके माध्यम से भी ब्लाक स्तर पर किसानों को बागवानी के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर एक बागवानी बोर्ड है, उसके माध्यम से भी हम राजसहायता देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री आर.धुवनारायण।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण: अध्यक्ष महोदया, वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र केवल 25 फसलों पर लागू होता है। ...[व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैंने भी एक सप्लीमेंट्री के लिए कहा है।

माननीय अध्यक्ष : मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बहुत बातें कर चुके हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण: अधिकांश किसान नकद फसलों सहित सभी फसलों के लिए यह चाहते हैं। वर्तमान सरकार ने रागी, मक्का और बाजरा जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। वर्ष 2010-11 के दौरान, बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 880 रुपये प्रति क्विंटल था। वर्ष 2011-12 के दौरान यू.पी.ए. सरकार ने इन फसलों पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। वर्ष 2012-13 में, यू.पी.ए. सरकार ने रागी के मूल्य में 450 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की। लेकिन वर्तमान सरकार ने मक्का, ज्वार और रागी फसलों के मूल्य में केवल 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों के लिए बढ़ाया जाए और मक्का, रागी और बाजरा जैसी फसलों का मूल्य 150 रुपये से अधिक बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, यह जो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग है, सामान्यतया पिछले तीन-चार वर्षों में हमने देखा कि जो उसकी अनुशंसाएँ होती हैं, सामान्यतया एक-दो फसलों को छोड़ दें तो उनको सरकार लागू करती है और इस वर्ष भी वही हुआ है। यह बात सही है कि जितनी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, उन सबकी खरीददारी नहीं हो पा रही है। नयी फसलों को जोड़ने की तो बात अलग है, हमारी तो पहले यह कोशिश होगी कि जितनी फसलें उसमें हैं, उनकी खरीदारी शुरू हो।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक स्लोगन था- 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखद चाकरी, भीख निदा।' लेकिन आज खेती घाटे का धन्धा बन कर रह गयी है। इसके लिए प्राइज़ फ़िक्सेशन पॉलिसी भी ज़िम्मेदार है और किसानों को क्रॉप इन्श्योरेंस वगैरह नहीं दी जाती है, वह भी ज़िम्मेदार है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था- 'वन ड्रॉप, मोर क्रॉप।' उन्होंने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि देश के किसान की जेब में पैसे आएँ और देश के भण्डार भी अनाज से भरें। इसके लिए क्या नीति बनायी गयी है? मिनीमम सपोर्ट प्राइज़ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाउस में कहा कि जो प्रदेश अनाज पैदा करते हैं, उन प्रदेशों की सरकारों की सलाह से और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, उनको साथ में लेकर एम.एस.पी. की फ़िक्सेशन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पांच लोगों के नाम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए दिए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह तो पहले से है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, वे लोग धरने पर बैठे हैं और उन्होंने बोला है कि हमारी बात नहीं सुनी गयी। दो दिन पहले वे धरने पर बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन है, उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? डीएपी खाद का बैग चार सौ रुपये से बढ़ कर बारह सौ रुपये का हो गया है और यूरिया दो सौ रुपये से बढ़ कर पांच सौ रुपये का हो गया है।

माननीय अध्यक्ष : इतना लम्बा प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि, समय सीमित होता है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसानों के प्रतिनिधियों को लेकर एम.एस.पी. पर क्या उपाय किए जा रहे हैं? दूसरा, 22 फसलें भी हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उनमें धान की फसल भी है। धान की फसल में बासमती का मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? हर चीज़ के लिए प्रश्नकाल नहीं है। उनकी एक कमेटी है, आप उसमें सुझाव दे सकते हैं। मुझे खेद है, लेकिन आपका कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदया, हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा फसल बासमती धान की होती है तो क्या उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ में लेंगे, यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ?

माननीय अध्यक्ष : इनका कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल सुझाव हैं, आप उन पर विचार कीजिए।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, कृषि लागत मूल्य कम हो, इसके लिए सरकार और मंत्रालय का सतत प्रयास चलता रहता है। लेकिन इस बार जो बजट आया है, उसमें कई इस प्रकार की घोषणाएं हैं जो इसमें मददगार सिद्ध होंगी और मुख्य रूप से सोइल हेल्थ कार्ड की बात आयी है, जो देश में सभी किसानों को मिले, उसकी एक बड़ी भूमिका होगी। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि लागत मूल्य के संवर्द्धन के लिए जो कमेटी बनी है, वह समिति 11 लोगों की है, जिसके बारे में मैंने यह बताया था कि उसमें पांच किसान हैं। यह कमेटी वर्ष 2013 में बनी थी। मैंने यह जानकारी ली है कि ये पांचों कुशल किसान देश के विभिन्न भागों के हैं। इसी क्रम में हमने बताया था कि टिकैत साहब के लड़के राकेश टिकैत जी भी इसमें सदस्य हैं।

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका जी, यदि कोई शोर्ट क्वेश्चरन है तो पूछिए। सभी माननीय सदस्य चिंतित हैं और अपने-अपने सुझाव मंत्री जी को भेज सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष जी, बहुत से सवाल मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ पर आ गए हैं और कृषि लागत मूल्य आयोग की बात इन्होंने की है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि कृषि लागत मूल्य आयोग एक मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ तो तय कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्यों में नेशनल और स्टेट पूल के लिए खरीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती है। कुछ राज्य करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ पर सौ रुपये का बोनस भी दिया जाता है। क्या केन्द्र सरकार कोई उपाय करेगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ के निधारित

होने के बाद किसानों के द्वारा उत्पादित उत्पाद को मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ पर खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित हो?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, इस सम्बन्ध में मैंने बताया कि इसकी कोशिश हमारी रहेगी।

(प्रश्न संख्या 485)

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष जी, पूर्व प्रश्न भी किसानों से संबंधित था और मैं भी उससे स्वयं को जोड़ता हूँ।

महोदया, किसानों की हालत देश में बहुत खराब है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ तो हालात और भी खराब हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में जिस प्रकार से आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में भी किसान मजबूर हो कर आत्महत्या कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें उसकी जितनी लागत आती है, उससे जब वसूली होती है, वह उस से कम होती है।

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि हम लोग बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ बिन्दुओं के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। जैसे किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या चकबंदी की होती है। यह कहा जाता है कि जिस गांव में चकबंदी आ जाए, उस गांव में डकैती जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि किसानों की समस्या पहले भूमि विवाद से ही शुरू होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए अलग से कोर्ट बनाई जाएं जो किसानों की भूमि की समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण कर सकें।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे ऋण देते हैं। निश्चित तौर से, किसानों को ऋण दिया जाता है, लेकिन जब वह किसान बैंक में ऋण लेने जाता है तो वहाँ उसे पांच से दस प्रतिशत कमीशन दिए बिना ऋण नहीं मिलता है। आप किसी भी बैंक में जाकर देख लीजिए। क्या माननीय मंत्री जी उनके लिए शिविर लगाकर ऋण देने की व्यवस्था करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : आप एक ही प्रश्न पूछिए। आपको बाद में दूसरा प्रश्न पूछने का समय मिलेगा।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदया, मैं केवल एक-दो बिन्दुओं के बारे में मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। ये इसी से रिलेटेड हैं, जैसे खाद और बीज हैं। किसानों को नकली खाद मिलती है और वह भी बढ़े हुए रेट पर मिलती है।

जब वह खाद लेने जाता है तो वह भी समस्या है। बिजली की भी समस्या है। उसे बिजली का मिनिमम चार्ज देना पड़ता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ 7.5 हॉर्स पावर का बंधन है कि उससे कम पावर का कनेक्शन उसे नहीं दिया जा सकता, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैं माननीय सदस्य की बातों से सहमत हूँ। मैं भी कृषि ब्लॉक में रहता हूँ। खाद और बीज से संबंधित जो भी हमारी सहायता है, वह हम राज्य सरकारों के माध्यम से देते हैं। हर प्रखण्ड में शिविर लगा कर ऋण वितरण किया जाए ताकि उसमें पारदर्शिता रहे, ऐसा निर्देश पहले से है। बहुत जगहों पर ऐसा होता भी है और बहुत जगह ऐसा नहीं भी होता होगा। इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न समर्थन मूल्य के बारे में है। निश्चित तौर पर, विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन मूल्य अलग-अलग पड़ता है। जैसे आज गेहूँ में किसान की लागत 1,700 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक आती है लेकिन उसके लिए उसको 1,400 रुपये से 1,450 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलता है।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है? आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदया, मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। मैंने पूछा था कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने की चर्चा होती है और तमाम लोग इसकी मांग कर रहे हैं तो क्या कृषि को उद्योग की तरह सुविधाएं दी जाएंगी? जब उद्योग की बात आती है तो मैंने कहा है कि जो उद्योगपति होता है, वह अपनी लागत स्वयं तय करता है, लेकिन किसान की लागत सरकार तय करती है। जैसे गेहूँ में उनकी लागत 1,700 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक आती है तो अगला समर्थन मूल्य जब घोषित होगा तो क्या माननीय मंत्री जी गेहूँ का समर्थन मूल्य कम से कम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, मैं लागत मूल्य के संबंध में पहले ही प्रश्न में उत्तर दे चुका हूँ। जहां तक कृषि को उद्योग का दर्जा देने का सवाल है तो फूड प्रोसेसिंग को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार: अध्यक्ष महोदया, मुख्य प्रश्न कृषि को उद्योग का दर्जा देने से संबंधित है।

मंत्री जी ने अपने विस्तृत उत्तर में बताया कि किसानों को उपलब्ध होने वाला फसल ऋण, उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले ऋणों की तुलना में अधिक अनुकूल शर्तों पर मिलता है। इसके अलावा, अपने उत्तर में, उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि क्षेत्र की पहचान सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्र के रूप में की गई है, जो बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 18 प्रतिशत है। किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की रियायती दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें समय पर भुगतान करने पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कृषि मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ इस आंकड़े को सत्यापित किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र, अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों को ऋण दे रहे हैं - हालांकि वे अपनी बैलेंस शीट में कहते हैं कि वे अपने ऋण का 18 प्रतिशत कृषि को प्राथमिकता के आधार पर उधार दे रहे हैं - मेरी जानकारी के अनुसार वे ऋण नहीं दे रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, वास्तव में, वे ऋण नहीं दे रहे हैं। क्या मंत्री जी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर इस प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्र के कार्यान्वयन को सत्यापित कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि किसानों को ऋण देने में बैंक काफी आनाकानी करते हैं, इसीलिए इस बार हमारी सरकार ने जो सहकारिता के माध्यम से उनको क्रॉप लोन मिलता था, अब दीर्घकालीन लोन देने का प्रावधान भी सहकारिता के माध्यम से किया है। निश्चित रूप से बैंकों के ऊपर भी लगातार हमारा दबाव जारी रहेगा कि किसानों को ऋण दें...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में जो कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग की जा रही है, मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूँ। कृषि भारत की जीवनधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि उद्योग नहीं हो सकती, कृषि को उद्योग की तरह सुविधा दी जानी चाहिए, इस बात को मैं कह सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, कृषि मंत्री जी ने कहा कि वे उनको उद्योग के दर्जे में ले आए हैं। वह उद्योग के दर्जे में आए हैं, इसीलिए कृषि से संबंधित उद्योग तबाह हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों को उद्योग की तरह सुविधा देने जा रहे हैं या नहीं?

श्री राधा मोहन सिंह : हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि कृषि को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, उद्योग से भी ज्यादा महत्व देना चाहिए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे किसानों की समस्या पर प्रश्न करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने किसानों के लिए बनाई गई योजना का विस्तृत विवरण दिया है। हम किसानों को अन्नदाता कह कर महिमामंडित करते हैं, परन्तु हम यह भी देखते हैं कि किसान कर्ज से लदा हुआ है, मजदूर की तरह हो गया है। आज वह आत्महत्या करने पर मजबूर होता है।

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि आप सात प्रतिशत रियायती दर पर किसानों को ऋण देते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि क्या बिना ब्याज के ऋण किसानों को आप उपलब्ध कराएंगे? दूसरा, छोटे से छोटा उत्पाद, पैसिल और स्याही बनाने वाला उत्पादक भी अपनी दर तय करता है तो क्या आप किसानों को अपनी दर तय करने का अधिकार देंगे, ताकि वह अपने उत्पाद की दर स्वयं तय कर सके?... (व्यवधान) क्या आप उसे उद्योग का भी दर्जा देंगे?... (व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : हम किसानों को सात प्रतिशत पर नहीं, चार प्रतिशत पर ऋण देते हैं और तीन प्रतिशत हम उसमें सहायता करते हैं, यह हमारी योजना है। हमने लागत मूल्य तय करने के संबंध में पहले भी बताया है

कि उसके लिए एक कमेटी एवं आयोग है, वह निर्णय करता है। 2013 में एक कमेटी बनाई गई है कि जो विसंगतियां हैं, उनका वह अध्ययन करे और सुझाव दे।

(प्रश्न संख्या 486)

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि वर्ष 1993 में बी.टी.ए.डी. का गठन हुआ, उसके बाद से एक सिलसिलेवार लोगों का मारना पूरे असम में चल रहा है। बी.टी.ए.डी. इलाके में 1993 में 60-70 लोगों को मार दिया गया, 1994 में तकरीबन 110 लोगों को मार दिया गया, 1996 में तकरीबन हमारे दो सौ आदिवासी भाईयों को मार दिया गया।...(व्यवधान) इसी तरीके से 2006 में भी कई लोगों को मार दिया गया, यह एक सिलसिला है। ...(व्यवधान) अभी लास्ट में मैंने जो 2014 का गृह मंत्री जी से सवाल किया है, उसके अंदर इनकी इन्फोरमेशन के हिसाब से 46 लोगों को मारा गया, लेकिन हमारी इत्तिला के हिसाब से 52 लोग मारे गए। अफसोस की बात है कि क्या आज तक किसी एक को भी गिरफ्तार किया गया, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री किरें रिजीजू : महोदया, माननीय सदस्य ने हिस्ट्री के आंकड़े दिए, उसमें सच्चाई है। मगर अभी समय कम है, इसलिए मैं सीधे प्वाइंट पर आना चाहता हूं। अगर हमारी नंबर ऑफ पीगर और स्टेट गवर्नमेंट की फीगर में अन्तर है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, वह सही है तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से पता लगायेंगे। मंत्रालय के संज्ञान में जो बात आयी है, उसके मुताबिक संख्या 46 है, इनमें से 39 बक्सर में हैं और 7 कोकराझार में हैं। इसका आठ लाख रूपए प्रति व्यक्ति जो मुआवजा देना है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसके नैक्स्ट टू किन्स को वह मुआवजा भी यहां से रिलीज किया है, जो सेंटर का शेयर है।

³प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 487 से 500
अतारांकित प्रश्न संख्या 4650 से 4879)

³ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

माननीय अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2014 जो 21 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 518(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 690/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 691/16/14]

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल): महोदया, मैं वर्ष 2014-2015 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 692/16/14]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 693/16/14]

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 694/16/14]

(तीन) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 695/16/14]

(चार) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 696/16/14]

(पाँच) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 697/16/14]

(छह) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 698/16/14]

(सात) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापना

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 699/16/14]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) का.आ. 580(अ) जो 27 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(6) और (9) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए 'अतिरिक्त न्यायाधीश' की नियुक्ति के बारे में है।
- (2) का.आ. 1404(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।
- (3) का.आ. 1075(अ) जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।
- (4) का.आ. 1914(अ) और का.आ. 1915(अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1)

के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

- (5) का.आ. 888(अ) जो 25 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 700/16/14]

- (2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 43क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 742(अ) जो 12 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थी तथा जो महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी करने या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु सशक्त किये जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 701/16/14]

- (3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण वरिष्ठ निजी सचिव तथा आशुलिपिक ग्रेड-1 भर्ती नियम, 2014 जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 702/16/14]

- (4) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें और सलाहकारी समिति के सदस्यों को भत्तो का

संदाय संशोधन) नियम, 2014 जो 30 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 544(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 703/16/14]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) :
महोदया, मैं आज की लोक सभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में डॉ. संजीव कुमार बालियान जी के स्थान पर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 704/16/14]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(क) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 705/16/14]

(ख) (एक) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 706/16/14]

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड , शिमला का वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी. 707/16/14]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 708/16/14]

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 709/16/14]

(6) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय आधिनियम, वर्ष 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सीएयू/रेग/584/अध्या0/05 जो 07 फरवरी, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसके द्वारा उपाधियों और सम्मानिक उपाधियों तथा अन्य सम्मानों को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन की रीति के लिए पहला अध्यादेश बनाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 710/16/14]

(7) आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2014 जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का0आ0 1906 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का0आ0 1907 (अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में आयातित किए जाने वाले कैल्शियम सियानामाइड के विनिर्देशनों को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का0आ0 1908 (अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरकों के विनिर्देशनों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का0आ0 1909 (अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में विनिर्मित या आयातित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित, उर्वरक के 100 प्रतिशत जल विलेय मिश्रण के सामान्य विनिर्देशनों को निर्धारित किया गया है।

(पांच) का0आ0 1910 (अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का0आ0 280 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का0आ0 1911 (अ) जो 28 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्मित किए जाने वाले उसमें उल्लिखित अनंतिम उर्वरकों के विनिर्देशनों को निर्धारित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 711/16/14]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) :
महोदया, मैं विधिक माप विज्ञान आधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेज बंद वस्तु) (संशोधन) नियम, 2014, जो 21 जून, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 137 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 712/16/14]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूँ -

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि ऑर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 713/16/14]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज, चेन्नई, के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज, चेन्नई, के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 714/16/14]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैण्डिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 715/16/14]

(7) (एक) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 716/16/14]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेंटली हैण्डिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि मेंटली हैण्डिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 717/16/14]

(11) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि हियरिंग हैण्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि हियरिंग हैण्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 718/16/14]

(13) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 719/16/14]

(15) नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 720/16/14]

अपराह्न 12.02 बजे**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल संस्थानों की सुरक्षा' और 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें और 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ^{4*}

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल संस्थानों की सुरक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 721/16/14]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल उद्योग विकास बोर्ड की कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 722/16/14]

⁴ सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.03 बजे

(दो) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डी.ए.आर.ई.), कृषि मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली – एक मूल्यांकन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति की 58वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति^{5*}

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) :
महोदया, मैं डॉ० संजीव कुमार बालियान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीआरई), कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित 'राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रणाली- एक मूल्यांकन के बारे में कृषिसम्बन्धी स्थाई समिति के 58वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

^{5*} सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 723/16/14

अपराह्न 12.04 बजे**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना**

सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती अनुसंधान संस्थान का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, मैं जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्री जी का ध्यान आविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध वक्तव्य दें।

"सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरस्वती विकास एवं अनुसंधान संस्थान का गठन किए जाने की आवश्यकता।"

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्री (सुश्री उमा भारती) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति हो तो मैं वक्तव्य दूँ।

माननीय अध्यक्ष : जी।

सुश्री उमा भारती : माननीय सदस्य ने सरस्वती नदी के विलुप्त होने के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अन्य सदस्यों ने भी इस मामले में हमारे मंत्रालय से संपर्क करके अपने सुझाव दिए हैं। सरकार सभी संबंधित स्रोतों से सूचना मांग रही है। सूचना मिल जाने पर माननीय सदस्य को उससे अवगत करा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगी कि यदि उनके पास में सरस्वती नदी के बारे में कोई भी सूचना है, जो आम तौर पुरातन लोग होते हैं, उनके पास उसकी

जानकारियां होती हैं, तो वह सूचना हमारे साथ साझा करने के लिए आमंत्रित हैं और वे उसे हमारी वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से सदन से और आपसे भी अनुरोध करूंगी कि सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गयी है, उसको हम किस प्रकार से खोज करके पुनर्जीवन प्रदान कर सकें, इस संबंध में कभी सदन भी हमें आपके माध्यम से मार्गदर्शन देना चाहे तो हम जरूर प्राप्त करना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : कटारिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री रत्न लाल कटारिया : महोदया, मैं आपको नमन करता हूँ कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया जो हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों में पिछले हजारों वर्षों से उठ रहा है। सरस्वती नदी जो कभी भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक हुआ करती थी। यह भारत की 6000 वर्ष से भी आधिक पुराने इतिहास से भी जुड़ी हुई है। जो विभिन्न रिसर्च हुई हैं उनसे यह बात उभर कर आई है कि सरस्वती नदी कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति थी, सरस्वती-इण्डस सभ्यता है, जो 5000-6000 साल पुरानी है, उस समय सरस्वती नदी हिमालय पर्वत से बहुत तीव्र गति से बहती थी। सतलुज और यमुना इसके साथ-साथ बहती थीं लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे प्रकोप आए जिनकी वजह से सरस्वती नदी लुप्त हो गई। आज मेरे लोक सभा क्षेत्र आदि बद्री में विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय-समय पर रिसर्च किए हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में भी जगमोहन जी ने जो दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट में ली। उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी भी आदि बद्री में एक प्रदर्शनी में गए थे। हरियाणा सरकार के राज्यपाल महोदय ने भी वहां पर जा कर उसमें दिलचस्पी दिखाई। हरियाण सरकार ने 10 करोड़ रुपए सरस्वती नदी की रिवाइवल के लिए मंजूर किया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें खींची हैं उनसे यह बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि सरस्वती नदी आदि बद्री से होती हुई गुजरात तक पहुंची है। जोधपुर में खुदाई का कार्य हुआ, जहां पर 24 कुएं खोदे गए और उनमें से 22 कुओं में बहुत मीठा पानी मिला। भारत सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपनी सी.एस.आर., जो लैबिलिटी थी, उसके अंतर्गत इस विषय को लिया और वहां पर ड्रिलिंग का काम हुआ। वहां पर 14 कुएं खोदे गए। वहां पर भी पानी की धारा का प्रवाह मिला।

मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस मामले में इंटरविन करने के लिए और यह इंश्योर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरस्वती मां के रिवाइवल का जो केस है, यह केवल सरस्वती परियोजना के पुनर्जीवित होने से संबंधित नहीं है। हमारी जो सर्च है, यह लॉस्ट ऑफ सरस्वती रिवर के बारे में है, सर्च ऑफ लॉस्ट सिविलाइजैसंश हैं, सर्च फॉर लॉस्ट सिटिज है, जो शहर उस जमाने में बसा करते थे।

मैडम, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी माननीय सदस्य के पास अगर इस विषय में जानकारी है, मेरे पास इसके बारे में इतनी जानकारियां हैं कि मैं इस सदन में तीन घंटे तक इस संबंध में बोल सकता हूँ, समय-समय पर सरस्वती नदी पर जो शोध हुई हैं, चाहे वे फ्रांस के आर्कोलॉजिस्ट्स, जर्मनी के आर्कोलॉजिस्ट्स या वे हिन्दुस्तान के आर्कोलॉजिस्ट्स थे, समय-समय पर सबने अपनी फाइण्डिंग्स दी हैं और यह सिद्ध किया था कि कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया था कि यह एक कल्पना है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर यह साबित हो चुका है कि सरस्वती नदी भारतवर्ष में बहती थी और इसके लिए मैंने सरस्वती विकास अथॉरिटी गठन की मांग की है। मैं आपसे यह मांग कर रहा हूँ कि भारत माता के लाल, जन नायक नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी चुनाव सभा में, 3 अप्रैल को कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर यह घोषणा की थी कि अगर एन.डी.ए. की सरकार बनती है तो मैं मां सरस्वती के प्रोजेक्ट को आदि बंदी से ले कर गुजरात तक, इसकी रिवाइवल के लिए काम करूंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में जब मिलती हैं तो एक संस्कृति का निर्माण होता है।

मैडम स्पीकर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जब आप, माननीय मंत्री जी और भारत के प्रधान मंत्री जी, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, तीनों मिल कर भारत की इस प्राचीन संस्कृति की ओर ध्यान देंगे तो इस कार्य में जरूर प्रगति होगी और सरस्वती मां का जल फिर से भारत के अंदर बहेगा। यह टूरिज्म और भारत की बहुत-सी संस्कृति के लिए महान कार्य होगा।

माननीय अध्यक्ष : उज्जैन के डा. वाकन्कर जी ने कुछ संशोधन किए हैं। आप उन्हें भी देख सकती हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, हिमालय से गंगा, यमुना, सरस्वती और...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने सुझाव के बारे में कहा है। अगर आपके पास जानकारी हो तो दे दीजिए। मैंने दे दी है, आप भी दे दीजिए।

... (व्यवधान)

सुश्री उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदया, सरस्वती जी के बारे में माननीय सदस्य कटारिया जी ने जो कहा है, वह सच्चाई है कि अब सरस्वती नदी पौराणिक गाथाओं की बात नहीं है। उसके होने के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। इसमें सवारधिक गंभीरता से यदि किसी स्थान पर काम हुआ है तो वह गुजरात में हुआ है। वर्तमान प्रधान मंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सरस्वती नदी का जो पुराना परम्परागत रूट था, उसे साइंटिफिक मैथड से उसमें नर्मदा जी का जल छोड़कर एक प्रकार से उसके आस्तित्व को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। वर्तमान की जो स्थितियां हैं, यह सदन का वह समय है जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन हिमालय में सरस्वती के जो उदगम हुए, एक सरस्वती निकली और अलकनंदा में समा गई, वह सरस्वती बद्रीनाथ में दिखती है। एक सरस्वती निकली और केदारनाथ में मंदाकिनी में समा गई। एक सरस्वती की वह धारा है जो किसी ग्लेशियर से निकली है और बाद में उत्तराखंड क्रॉस करके हरियाणा से होती हुई गुजरात, राजस्थान से होती हुई अंत में त्रिवेणी में समाई। त्रिवेणी संगम से ठीक पहले आर्मी के पास इलाहाबाद का जो किला है, उसमें एक सरस्वती कूप मिलता है। उसे आज भी लोग सरस्वती कूप मानते हैं। जल संसाधन विभाग ने यह वाम ग्राउंड वाटर रीचार्ज करके हमारी एक स्वायत्तशासी संस्था को दिया है। हमने उन्हें कहा है कि आप सारी जानकारियों को एकत्रित कीजिए। माननीय सदस्य ने जो कहा है, भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह सपना है, उनकी इच्छा है और यह इच्छा पूरे विश्व के लोगों की है। सरस्वती थी, इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं। यह हमारी भी इच्छा है और हमारे मंत्रालय ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्चस्त करती हूँ कि हमारे मंत्रालय ने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि हमने ग्राउंड वाटर रीचार्ज को यह काम दिया कि आप ढूंढिए कि कहां से वह लुप्त हुई। अब

किस प्रकार उस मार्ग पर कूपों का खनन करके उस जल को मिलाकर जो अभी इलाहाबाद में सरस्वती नदी के कूप में मिलता है, अगर हम उसके 25 प्रतिशत गुण भी मिला सकें तो निश्चित रूप से विश्वास कर सकेंगे कि यही सरस्वती नदी का रूट है। इसमें हम बहुत गंभीर हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ही यह प्रयोग गुजरात में मुख्य मंत्री के रूप में किया। माननीय सदस्य ने जो इच्छा व्यक्त की है, मुझे पता है, यह पूरे सदन की इच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, स्वयं आपने भी अभी इस बारे में मेरा मार्गदर्शन किया है। हम अपने तरीके से कर रहे हैं कि इसमें जो मार्गदर्शन संभव हो, वह हो। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि सरस्वती नदी के रूट को खोज निकालें।...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदया, मेरे पास जो जानकारी है, वह मैं मंत्री जी को हैंड ओवर कर दूँ या आपको दे दूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रख दें या दे दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 724/16/14]

अपराह 12.14 बजे**सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित****(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2014⁶**

माननीय महोदय: अब, हम मद संख्या 13 को लेते हैं - श्रीमती मेनका संजय गांधी जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): अध्यक्ष महोदया, मैं विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवतदृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं, तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवतदृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं, तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए

⁶ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 12.08.2014 में प्रकाशित।

तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ।

अपराह्न 12.15 बजे**(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014^{7*}**

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कुछ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में नई जानकारी का विकास करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विश्व स्तर की जन शक्ति का उपबंध करने और ऐसी संस्थाओं से संबद्ध या उसके आनुषंगिक कुछ अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि कुछ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में नई जानकारी का विकास करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विश्व स्तर की जन शक्ति का उपबंध करने और ऐसी संस्थाओं से संबद्ध या उसके आनुषंगिक कुछ अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री पंकज चौधरी -- अनुपस्थित।

⁷ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 12.08.2014 में प्रकाशित।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे चित्रकूट जनपद में छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरे जनपद में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए न तो कोई मेडिकल कालेज है, न ही इंजीनियरिंग कालेज है और न ही कृषि महाविद्यालय है। कानून की पढ़ाई में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए भी कोई लॉ कालेज नहीं है। उन सभी छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर जनपदों में जाना पड़ता है, जिससे गरीब एवं मध्यम परिवार के छात्र एवं छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। सक्षम परिवार के छात्र तो दूर-दराज के गांवों में पढ़ लेते हैं, लेकिन कमजोर तबके के छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। इससे तमाम प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं। यहां तक कि जिला मुख्यालय कर्वी में एक मात्र राजकीय डिग्री कालेज है। वहां पर भी 700 की संख्या में छात्र एवं छात्राएं हैं, जबकि अध्यापक केवल एक हैं। ... (व्यवधान) इस तरह से वहां पर उच्च शिक्षा की दुर्दशा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक केन्द्रीय विद्यालय खोला गया है, लेकिन उसमें भी भवन नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : विद्यालय में छात्र टाट-पट्टी में बैठकर पढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है, इसलिए इतना लंबा-चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सदन में एक गंभीर मुद्दा उठाने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रवार 18 जुलाई, 2014 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित एक बहुमंजिली लोटस बिजनेस पार्क नामक रिहायशी इमारत को भीषण आग लग गयी। इस 22 मंजिली इमारत को सुबह करीब 9 बजे अचानक आग लग गयी और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। परन्तु आग बुझाने वाले दमकल कर्मी व दमकल की गाड़ियां करीब आधे घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंची। उस दौरान ऊपर की तीन मंजिलें पूरी तरह ध्वस्त हो गयी, जिससे करोड़ों रुपये की हानि हुई। जब दमकल कर्मी आग बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे तब येवलेकर नामक दमवल कर्मी की दर्दनाक मौत हो गयी तथा अन्य 16 कर्मी भी बुरी तरह से जखमी हो गये।

महोदया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी भयावह स्थिति से तुरंत निपटने के लिए सरकार के पास दमकल कर्मियों व यंत्रणा की कमी है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सेफ्टी मेजर्स करें, केवल इतना आपका सजेशन है। यह स्टेट मैटर है।

श्री गजानन कीर्तिकर : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गजानन कीर्तिकर : यदि कमी है, तो उसे शीघ्रता से दूर क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि ऐसी दुर्घटनाएं आये दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इमारतों को ग्लेज़िंग ग्लास लगाने का परवाना देना चाहिए। अगर नियम में सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की तरतूद की है, तो इस पर अब तक क्यों नहीं अमल हो रहा है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा लास्ट मुद्दा है। हमारी विनती है कि उपरोक्त गंभीर मुद्दे के बारे में सरकार विचार करे। इस बारे में भारत सरकार द्वारा नैशनल बिल्डिंग कोड घोषित किया गया है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। खासकर ग्लेज़िंग ग्लास बनायी गयी बिल्डिंग और आगे ऐसी बनने वाली बिल्डिंग्स की सुरक्षा के बारे में सरकार तुरंत कदम उठाये, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ओडिशा के मलकानगिरी, नबरंगपुर एरिया से आता हूं। यह सबसे पिछड़ा एरिया है। वहां पर बीएसएनएल की सेवा बहुत खराब है। मलकानगिरी जिले के सात ब्लॉक्स (माथिली, खैरफुट, पहिआ तथा कुड़मुत्तगुमा) में से चार ब्लॉक्स में न तो मोबाइल सेवा है और न ही इंटरनेट सेवा है। आजकल सब काम इंटरनेट पर ही होता है। यहां तक कि स्कूल में एडमिशन वगैरह भी इंटरनेट के ही जरिये हो रहा है। इन चारों ब्लॉक्स में इंटरनेट न होने के कारण वहाँ के कई छात्रों को और प्रशासन को असुविधा हो रही है। जैसे एडमिशन का इंटीमेशन नहीं मिल पाता है या नौकरी के लिए भर्ती की सूचना नहीं मिल पाती है। उन्हें कहीं से थोड़ी खबर मिलती है, तो उन्हें मलकानगिरि हेक्वार्टर जाना पड़ता है। वैसे ही नवरंगपुर एक जिला है, जहाँ पर चन्दाहाडी ब्लॉक, झरीगाम ब्लॉक, कोसामुझुडा और रायगढ़ ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक्स में भी इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा

नहीं है। वहाँ टावर्स थे, जो खराब पड़े हैं। सरकार ने उन टावर्स को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस वजह से निजी कंपनियाँ फायदा ले रही हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि इन सेवाओं को दुरुस्त करें।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बीएसएनएल से संबंधित बात पूरी हो गयी, कृपया बैठ जाइए।

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, राजस्थान सरकार की अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं द्वारा राज्य में अकाल की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए अल्पकालिक फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जाता है। चूंकि मध्यकालीन परिवर्तित ऋण अल्पकालीन फसली ऋणों का ही विस्तारित रूप है। अतः प्रभावित किसानों को मध्यकालीन परिवर्तित ऋण भी अल्पकालीन फसली ऋणों के ब्याज दर पर ही दिया जाना उचित होगा। नाबार्ड द्वारा इन ऋणों को पुनर्भरण पर ली जाने वाली वर्तमान ब्याज दर सवा सात प्रतिशत वार्षिक को भी परिवर्तित कर 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया जाए। भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज अनुदान के समकक्ष ही मध्यकालीन परिवर्तित ऋणों पर भी ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी, कृपया बैठ जाइए।

श्री चाँद नाथ : नाबार्ड द्वारा मध्यकालीन परिवर्तित ऋण की ब्याज दर भी अल्पकालीन फसली ऋण के समकक्ष ही निर्धारित किये जाने बावत निवेदन है। भारत सरकार द्वारा मध्यकालीन परिवर्तित ऋण पर भी अल्पकालीन फसली ऋण के समकक्ष ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाए। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने आपको माननीय सदस्य श्री चाँद नाथ द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री बिद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग की एक बहुत ही बड़ी योजना है। लेकिन प्रशासनिक अमले की निष्क्रियता के कारण यह योजना दम तोड़ रही है। आबंटित आवासों में नाम किसी का है और रहता कोई और है। प्रतीक्षा सूचियों में किसी व्यक्ति का नाम है,

लेकिन इंदिरा आवास किसी दूसरे को आबंटित कर दिया गया है। अभी हाल ही में, सीएजी की रिपोर्ट में वर्ष 2012-2013 में कहा गया कि इंदिरा आवास योजना के लिए झारखण्ड सरकार, केन्द्र सरकार से 256.42 करोड़ रुपए नहीं ले सकी। साथ ही आतिरिक्त बोझ के डर से 9.90 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है। जांच में चौदह प्रखण्डों में पाया गया कि 25.425 लाभांवितों का चयन ग्राम सभा के बिना हुआ। सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ कि 593 ऐसे लोगों को इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये, जिनके नाम बीपीएल सूची में नहीं हैं। गरीब लोग भूमि वितरण के अभाव में इस योजना से बाहर हो जाते हैं तथा हमेशा के लिए इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि ग्रामीण भारत की इस महत्वाकांक्षी योजना को विफल होने से बचाया जाए तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम. आई. शनवास (वायनाड): महोदया, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो भारत में लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।

पाया गया है कि पोल्ट्री फार्मों में मनुष्यों के लिए निर्धारित एंटीबायोटिक दवाओं की अत्यधिक मात्रा का उपयोग किया जा रहा है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एनरोफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग मनुष्यों में किया जाता है। लेकिन जब पोल्ट्री, मुर्गियों के लिए अत्यधिक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, तो यह मानव की प्रतिरोध क्षमता को प्रभावित करने वाला है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस समस्या को तुरंत नियंत्रित करने हेतु पोल्ट्री फार्मों में नमूनों की गहन जांच के साथ देशव्यापी जांच कराए तथा बिना चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन की एंटीबायोटिक दवाओं की आसान उपलब्धता और विशेष रूप से केमिस्टों से भारी मात्रा में खरीद को शीघ्र अति शीघ्र रोके।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, 5 मिलियन से अधिक भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं और अधिकांश भारतीय मध्य-पूर्वी देशों में हैं। और, मध्य-पूर्व राष्ट्रों के बीच, विभिन्न राज्यों के अधिकांश भारतीय सऊदी अरब में रह रहे हैं। सऊदी अरब में अधिकांश भूमि रेगिस्तानी क्षेत्र है। जैसा कि आप जानती हैं महोदया, हमारा भारतीय दूतावास सऊदी अरब के मध्य यानी रियाद में स्थित है। जेद्दा रियाद के पश्चिम की ओर है। दम्माम में हमारा कोई स्थायी वाणिज्य दूतावास नहीं है जहां पांच लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां रह रहे हैं। रियाद से दम्माम तक सड़क मार्ग से, दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। यह 500 किलोमीटर का सफर है। अब रियाद में स्थित हमारा भारतीय दूतावास सप्ताह में दो बार अर्थात् प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को वे दम्माम जा रहे हैं। वस्तुतः, हमारा भारतीय मिशन दम्माम में अनुपस्थित है।

इसलिए, आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है, हमें सऊदी अरब के दम्माम में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलना चाहिए, जो 24x7 कार्य करता हो।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी. राजेश और श्री पी.के. बीजू को डॉ. ए. संपत द्वारा उठाए द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से संबंधित हूँ, उसका नाम महान सूफी संत कबीर के नाम पर पड़ा है। वह भारत का इकलौता ऐसा लोक सभा क्षेत्र है, जो किसी संत के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसी संत कबीर की निर्वाण-स्थली आज बहुत उपेक्षित है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन मंत्रालय ही भारत का एक ऐसा मंत्रालय है, जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, लेकिन उससे संबंधित स्मारकों के रख-रखाव पर केवल 3.4 प्रतिशत पैसा ही खर्च किया जा रहा है। कबीर की निर्वाण-स्थली, जो पूरे भारत में धार्मिक एकता के बड़े जीवंत

उदाहरण के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है। ऐसी निर्वाण-स्थली को पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर डाले और उसका रख-रखाव सम्पूर्ण तरीके से करे।

[अनुवाद]

श्री एस. आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चेन्नई शहर में रेलवे पटरियों के आसपास के क्षेत्रों की सफाई नहीं की जाती है। बहुत सारे प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कप, कागज के कप और यात्रियों द्वारा फेंके गए अपशिष्ट पदार्थ लंबे समय तक वहीं रहते हैं। यदि दक्षिण रेलवे थोड़ी सी धनराशि खर्च करे तो इन क्षेत्रों की नियमित रूप से रोजाना सफाई की जा सकती है तथा इन्हें स्वच्छ रखा जा सकता है। दक्षिणी रेलवे द्वारा सफाई कर्मचारियों को तैनात किया जा सकता है अथवा प्रत्येक श्रमिक को एक निश्चित लंबाई निर्धारित करके इस काम को आउटसोर्स किया जा सकता है। दक्षिणी रेलवे इस उद्देश्य के लिए चेन्नई नगर निगम का सहयोग भी ले सकता है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाता हूँ कि एलिवेटेड एम.आर.टी.एस. ट्रैक और सभी स्टेशनों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। इससे हमारे चेन्नई शहर की छवि खराब होती है। मैं सरकार से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ। यह न केवल चेन्नई शहर बल्कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों के अन्य सभी शहरों और कस्बों पर भी लागू होता है।

[हिन्दी]

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र हरदोई के अंतर्गत 154, शाहाबाद से पिहानी मार्ग पर, आंझी रेलवे स्टेशन के निकट गेट नम्बर 32बी हावड़ा से अमृतसर मुख्य रेलवे मार्ग पर है, जिस पर हर पांच-दस मिनट में ट्रेन्स का संचालना होता है। गेट नम्बर 32बी से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर दो चीनी मिलें स्थापित हैं। गन्ना पेराई सत्र में कृषकों द्वारा ट्रैक्टरों एवं मिल-मालिकों द्वारा ट्रकों से गन्ना मिलों में पहुंचाया जाता है, जिससे गेट नम्बर 32बी पर आए दिन जाम लगा रहता है, जिससे क्षेत्रीय जनता, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों के आवागमन

में काफी परेशानी होती है। गेट नम्बर 32बी नगरपालिका परिषद क्षेत्र से मिला हुआ है। वहां फ्लाईओवर बनाने की आति आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया जनहित में गेट नम्बर 32बी पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती भावना गवली - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र दमोह में माइसेम सीमेंट नाम की फैक्टरी है, पहले यह बिड़ला ग्रुप की थी। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से नया-नया सांसद बना हूं। वहां पर तीन प्रकार की समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि वहां के जिन किसानों की जमीन ली गई थी और जो समझौता किया गया था, उसके अनुसार किसी को रोजगार नहीं दिया गया। दूसरी समस्या लेबर विभाग से संबंधित है। मैंने इस बारे में एक प्रश्न भी लगाया था। जिसके उत्तर में बताया गया है कि मल्टी नेशनल कम्पनी मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्यकारी नहीं है। वहां पर अभी दुर्घटना हुई और जितने लोग मारे गए, उनकी कोई सूची नहीं बनाई गई। इसके अलावा न उनके आश्रितों को क्या मुआवजा दिया गया, कुछ पता नहीं है। तीसरी समस्या यह है कि जो सड़कें वहां से निकली हैं, तो खनन के कारण बाधित हो गईं या बंद हो गईं। इनके अलावा चौथी सबसे बड़ी समस्या यह है कि डोलोमाइट का खनन करते हैं, 50 से 100 फीट गहरी खदानें हैं, जिनमें माइनिंग रूल्स का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण कई मवेशी भी मारे जा चुके हैं। इस बात को लेकर वहां के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यह मामला श्रम, पर्यावरण और माइनिंग विभागों से सम्बन्धित है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। मल्टी नेशनल कम्पनी रहना चाहती है, तो रहे, लेकिन कम से कम नियमों का तो पालन करे, ताकि गरीब लोगों को तकलीफ न हो।

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले से सम्बन्धित समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रामपुर मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। वहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है

कि पूरे जिले में बिजली के तार गड़बड़ा गए हैं, पुराने हो चले हैं, जिस कारण टूट जाते हैं। वहां पर जनरली 25 किलोवाट के ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, जो कि फुंक जाते हैं। इससे वहां पर काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। किसान दुखी है। दोबारा ट्रांसफार्मर्स लगाने में काफी समय लगता है और कभी-कभी तो उसमें भ्रष्टाचार भी होता है। केन्द्र से प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि बजाए 25 किलोवाट के ट्रांसफार्मर्स, जो लोड बढ़ने से फुंक जाते हैं, आधिक पावर के ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएं। जिससे यह समस्या खत्म हो सके और किसान को सिंचाई में सहायता मिल सके।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मार्फत पूरे देश का एक मामला रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। राष्ट्र में 3300 ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं, जहां पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर ट्रेन रोकने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय 30 सितम्बर तक है। यह सीजन अभी शायदियों का नहीं है, बल्कि बारिश का है। इस समय वहां यात्री भार कम रहेगा। इसलिए इस तीन महीने के एक्सपेरिमेंट के केलकुलेशन के आधार पर आगे कई स्टेशंस पर ट्रेंस का ठहराव नहीं हो पाएगा। लिहाजा इसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर तक किया जाए, ताकि यात्री भार का सही मूल्यांकन हो सके और उन रेलवे स्टेशंस की परफार्मेंस का पता लग सके।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे विषय पर माननीय आवास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आवास के लिए बनी हैं, वे उचित हैं और मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन आज गरीब की रेखा और उसके नीचे की जीवन शैली को पुनपरिभाषित करने की जरूरत है। आज सामान्य वर्ग में और आति पिछड़े वर्ग में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, जो अत्यंत गरीबी में, आश्रयविहीन और नारकीय स्थिति में जीवन जी रहा है। उसकी आंख के सामने अनेक को ऐसे आवास मिलते हैं, जो आज पात्रता से ऊपर उठ गए हैं, जबकि वह टुकर-टुकर देखता रहता है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वे सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग के ही क्यों न हों, सरकार को सबको आवास उपलब्ध कराए जाने की जो नीति है। उसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास तथा आवास मंत्रालय से पृथक रूप से आवास देने की नीति बनाने की सिफारिश करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी, श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाए गए उपरोक्त विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मैं हमारे देश में खादी उद्योग की वर्तमान स्थिति के संबंध में कुछ शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। खादी से जुड़ा हमारा स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास है। लेकिन वर्तमान में खादी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिल रही है। कार्यबल और कार्य के दिन भी दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। खादी उद्योग में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक कार्यरत हैं। इसलिए, हमें खादी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

जहां तक केरल का संबंध है, खादी क्षेत्र में पहले छूट थी और वे खादी उत्पादों को बेच पाते थे। किंतु, इसे अब केंद्र सरकार ने रोक दिया है। इसके बजाय एक नया तंत्र शुरू किया गया है, जो ज़रूरी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह छूट को पुनः लागू करें और खादी क्षेत्र को कुछ राहत प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू, एम.बी. राजेश और डॉ. ए. संपत को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जी. हरी (अरक्कोणम): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने अरक्कोणम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

मैसूर-चेन्नई गारुदाथरी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 16203) वर्तमान में 9.15 बजे तिरुत्तनी स्टेशन पर पहुंचती है, जबकि पहले आगमन का समय 8 बजे का था। समय में इस बदलाव के कारण ऑफिस जाने वाले हजारों लोग, छात्र और सरकारी अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि नए समय के कारण उन्हें असुविधा हो रही है। मैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे मैसूर-चेन्नई गारुदाथरी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 16203) का तिरुत्तनी पर आगमन का समय फिर से सुबह 8 बजे करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें।

इच्चिपुथुर रेलवे स्टेशन अरक्कोणम और तिरुत्तनी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित है। स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने के अलावा इच्चिपुथुर रेलवे स्टेशन को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए। इच्चिपुथुर रेलवे स्टेशन के पास कई उद्योग और कॉलेज चल रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इच्चिपुथुर रेलवे स्टेशन पर सभी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई.एम.यू.) का ठहराव होना चाहिए।

चेन्नई से अरक्कोणम तक सभी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ई.एम.यू.) को तिरुत्तनी तक बढ़ाया जाना चाहिए, विशेष रूप से सुबह और शाम के घंटों के दौरान। वर्तमान में तिरुत्तनी से सुबह 7 बजे से सुबह 9.40 बजे के बीच चेन्नई की ओर कोई ट्रेन सेवा नहीं है। पहले यह आश्वासन दिया गया था कि तिरुत्तनी से चेन्नई के लिए सुबह 8 बजे एक ई.एम.यू. चलाई जाएगी। मैं आग्रह करता हूँ कि बढ़ती मांग और तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तिरुत्तनी से चेन्नई की ओर सुबह 8 बजे एक ई.एम.यू. चलाई जाए। इसी तरह, सुबह और शाम के समय चेन्नई और अरक्कोणम के बीच संचालित सभी ई.एम.यू. को शोलिंगर बनवरम रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे मेरे अरक्कोणम निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इन मुद्दों पर गौर करें।

***श्री आर.के.भारती मोहन (मयिलादुतुरई) :** माननीय अध्यक्ष, महोदया वणक्कमा मैं अपने मइलादुथरई निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। उत्तर भारत में बारह साल में एक बार 'कुंभ मेला' मनाया जाता है। इसी तरह 'महा महाम' एक त्योहार है जो 12 वर्षों में एक बार मइलादुथरई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुंभकोणम में मनाया जाता है। पवित्र डुबकी लगाने के लिए इस विशाल आयोजन के दौरान इस कुंभकोणम टैंक में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और लोग यहां इकट्ठा होते हैं।

वर्ष 2004 में 'महा महाम' के दौरान माननीय मुख्यमंत्री पुरात्वी थलाइवी अम्मा जी ने तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं और सुरक्षा सुनिश्चित की थी। '2004-महा महाम' एक बड़ी सफलता

⁸ मूलतः तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण

थी और लोगों के मन में आज भी उस भव्य आयोजन की सुखद यादें हैं। अगला 'महा-महाम' फरवरी, 2016 के दौरान आयोजित किया जाएगा। मैं इस विशाल आयोजन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की मांग करता हूँ। भारत में तीन पवित्र कुएं हैं - उत्तर में काशी, मध्य में कुंभकोणम का महा महाम और दक्षिण में रामेश्वरमा। अतः मेरा अनुरोध है कि कुंभकोणम की ओर और अधिक ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जाना चाहिए। कुंभकोणम में केंद्र सरकार द्वारा यात्री निवास का निर्माण किया जाना चाहिए। मैं यह भी आग्रह करता हूँ कि कुंभकोणम को इसके सांस्कृतिक संबंध के महत्व और विभिन्न मठों, मंदिरों और वैदिक स्कूलों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए 'हेरिटेज सिटी' घोषित किया जाना चाहिए।

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं ग्रामीण भारत में स्वच्छता की समस्या के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। एक डब्ल्यू.एच.ओ. और यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 65 प्रतिशत ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं, अपराध की समस्या बढ़ रही है, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध सीधे तौर पर स्वच्छता सुविधाओं की कमी से जुड़ा हुआ है तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 88 प्रतिशत मौतें दस्त के कारण होती हैं।

भले ही हमारी केंद्र प्रायोजित योजना निर्मल भारत योजना मौजूद है, लेकिन इसके लिए बहुत कम धनराशि आबंटित की गई है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए स्वच्छता और पेयजल के लिए केवल 3,000 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए अधिक धन आबंटित करने का आग्रह करता हूँ।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान एक महत्वाकांक्षी योजना ग्वालियर-शिओपुर नैरोगेज से ब्रॉडगेज के कंवर्जन के प्रोजैक्ट्स की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। ये ग्वालियर लाइट रेलवे के द्वारा 100 साल पूर्व स्थापित की गयी थी और ये 200 किलोमीटर की ट्रैक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नैरोगेज स्थापित हो चुकी है। इस पर 10 घंटे सफर करने में लगते हैं और इसमें हमारे यात्री छत के ऊपर बैठकर सफर करते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसके विकास और प्रगति के लिए जब मेरे पूज्य पिताजी रेल मंत्री थे तो वर्ष 1988 में एक सर्वे कराया था। करीब 360 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट बना था। उसके बाद किसी कारणवश यह प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हो पाया। वर्ष 2006 में इस प्रोजेक्ट का यूपीए सरकार के समय में मैंने सर्वे करवाया था और माननीय ममता बैनर्जी जी तत्कालीन रेल मंत्री थीं। वर्ष 2011 रेल बजट में यह प्रोजेक्ट करीब 2000 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत हुआ था। 25 मार्च 2010 को रेल राज्य मंत्री मुनियप्पा जी मेरे साथ शिवपुर गये थे। इसका हमने शिलान्यास भी उस समय वहां किया था और फाइनल लोकेशन सर्वे भी वर्ष 2012 में हो चुका था। माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी जो आज कैबिनेट मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस रेल में सफर किया है जब मुरैना के वे उस समय सांसद थे।

आज यह आश्चर्य और दुख की बात है कि हमें कहा जा रहा है, हमें सूचित किया जा रहा है कि पोजीशन ऑफ पेंडिंग एस्टीमेट्स में यह प्रोजेक्ट सरकार द्वारा ड्रॉप करने के लिए रखा गया है। यह एक आदिवासी क्षेत्र है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और जब सरकार के किसी मंत्री ने इसका शिलान्यास भी कर दिया और पिक बुक में ममता बैनर्जी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी तो यह एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य होगा कि अगर इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी एवं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यूपी.ए. सरकार ने अंतरिम रेल बजट इस प्रोजेक्ट के लिए बीस करोड़ रुपये आबंटित भी किये थे और अगर यह प्रोजेक्ट ड्रॉप किया गया तो उस क्षेत्र की जनता के प्रति यह घोर अन्याय होगा, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं कपड़ा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र महाराजगंज में गणेश शुगर मिल है जो पहले राजा रामजयपुरिया के पास थी। 1988 में सुप्रीम कोर्ट से लड़कर एनटीसी ने उस मिल को लिया था और जब तक राजा रामजयपुरिया की सिक्योरिटी, बैंक गारंटी चलती रही, 1988 से लेकर वर्ष 1994 तक वह मिल फायदे में चलती रही। उसके बाद जब बैंक गारंटी मांगी गयी तो मात्र साढ़े तीन लाख बैंक गारंटी न भारत सरकार ने दी और न एनटीसी ने दिया तथा उस मिल को बीमार घोषित करके वाइंड-अप कर दिया। वाइंड-अप करके कोर्ट ने मात्र तीन करोड़ 80 लाख रुपये में सेल करने को कहा। आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस मिल पर पूरा ध्यान दिया जाए क्योंकि जिसके पास 400 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी है, पूरी व्यवस्था है, उसको चलवाने का प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. अहलूवालिया (दार्जिलिंग) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बंगाली भाषा में बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं उत्तर बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं इस सम्मानित सदन में एक अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ। राजबोंशी और कामतापुर के लोगों की भाषा 'कमतापुरी' है। हर आदमी के दिल में मातृभाषा के लिए हमेशा एक विशेष स्थान होता है। आदमी अपनी मातृभाषा बोलते और सुनते हुए बड़ा होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, तब अंग्रेजी कार्यकारी भाषा थी। इसलिए भारतीयों ने सभी आधिकारिक उद्देश्यों और अनुदेश के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करना शुरू कर दिया था।

मैं बंगाली में इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मातृभाषा के बारे में बात कर रहा हूँ। लाखों कामतापुरी लोग उत्तरी बंगाल और असम में रहते हैं। वे अपनी भाषा के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, चूंकि ब्रिटिश शासकों ने अंग्रेजी का उपयोग किया और कार्यकारी मातृ भाषा अंग्रेजी थी, इसलिए हम भारतीय सभी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने में अधिक सहज हो गए। लेकिन भारतीय

⁹ मूलतः बांग्ला में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण

संविधान की आठवीं अनुसूची में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की गणना की गई है। हालांकि कामतापुरी की अपनी लिपि है, अपना भाषाई इतिहास, सांस्कृतिक पहचान है, वे आठवीं अनुसूची में अपनी भाषा को शामिल करने में सफल नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि महोदया, कम-से-कम दूरदर्शन और समस्त भारतीय रेडियो कामतापुरी भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण कर सके ताकि उनकी विशिष्ट पहचान दूर-दूर तक फैले। कामतापुर के लोग, राजबोंगशी छात्र भगत सिंह के बारे में जानते और पढ़ते हैं लेकिन उनकी पाठ्य पुस्तकों में बीर चिलाराय के बारे में कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई भी भारतीय बीर चिलाराय के योगदान से अवगत नहीं है। इस प्रकार मेरी मांग है कि सरकार की पाठ्य पुस्तकों में कामतापुरी और राजबोंगशी की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत के बारे में भी उल्लेख किया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूँ कि कामतापुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बलिया) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐतिहासिक गांव शेरपुर, रेवतीपुर और गहमर हैं। इन गांवों के 50,000 से अधिक लोग सेना में आज भी कार्यरत हैं और हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहां बीच में गंगा नदी है इसलिए शेरपुर, रेवतीपुर को जोड़ने के लिए पक्के पुल की जरूरत है। इसके नहीं होने से यहां के लोगों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है। शेरपुर गांव के लोगों ने 18 अगस्त, 1942 को स्वर्गीय शिव पूजन राय जी की अगुआई मोहम्मदाबाद में शहादत दी थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ऐसे वीरों के इलाके में गंगा नदी पर पक्का पुल बनाकर शेरपुर, रेवतीपुर और गहमर गांव को जोड़ने का काम करे।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे इस ब्रह्मांड का आस्तित्व पंच तत्वों से मिलकर बना है वैसे ही भारत की आत्मा गीता, गंगा, गरीब, गांव और गाय में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने को यदुवंशी कहते हैं और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उनके शासनकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी गाय सुरक्षित नहीं है। ... (व्यवधान) यह उत्तर प्रदेश का मामला

नहीं है, यह गाय का मामला है।...(व्यवधान) मेरे चुनाव क्षेत्र में डेरवा बाज़ार में खुले आम गाय की हत्या हो रही है और सारे अपराधी इनके संरक्षण में गाय की हत्या कर रहे हैं।...(व्यवधान) डेरवा बाज़ार में दिन दहाड़े गाय की हत्या हुई है, जब एफ.आई.आर करवाई गई, वहां की सरकार ने, वहां के जिला प्रशासन ने केवल एनीमल नार्मल हत्या में मुकदमा करके, एफ.आई.आर. दर्ज करने का काम किया है।...(व्यवधान) सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में भगवान शिव के नाम से बैलों को...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनको बिठा दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह मामला यहां नहीं उठता है। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)^{10*}

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान) देश में आधिकांश राज्यों में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में भारी असमानता दिखाई दे रही है। मेट्रो पोलिंग शहर में तो शासकीय चिकित्सा के साथ निजी चिकित्सा का विस्तार हुआ है लेकिन देश के एक बड़े भू भाग में बेहतर चिकित्सा के लिए लोगों को 100 से 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उनको बिठा दिया है। यह यहां नहीं हो सकता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गणेश सिंह जी आप बोलिए।

¹⁰ कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : मैं विशेष रूप से अपने मध्य प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र का जिसमें सतना, रीवा, सीधी, शहडोल लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल है लेकिन मरीजों की इतनी लंबी कतारें हैं कि अस्पतालों में जमीन पर भी जगह नहीं मिलती। लंबे समय से जिला चिकित्सालय के उन्नयन की मांग की जा रही है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ गणेश सिंह जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : जिला अस्पताल 400 बिस्तरों का स्वीकृत है लेकिन अभी तक मात्र 300 बिस्तर ही रनिंग पर हैं। जिला अस्पताल में हृदय रोग परीक्षण की कोई सुविधा नहीं है और पूरे क्षेत्र में हर रोज हृदय रोग की बीमारी से लोगों की मौत हो रही है। जिला अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष की कमी के कारण लोगों को इलाज हेतु नागपुर, लखनऊ, मुंबई, या दिल्ली जाना पड़ता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के कुछ जिलों की जिला अस्पताल को अपग्रेड करने तथा मेडिकल कालेज खोलने की योजना बनाई है। मैं आपके माध्यम से सतना जिला अस्पताल को 500 बिस्तर एवं चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाने की मांग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री गणेश सिंह : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए मेरे लोक सभा क्षेत्र में जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की घोषणा करें।

अपराह्न 12.50 बजे**नियम 377 के अधीन मामले^{11*}**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और वो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर विषय का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल उन विषयों को उस रूप में माना जाएगा जिनके लिए विषय का पाठ निर्धारित समय के भीतर तालिका में प्राप्त हुआ है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

¹¹. सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) असम के शिवसागर जिले में पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण और उनके
आरक्षण की आवश्यकता

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट): असम में शिवसागर जिले में, 550 से अधिक ऐतिहासिक स्थान हैं। प्राचीन काल से लेकर अहोम राजवंश के शासन तक, असम पर कई स्थानों पर कई राजाओं ने शासन किया। शिवसागर उन स्थानों में से एक है जहां कई राजाओं ने शासन किया था। उन्होंने पूजा स्थलों की स्थापना की और बड़े तालाबों, सड़कों, पत्थर पुलों, किलों, राजाओं और शाही व्यक्तियों के कब्रिस्तानों का निर्माण किया। दुर्भाग्यवश पुरातत्व विभाग के साथ-साथ राज्य सरकार के तहत केवल 45 स्थान आते हैं। शिवसागर में स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास और सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अब, जिला प्रशासन द्वारा एक पहल की गई है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि पुरातात्विक विभाग और राज्य सरकार द्वारा कवर नहीं की गयी ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। यदि इन ऐतिहासिक स्मारकों को अब संरक्षित नहीं किया गया तो प्रकृति की अनियमितताओं और असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। यह सरकार की अपनी नीति पी.पी. विधा द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल होगी और स्मारकों को संरक्षित किया जाएगा। इसलिए मैं संबंधित मंत्री जी से इस मामले पर गौर करने का आग्रह करता हूँ।

(दो) उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार के वित्तीय हिस्सेदारी को जारी किये जाने और राज्य में सहकारी बैंकों के लाइसेंस की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): कोऑपरेटिव बैंकों का देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा किसानों के स्वावलम्बन में बड़ी भूमिका रही है। कुप्रबंधन के कारण उ.प्र. के 16 जिला कोऑपरेटिव बैंक बन्द होने के कगार पर हैं जिसके कारण लाखों किसान प्रभावित हो जाएंगे और उनका हजारों करोड़ रूपया डूब जाएगा। इस संबंध में वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा प्रो. ए. वैद्यनाथन के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित पैकेज के अनुसार उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंकों के लिए राज्य सरकार द्वारा 265.68 करोड़ रूपये तथा भारत सरकार द्वारा 1545.69 करोड़ रूपये की सहायता दी जानी थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि दे दी गई किंतु भारत सरकार द्वारा मात्र 623.41 करोड़ रूपये ही जारी किए गए। आर्थिक बदहाली के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार उ.प्र. के 50 बैंकों में से 16 का लाइसेंस रद्द हो गया है। ऐसी स्थिति में इन बैंकों में जमा की गई किसानों की पूंजी न मिलने के कारण किसान बदहाल हैं और सामान्य नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ग्रामीण किसानों तथा सामान्य जनता को अत्यधिक सुविधा मिलती रही है। व्यापक जनहित में मेरा विनम्र आग्रह है कि :-

1. भारत सरकार द्वारा अब तक जारी नहीं किए गए 922.28 करोड़ रू. की धनराशि आविलंब जारी की जाएं।
2. 35 ए, बी.आर. एक्ट 1949 के तहत जारी दिशा-निर्देश वापस लिए जाएं ताकि लाइसेंस के बिना चल रहे 16 जिला कोऑपरेटिव बैंकों को राहत मिल सके।
3. उक्त 16 बैंकों के लाइसेंस के लिए समय-सीमा बढ़ाई जाए।

(तीन) महाराष्ट्र में वर्धा और देवली नगरों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा): मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के एम.आई.डी.सी. देवली में स्थापित कुछ मिलें एवं कई अन्य रोलिंग मिलें प्रदूषण फैला रही हैं साथ ही साथ वर्धा में भी रोलिंग मिलें काफी प्रदूषण फैला रही हैं।

इन दोनों जगहों पर स्थित रोलिंग मिलों के साथ-साथ अन्य औद्योगिक इकाईयां प्रदूषण फैला रही हैं जिसके कारण आसपास 10 किमी. की परिधि में निवास करने वाले आम नागरिकों, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है एवं वे अनेक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ इन प्लांटों में काम करने वाले कामगारों की कार्यावधि में असामयिक मृत्यु (दुर्घटना) होती रही है किंतु कोई भी मुआवजा मृतक के परिवार को नहीं मिलता है।

माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से वर्धा एवं देवली को प्रदूषणमुक्त शहर घोषित करने हेतु जो भी उचित कदम हो वे उठायेँ साथ ही साथ प्लांट में हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुए कामगारों के आश्रितों को मुआवजे के साथ-साथ नौकरी भी दिलाने की कृपा करें।

(चार) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हीरा उद्योग के विकास हेतु उपाय किये जाने की
आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हीरा उद्योग में कार्य करने वाले मजदूरों को सरकार की ओर से कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही है। पूरे भारत के हीरा उद्योग में 80 प्रतिशत लोग मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और 30 लाख लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है और काफी मात्रा में हीरे के निर्यात से हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। भारत में इस उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की काफी संभावनाएं हैं।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में हीरा उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के लिए उन्हें कम लोन पर ब्याज दिलाया जाए, उन्हें समुचित मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए एवं हीरा उद्योग में काम करने वाले लोगों को सुविधा दिलाए जाने हेतु योजनाएं बनाई जाएं।

(पाँच) संघ सेवा लोक आयोग की परीक्षा में पाली भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किये

जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामन नवाशा वांगा (पालघर): पाली एक भारतीय भाषा है। यू.पी.एस.सी. ने संशोधित परीक्षा स्वरूप में 23 वैकल्पिक साहित्य विषय प्रस्तावित किए हैं। इनमें से, 22 ऐसी भाषाएँ हैं जो संविधान की 8^{वीं} अनुसूची से संबंधित हैं। इसे चुनने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार पाली साहित्य श्रेणी में वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरा सबसे लोकप्रिय विषय था। लेकिन, दुर्भाग्य से पाली को वर्ष 2013 यू.पी.एस.सी. परीक्षा से अन्य विदेशी भाषाओं के साथ वैकल्पिक विषयों की सूची से हटा दिया गया है। पाली एकमात्र भारतीय भाषा है जिसे वैकल्पिक साहित्य की सूची से हटा दिया गया है। हटाई गई अन्य सभी भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। इसलिए, मैं संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि पाली को यू.पी.एस.सी. परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में तुरंत सूचीबद्ध किया जाए।

(छह) झारखंड में सोन वैली सीमेंट्स लिमिटेड को पुनः चालू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैसर्स सोन वैली सीमेंट्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। देश में यह एक प्राचीनतम वेट प्रोसेस सीमेंट प्लांट है। वर्ष 1992 से यह सीमेंट प्लांट बंद पड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं तथा काम के अभाव में पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ तक कि नक्सलियों के दस्ते में सम्मिलित होने के लिए विवश हो रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस फैक्टरी को शीघ्रतिशीघ्र खुलवाने की कृपा करें ताकि गरीब मजदूरों का जो बकाया है, उसका भुगतान हो सके और मजदूर पलायन के लिए मजबूर न हो एवं नक्सलियों के दस्ते में सम्मिलित होने के लिए विवश न हो। फैक्टरी खुलवाकर सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करे, यही अनुरोध है।

(सात) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिये
उपाय किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : हमारे देश में जातियों में एक वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट वर्ष 2006 के अनुसार जिसकी देश में 41 प्रतिशत आबादी आती है। ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में वर्णित हैं और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा से प्रयासरत हैं। उदाहरण के लिए ओबीसी रोजगार और उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण के हकदार हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकार घोषित कानून एवं नियमों के अनुसार समुचित कदम उठाए।

(आठ) हिन्दी टंकण के लिए सभी प्रकार के 'फॉन्ट्स' में एक समान की-बोर्ड और हिन्दी आशुलिपि के लिये भी एकरूप चिह्न और संकेतक सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : मैं एक अति महत्व के विषय को सदन में उठाने की अनुमति चाहता हूँ जो कि देश की मातृभाषा हिन्दी के संबंध में है।

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि हिन्दी टाइपिंग और शार्टहैंड की लिपि को हर कुछ वर्षों के बाद बदल दिया जाता है जबकि अंग्रेजी भाषा की टाइपिंग और शार्टहैंड की लिपि वर्षों से एक ही है। लेकिन हिन्दी भाषा की टाइपिंग और शार्टहैंड की लिपियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यह पूरे विश्व क्या भारत में ही कई तरह से लिखी और टाइप की जाती है।

हिन्दी की टाइपिंग कई फोन्ट्स पर आधारित है जिससे कि विद्यार्थी अनेक तरह के की-बोर्ड्स पर टाइपिंग सीखते हैं जो कि सर्वमान्य नहीं होती। इस वजह से विद्यार्थियों एवं हिन्दी भाषा-भाषियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपमानित भी होना पड़ता है।

आजकल इंटरनेट में भी हिन्दी भाषा का बहुतायत में प्रचलन है, किन्तु इंटरनेट में भी इसी प्रकार की समस्या से आम जनता को दो-चार होना पड़ता है।

अतः मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार अंग्रेजी लिपि की टाइपिंग और शार्टहैंड एक ही है, उसी प्रकार हिन्दी की टाइपिंग और शार्टहैंड की लिपि एक जैसी होनी चाहिए जिससे कि हिन्दी जानने सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को अपमानित न होना पड़े और हिन्दी भाषा को हो रहे लगातार नुकसान से बचाया जा सके।

(नौ) उत्तर प्रदेश में 'राबर्ट्सगंज' संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर 'सोनभद्र' किये जाने की
आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : जब देश गुलाम था और गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ कराह रही थी तब हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जाबांज सिपाहियों ने इस वतन के बलिवेदी पर अपने जीवन की आहुति देकर इस देश को आजाद करवाया। तब से आज तक अंग्रेजों का रखा हुआ नाम अभी भी राबर्ट्सगंज ही है। मतलब सीधे-सीधे अंग्रेजों के नाम से है।

मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज का नाम बदलकर सोनभद्र संसदीय क्षेत्र किया जाये। उत्तर प्रदेश में स्थिति भारत सरकार के उपक्रमों का नाम राबर्ट्सगंज के स्थान पर समस्त अभिलेखों में सोनभद्र उल्लेख किया जाये जिससे कि सोनभद्र के लोगों को अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम राबर्ट्सगंज की जगह सोनभद्र हो सके। और सभी निकायों में स्थित भारत सरकार के उपक्रमों तथा रेलवे स्टेशन, डाकघर, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य विभागों द्वारा सभी अभिलेखों में सोनभद्र का नाम करने वास्ते सभी अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें तथा जिसके लिए प्रभावित कार्यवाही माननीय अध्यक्ष महोदया आपके स्तर से प्रार्थनीय है।

अतः सादर अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज का नाम बदलकर सोनभद्र संसदीय क्षेत्र किया जाये ताकि अंग्रेजों के रखे हुए नाम से जनता को मुक्ति मिल सके।

(दस) बिहार के बेगूसराय जिले में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : बिहार का बेगूसराय जिला पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक होते हुए भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों की पर्यटन की सूची में अभी तक उसे स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। 7वीं, 8वीं शताब्दी में बंगाल के पालवंश की सरकार की यह राजधानी रही है और यहां सैनिक मुख्यालय भी रहे हैं। मंगलागढ़ जहां सैनिक छावनी थी, विजय की देवी सर्वमंगला माँ यहां आज भी लाखों बिहारवासियों की आस्था के केन्द्र के रूप में स्थापित है। यह नौलागढ़ पालवंश की राजधानी थी, जो आज खंडहर है। इतिहास की भंगिमाओं को अपने गर्भ में लिए हुए हरसान में अभी भी कई जगहों पर हरे-भरे टीले हैं, जिसके द्वारा दुश्मनों की तोह ली जाती थी। एक विशाल जंगल का भू-भाग भी था, पर इंसान के पेट ने सबों को अपने गर्भ में समा लिया है। बीरपुर के बरहपुरा में बसहावैल के साथ शिव की मूर्ति खुदाइ से प्राप्त हुई है। अभी भी खुदाई में दिल्ली सल्तनतकालीन मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नूरजहां बंगम के द्वारा निर्मित बेगूसराय में नूरसराय मस्जिद चांद और तारों को झांकता है। बेगूसराय हिन्दुत्व और इस्लाम की संयुक्त परिवार की भूमि है। यहां बुद्ध भी आये थे और कई दिनों तक यहां ठहरे थे। यहां गुरु गोविन्द सिंह जी असम में उस समय व्याप्त तनाव को शांत करने जाते वक्त यहां रुके थे। ऐतिहासिक प्रेरणादायक पर्यटक स्थल रहते हुए भी बेगूसराय न तो बुद्ध सर्किट में है, न रामायण सर्किट में है। बल्कि उसकी घोर उपेक्षा हुई और यह ब्रगूसराय की उपेक्षा नहीं है बल्कि उन ऐतिहासिक संदर्भों की जिनके बिना देश का सांस्कृतिक इतिहास अधूरा है उनकी भी घोर उपेक्षा हो रही है। मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह बेगूसराय के जयमंगलागढ़, नौलागढ़, बरइपुरा एवं विष्णुपुर के नौलखा मंदिर को पर्यटन स्थल में शामिल कर उसे पर्यटक स्थल घोषित करने की कृपा करें।

(ग्यारह) लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन चलाने और इस ट्रेन के आगमन और प्रस्थान
समय को पुनर्निर्धारित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : हिंगोली महाराष्ट्र का पिछड़ा हुआ जिला है। भगवान शिव जी के 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक ज्योर्तिलिंग श्री औढा नागनाथ मेरे क्षेत्र में आता है। यहां देश भर से हर साल एक करोड़ भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ ही श्री संत नामदेव जी जिन्होंने कीर्तन के माध्यम से भागवत धर्म पंजाब पहुंचाया, उन महान संत का जन्मस्थल नर्सीनामदेव भी इसी क्षेत्र में आता है और यहां पर पंजाब से लाखों भक्तगण दर्श के लिए आते हैं। इन धार्मिक क्षेत्र से आने वाले भक्तों को मुंबई जाने के लिए हिंगोली से हफ्ते में केवल अंजनी (नागपुर) लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस रेल है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दुर्गम जिले से मुंबई जाने के लिए इस रेल को प्रतिदिन शुरू किया जाए इससे आने वाले भक्तों को होने वाली असुविधा दूर हो जाएगी। इसके साथ ही यह रेल शाम 7 बजे हिंगोली से निकलकर सुबह 7 बजे तक मुंबई पहुंचे इस तरह का बदलाव रेल की समय सारणी में किया जाए।

(बारह) नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. महेंद्रन (पोल्लाची): मेरे पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, लगभग 92000 हेक्टेयर क्षेत्र नारियल की खेती के अंतर्गत आता है। दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून की विफलता के कारण, पानी का स्तर कम हो गया है। अपर्याप्त पानी और रखरखाव की उच्च लागत के कारण, नारियल पैदा करने वाले किसान गंभीर संकट में हैं। अतः कोपरा का उत्पादन कम हो रहा है। मानसून की विफलता के कारण केवल 50% कृषक ही बड़ी कठिनाईयों के साथ नारियल की खेती करने में सक्षम हैं।

भले ही 2,02,000 मीट्रिक टन कोपरा का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नाफेड द्वारा तय कोपरा का समर्थन मूल्य केवल 52.50 रुपये प्रति किलो है, जबकि खुले बाजार में आज के दिन इसका व्यापार लगभग 110 रुपये प्रति किलो पर हो रहा है इसलिए, खरीद मूल्य को नाफेड द्वारा बाजार स्तर या कम से कम 108 रुपये प्रति किलो तक बढ़ाना होगा।

यदि बजट वर्ष 2014-215 में घोषित कृषि मूल्य बाजार स्थिरीकरण निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो नारियल उत्पादकों के लिए यह बहुत मददगार होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नारियल उत्पादकों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए हैं। केन्द्र सरकार को कोपरा का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए।

(तेरह) तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र
स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. पार्थिवन (थेनी): मेरा थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आम, कटहल और केले की खेती के लिए जाना जाता है। चूंकि यह केरल की सीमा से सटे स्थान पर स्थित है, इलायची, काली मिर्च और लौंग बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। धान, नारियल और बागवानी की फसलें भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इस क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के अलावा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आम और अंगूर के लिए एक कोल्ड स्टोरेज और एक जूस कारखाना स्थापित करने का आग्रह करता हूँ।

(चौदह) कोलकाता मेट्रो को पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बारुईपुर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता

प्रो. सुगत बोस (जादवपुर): नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से न्यू गोरिया तक कोलकाता मेट्रो के विस्तार का कार्य चल रहा है। शहरीकरण की तीव्र गति के लिए आवश्यक है कि न्यू गोरिया को बारुईपुर शहर से जोड़ा जाए - लेकिन दोनों स्थान जादवपुर संसदीय क्षेत्र से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वर्ष 2009 में ही, तत्कालीन रेल मंत्री ने मेट्रो को बारुईपुर तक विस्तारित करने की घोषणा की थी। ग्रेटर कोलकाता के शहरी क्षेत्र में अवसंरचना विकास के हित में उस कार्य को तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है।

(पंद्रह) पुणे मेट्रो परियोजना हेतु धनराशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैं सरकार का ध्यान पुणे शहर में यातायात की परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण यह एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। कई महत्वपूर्ण सड़कों पर जाम और भारी रुकावटों की खबरें बहुत आम बात हैं। मानसून की शुरुआत के साथ ही यह समस्या और भी बदतर हो जाती है। एक एन.जी.ओ. द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि व्यक्तिगत वाहनों की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा केवल 19 प्रतिशत है। शहर में सार्वजनिक और गैर-मोटरयुक्त परिवहन का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता है। यातायात की भीड़ न केवल यात्रियों के लिए असुविधा लाती है बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। परिवेशी वायु प्रदूषण पर प्रकाशित प्रतिवेदन जो शीर्ष 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 31 भारतीय शहरों को 2.5 माइक्रोन से छोटे कणों की उच्चतम सांद्रता के साथ रैंक करती है। सूची में पुणे उन शहरों में से एक है। मेट्रो सुविधा जैसी एक स्थायी और किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है जो यातायात की भीड़ को कम करेगी और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करेगी। भले ही पुणे भारत का सातवां सबसे बड़ा महानगरीय शहर है और देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है, फिर भी इस बजट में पुणे मेट्रो के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह इसके आबंटन पर फिर से विचार करे और पुणे मेट्रो के लिए धन आबंटित करने का प्रावधान करे।

(सोलह) मैथिली भाषा को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैथिली भाषा को भारत सरकार द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कई वर्ष पूर्व शामिल कर लिया गया लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल 15 भाषाओं का प्रकाशन भारतीय मुद्रा पर रिजर्व बैंक करता है। परंतु यह गौरव मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद भी नहीं मिला है, इतना ही नहीं है, भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत ऐसी कार्य योजना है, जिसमें 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद मैथिली भाषा को, यथोचित सम्मान की दरकार है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मैथिली भाषा को उचित प्रतिनिधित्व व सम्मान दिलाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

(सत्रह) केन्द्रीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए बढ़ाए गए शुल्क को वापस लिये जाने की

आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शुल्क में बदलाव किया है। यह वर्तमान शुल्क के दोगुने से भी अधिक है। संगठन का निष्कर्ष यह है कि कुछ श्रेणियों के अभिभावक शुल्क प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। उस आधार पर संगठन ने सभी छात्रों की फीस बढ़ा दी। संशोधित आदेश के अनुसार परियोजना क्षेत्र के तहत केन्द्रीय विद्यालय डिफरेंशियल फीस स्ट्रक्चर को लागू करने के लिए अधिकृत हैं। कक्षा ग्याहरवीं-बाहरवीं के लिए पूर्व-संशोधित शुल्क निम्नानुसार था: शिक्षण शुल्क - 400 रुपये, कंप्यूटर शुल्क - 100 रुपये, वी.वी.एन. योगदान - 300 रुपये संशोधित फीस ट्यूशन फीस 400 रुपये, कंप्यूटर फीस - 150 रुपये, वी.वी.एन. योगदान - 500 रुपये. केरल के अधिकांश स्कूलों में फीस संरचना इस प्रकार है: ट्यूशन फीस - 900 रुपये, एस.एस.एस. - 1500 रुपये, कंप्यूटर फीस- 450 रुपये यह फीस संरचना स्पष्ट रूप से अधिक वृद्धि और असमानता को दर्शाती है। फीस वृद्धि से छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

इसलिए, मैं सरकार से फीस वृद्धि को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूँ।

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैया नायडू): अध्यक्ष महोदया, मैं सभा से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि कल हमने अप्रेंटिस विधेयक का मुद्दा उठाया था और उस पर विचार होने जा रहा है। विधि मंत्री ने संविधान संशोधन विधेयक के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। मैं अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूँ कि पहले इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाए, क्योंकि इसमें समय लगेगा। हमें मैनुअल मतदान करना होगा। शाम को एक कार्यक्रम है जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। इसलिए, मैं अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूँ कि पहले न्यायिक आयोग विधेयक की अनुमति दी जाए और उसका निपटान करने के बाद हम श्रम प्रशिक्षु विधेयक पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, एक बिल पैडिंग है, जो डिस्कशन चल रहा है, उसके लिए हमने तो आपसे रिक्वैस्ट की थी कि उस अप्रेंटिसशिप बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और अगर आपको यह लेना है तो इसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया तो वहां पर चर्चा हो जायेगी और वह सैटल हो जायेगा।

दूसरी चीज यह है कि नियम 388 में आप फिर एक बार उन्हें एगजैम्पशन दे रहे हैं आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं। यह तीसरी बार है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं करना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : करना चाहिए, लेकिन कितनी बार करना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर हमेशा कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है तो फिर हम लोग कैसे उसकी तैयारी करेंगे, हमें भी दिक्कत है।

श्री एम. वैकैया नायडू : ऐसा कोई हमेशा नहीं होता है, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह तीसरी बार है।

श्री एम. वैकैया नायडू : खड़गे जी, आप बहुत अनुभवी हैं, सरकार में आये हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपके जितना अनुभवी नहीं हूँ, मैं यहां दूसरी बार आया हूँ। फिर भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यही तरीका है कि एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हो।

श्री एम. वैकैय्या नायडू : इसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है, यह जनता के हित में है, देश के हित में है, इसलिए तो हम लोग इसे ला रहे हैं। आप पहले कह रहे थे कि बिजनेस नहीं है, अब जब बिजनेस लाये हैं तो आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम दोनों मिलकर यहां जो कानून लायेंगे, उस कानून को पारित करेंगे। वह देश के हित में होगा, जनता खुश हो जायेगी। इसलिए इसे होने दीजिए, बाद में देखेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप नियम और प्रोसीजर के तहत करो। आपके पास कोई एजेन्डा नहीं है, इसीलिए आप सभी बिल बुलडॉज करेंगे, यह भी ठीक नहीं है।

श्री एम. वैकैय्या नायडू : हम लोग बुलडॉज करने वाले नहीं हैं। हमारे पास झंडा भी है और एजेन्डा भी है और जनता ने हमें मैनडेट भी दिया है। मेरा कहना यह है कि यह महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया आप इसे पास करने में हमारी मदद कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सहयोग दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अब हम मद संख्या 16क पर बात करेंगे।

अपराह्न 12.54 बजे**नियम 388 के निलंबन के बारे में प्रस्ताव**

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि एवं न्याय मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 को विचार करने तथा पारित करने के लिए, लिए जाने के प्रस्ताव, जहां तक यह संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पर आश्रित है, लागू करने के संबंध में निलंबित करती है।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 को विचार करने तथा पारित करने के लिए, लिए जाने के प्रस्ताव, जहां तक यह संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पर आश्रित है, लागू करने के संबंध में निलंबित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.55 बजे**संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014****(नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंतःस्थापन)****तथा****राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014**

माननीय अध्यक्ष : इससे पहले कि हम संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के विचारार्थ प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा आरंभ करें, चर्चा के लिए समय आबंटित किया जाना चाहिए। यदि सभा की सहमति हो तो हम इस चर्चा के लिए दो घंटे आबंटित कर सकते हैं। क्या यह इसके लिए पर्याप्त है?

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, सफिशिएंट टाइम दीजिए। ... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : मैडम, तीन घंटे का समय दीजिए, उसमें डिस्कशन हो जाएगा और उसमें आधा घंटा कुशन के लिए होगा। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। तीन घंटे आबंटित किए जाते हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ^{12*}:

“कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

तथा

“कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने और उनके स्थानांतरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने का उपबंध करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

महोदया, मैं वास्तव में माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों, श्री खड़गे और विपक्ष के अपने अन्य सहयोगियों के लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक महत्व के विधेयक को इस महती सदन के विचारार्थ रखने की अनुमति दी।

मैं इस विधेयक के औचित्य पर बाद में आता हूँ लेकिन, मैं बहुत शुरुआत में दो प्रारंभिक अवलोकन करना चाहूंगा। हम सभी न्यायपालिका की संस्था के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं। हम सभी न्यायपालिका की महान संस्था की स्वतंत्रता और अखंडता पर पूरा भरोसा करते हैं। अपने बारे में बोलते हुए, मैं इस सभा के साथ यह साझा करना चाहूंगा कि हममें से कई लोगों ने अपने छात्र जीवन के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं सत्तर के दशक का उल्लेख कर रहा हूँ जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दबाव था, जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर दबाव था। मैं इस सभा को यह बताते हुए बहुत आश्चर्य हूँ कि वर्तमान सरकार के कई सदस्य, जिनमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं, उस संघर्ष में सबसे

^{12*} राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

आगे रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था।

जब हम न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बचाते हैं, तो हम न केवल यह चाहते हैं कि यह वास्तव में स्वतंत्र हो, बल्कि हम न्यायपालिका की हिम्मत की भी सराहना करते हैं, उसे पूरी तरह से निडर होने देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्वतंत्र न्यायपालिका वास्तव में हमारी संवैधानिक शासन योजना और हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार है।

आज जब मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में खड़ा होकर ऐसे ऐतिहासिक विधेयक पर बहस की शुरुआत कर रहा हूँ, तो मुझे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महान निर्णयों को भी सलाम करना चाहिए, जिन्होंने भारत में विधि के शासन की नींव रखी है, जिस तरह से उन्होंने गरीबों और वंचितों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई संस्थाओं का विकास किया है, जनहित याचिकाओं का वास्तविक उपयोग किया है और यदि कार्यपालिका सहित किसी भी वर्ग द्वारा ज्यादतियां हुई हैं, तो वे अनुचितता या भ्रष्टाचार के मामले में हुई हैं। ये हमारी लोकतांत्रिक साख का असली आधार हैं कि आज न्यायपालिका सम्मान के लिए एक संस्था के रूप में मौजूद है। लेकिन यह विधेयक क्यों लाया गया है? यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसे भी साझा करना चाहूंगा।

मैं यहां सबसे पहले एक अन्य मुद्दे को दूर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ टिप्पणियां देखी हैं कि हम विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर रहे हैं। मैं पूर्ण बल और जिम्मेदारी के साथ इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 'नहीं', हम विधेयक को पारित करने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदया, आज हम जो कर रहे हैं, वह मूलतः पिछले बीस वर्षों के अभ्यास का परिणाम है। कितने प्रयास किए गए हैं, मैं गिनता हूँ। वर्ष 1990 में 67वें संविधान (संशोधन) विधेयक, वर्ष 1997 में 82वें संविधान (संशोधन) विधेयक, वर्ष 2003 में 98वें संविधान (संशोधन) विधेयक और 120वें संविधान (संशोधन)

विधेयक, न्यायिक नियुक्तियों का एक घटक विधेयक 2013 था जिसे तत्कालीन सरकार ने लाने की कृपा की थी। इसलिए, जहां तक न्यायपालिका की नियुक्तियों का संबंध है, संविधान में संशोधन करने के लिए पिछले बीस वर्षों में कम से कम चार प्रयास हो चुके हैं।

अतीत में कितनी रिपोर्ट आई हैं? आज मैं इसे इस सम्मानित सभा के साथ साझा करना चाहता हूँ। वर्ष 2003 में न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग का गठन हुआ था। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया जी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, एक बहुत ही प्रख्यात न्यायाधीश थे। वर्ष 2007 में श्री वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि वे यहां उपस्थित हैं या नहीं, जिसने सिफारिश की थी कि किसी भी रूप में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए तथा कॉलेजियम प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। वर्ष 2008 में अपनी 214वीं रिपोर्ट में भारत के कानून आयोग ने अपनी सिफारिश की थी। मैं बाद में इसका उल्लेख करूंगा।

न्यायाधीश (जांच) विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक पर 28वीं रिपोर्ट और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु पर 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसलिए, पिछले कुछ वर्षों में संविधान संशोधन के लिए चार प्रयास किए गए हैं और विभिन्न समितियों द्वारा सात सिफारिशों की गई हैं, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, और मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सभा से आज कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मैं ऐसा करूँ। जब संविधान निर्माण हुआ तो बड़ी बहस हुई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विभिन्न तरीके सुझाए गए। तीन तरीकों पर गहन जांच की गई। क्या माननीय राष्ट्रपति जी को खुद नियुक्तियां करनी चाहिए? क्या माननीय राष्ट्रपति जी को कार्यपालिका के परामर्श से नियुक्तियां करनी चाहिए? क्या माननीय राष्ट्रपति जी को संसद के परामर्श से नियुक्तियां करनी चाहिए? या माननीय राष्ट्रपति जी को

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्तियां करनी चाहिए? ये वास्तव में बड़े मुद्दे थे जो बहुत चिंता और विचार के विषय थे।

महोदया, अंततः डॉ. अम्बेडकर जी ने अपने बहुत ही प्रेरक और प्रखर शब्दों में कहा कि नहीं, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को उचित श्रेय और महत्व दिया जाना चाहिए, और कार्यपालिका को भी इसमें अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए, उच्चतम न्यायालय के लिए अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 217 को *अन्य बातों के साथ-साथ* यह कहते हुए अधिनियमित किया गया था कि माननीय राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, और ऐसा करते समय वह निश्चित रूप से मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेंगे। और उच्च न्यायालय के लिए ऐसा करते समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श भी किया गया था। इसलिए, यह कार्यपालिका और न्यायपालिका का उचित संतुलन था।

महोदया, मैं यहां मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के बारे में डॉ. अंबेडकर जी को उद्धृत करना चाहूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डॉ. अंबेडकर जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वे भारत के सबसे बेहतरीन दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी उत्कृष्ट योग्यता, उनकी समझ और संविधान के क्रियान्वयन तथा निर्माण में उनका योगदान वास्तव में महान है। और मैं संसद के कई युवा सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया डॉ. अम्बेडकर जी के जीवन को पढ़ें।

मैं संविधान सभा की बहस से डॉ. अंबेडकर जी को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, "मुख्य न्यायाधीश की सहमति के प्रश्न के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, वे मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता और उनके निर्णय की सुदृढ़ता पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन आखिरकार मुख्य न्यायाधीश में वे सभी कमियां, वे सभी भावनाएं और सभी पूर्वाग्रह हैं जो हम आम लोगों में होते हैं। और मैं समझता हूँ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक रूप से वीटो देने

का अर्थ वास्तव में मुख्य न्यायाधीश को वह अधिकार हस्तांतरित करना है, जिसे हम माननीय राष्ट्रपति जी या तत्कालीन सरकार को देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह भी एक खतरनाक प्रस्ताव है। "इसलिए, डॉ. अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय बहुत स्पष्ट किया था। आज भारत के कानून मंत्री के रूप में, इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश करते समय, मैं डॉ. अंबेडकर जी, श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने भारत की राजनीति की वास्तविक बुद्धिमत्ता को समझा कि इसमें एक स्वस्थ मिश्रण होना चाहिए, अर्थात्, माननीय राष्ट्रपति जी के पास अनियंत्रित शक्तियां नहीं होनी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश के पास भी अनियंत्रित शक्तियां नहीं होनी चाहिए; इनके बीच स्वस्थ समन्वय और परामर्श होना चाहिए। इसने बहुत अच्छे से काम किया।

जब हमने प्रतिबद्ध न्यायपालिका के बारे में सुना तो कुछ उतार-चढ़ाव आए। यह एक बिल्कुल अलग अध्याय है। आज, भारत के लोगों ने भारत की राजनीति पर विश्वास करना सीखा है। उनके पास शक्ति और अधिकार हैं। वे किसी भी राजनीतिक नेता और किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, चाहे वह राज्यों में हो या केंद्र में। निश्चित रूप से, भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता उभरी है जो संसद की सर्वोच्चता, संसद के सम्मान और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता को भी मान्यता देती है। इसी तरह वर्षों से इसका विकास हुआ है।

आज मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। मुझे वाजपेयी सरकार में कनिष्ठ स्तर पर विधि मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में वकालत करता रहा हूँ। मुझे जे.पी. आंदोलन और आपातकाल विरोधी संघर्ष में लड़ने वाले एक कार्यकर्ता होने के अलावा, वर्षों से न्यायपालिका के कार्यों को देखने का अवसर मिला। वर्ष 1950 से, वर्ष 1993 तक, निकाय ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। कभी-कभी, तनाव होता था।

आज, भारत में न्यायाधीश के रूप में कोई पूर्व-कोलेजियम नियुक्त नहीं है। यदि मैं कहीं गलत हूँ तो श्री कल्याण बनर्जी जी मुझे सही कर सकते हैं। वर्ष 1993 के बाद उन सभी को कोलेजियम पद्धति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उस पर मैं अलग से बात करूँगा। आज मैं इस माननीय सदन में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे

पास वी. आर. कृष्ण अय्यर जी जैसे न्यायाधीश क्यों नहीं हैं? हमारे पास एच. आर. खन्ना जी जैसे न्यायाधीश क्यों नहीं हैं? आज, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। मैंने एच. आर. खन्ना जी का नाम क्यों लिया है, इसका कारण यह है। वर्ष 1970 के दशक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत दबाव था। ए.डी.म. जबलपुर शुक्ला मामले में, जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, तो मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बंदी को जेल में मार दिया जाए तो भी कोई उपाय नहीं है, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद रखा। मुझे याद है न्यू यॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में लिखा था, यदि कभी भी लोकतंत्र भारत में लौटेगा, तो भारत को एच. आर. खन्ना जी के लिए सोने की पट्टिका खड़ी करनी चाहिए। यह भारत के न्यायाधीशों की परंपरा रही है। ...
(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): पहले न्यायमूर्ति बिजान मुखर्जी का नाम लीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: बिजान मुखर्जी, विवियन बोस, पतंजलि शास्त्री, एस. आर. दास - वे महान हस्तियां हैं। ... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले न्यायमूर्ति बिजान मुखर्जी का नाम लें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं आपसे सहमत हूँ इसलिए, हमें न्यायाधीशों की महानता पर बहुत गर्व है।

जब मैं यहां बोल रहा हूँ, तो मैं आप सभी के साथ यह बात साझा करना चाहता हूँ कि इसमें खामियां भी रही हैं। न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह जी पांच साल तक जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे। मैं उन्हें आधुनिक न्यायशास्त्र का ऋषि कहता हूँ। उन्होंने कानूनों की व्याख्या पर किताबें लिखी हैं और उन्हें एक प्राधिकार की तरह उद्धृत किया जाता है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जी.पी. सिंह जी उच्चतम न्यायालय में नहीं आ सके। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मोहम्मदअली करीम चागला 11 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन वे भी उच्चतम न्यायालय नहीं आ सके। वह एक प्रतिभाशाली न्यायाधीश हैं, मैं उन्हें यहां सलाम करता हूँ।

वर्ष 1993 में एक फैसला आया। वह क्या फैसला था? अनुच्छेद 24 के अनुसार माननीय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। वास्तव में, मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ कि निर्णय का सार यह है कि मुख्य न्यायाधीश माननीय राष्ट्रपति के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। इस तरह यह पलट गया। मुझे यह कहते हुए खेद है। संदेश क्या था? यह है कि आपके पास केवल सूचित करने के लिए एक अनौपचारिक व्यवस्था होगी। आप प्रस्तुत प्रस्तावों पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं, और यदि कॉलेजियम अपने विवेक से निर्णय को दोहराने का निर्णय लेता है, तो यह आपके लिए बाध्यकारी होगा। इसलिए, कार्यपालिका की भूमिका बहुत सीमित हो गई। हां, उन्हें उनसे परामर्श करने का अधिकार मिला है, अर्थात्, सूचित करने का। लेकिन इसे इस तरह से दोबारा पढ़ा गया।

महोदया, यह विषय बार-बार आया है। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि यह सम्पूर्ण चिंता किस प्रकार व्यक्त की गई। पहली चिंता सरकार की ओर से आई, जिसने अनुच्छेद 143 के तहत 'द्वितीय न्यायाधीश मामले' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को संदर्भ देने की मांग की। वर्ष 1998 में, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? इसने 'दो न्यायाधीशों वाले मुख्य न्यायाधीश' को 'चार न्यायाधीशों वाले मुख्य न्यायाधीश' तक बढ़ा दिया। तो, यह पांच हो गया। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली ने कहा, 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, हमारे पास ये सिद्धांत स्थापित हैं।

महोदया, मैं कहता हूँ - और मुझे लगता है कि पूरा सभा मेरे साथ है - कि हम सभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता चाहते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब मैं 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' कहता हूँ, तो मुझे दोहराना होगा कि संसद की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसकी हम सभी को सराहना करनी चाहिए। संसद में बैठकर, हम इसके बारे में बात करते हैं। हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं; हम भारत की विविधता, भारत की आशा, आकांक्षा और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं; और हम सभी यहां इस दृष्टिकोण से आए हैं कि जब हम इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं, तो हम कार्यपालिका की जवाबदेही चाहते हैं, और हम भारत के लोगों की चिंता को भी प्रतिबिंबित करते हैं।

निश्चित रूप से, संसद की सर्वोच्चता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जबकि मैं कहता हूँ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, अधिकारों का पृथक्करण समान रूप से एक मूल संरचना है; यह भी संविधान का एक हिस्सा है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र, संसद की अखंडता, स्वतंत्रता, सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता के साथ-साथ लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए लोकतंत्र कार्य करता है।

मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि सरकार का न्यायपालिका के साथ किसी भी प्रकार का टकराव करने का कोई इरादा नहीं है - नहीं, बिल्कुल नहीं। हम न्यायपालिका का आस्था के रूप में सम्मान करते हैं। लेकिन जब हम इस विधेयक को लेकर आए हैं, तो हम केवल यह दोहराना चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, जिस पर समय-समय पर कई आयोगों, स्थायी समितियों द्वारा व्यापक परामर्श के साथ विचार किया गया है।

महोदया, मैं इस माननीय सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मुद्दे को समय-समय पर किस प्रकार व्यक्त किया गया है। विधि आयोग की 85^{वीं} रिपोर्ट थी। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इसे रिकार्ड में दर्ज करना चाहता हूँ और उद्धृत करता हूँ:

"यह समिति जानती है कि इस स्थिति के लिए संघ कानून मंत्रालय दोषी नहीं है। क्योंकि नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की प्रक्रिया की शुरुआत अब कार्यपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का परिणाम है, हालांकि यह संविधान में परिकल्पित नहीं था। न्यायिक नियुक्ति की जिम्मेदारी अब न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। न्यायाधीशों के रिक्तियों को भरने में देरी के लिए संघ कानून मंत्री जी संसद के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनकी कोई भूमिका नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में एक ऐसी शक्ति पढ़ी, जो उसे संविधान के पाठ द्वारा नहीं दी गई थी, और वह है न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का मूल उद्देश्य सराहनीय था, लेकिन न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की विशेष शक्ति प्राप्त करने का तरीका सवालों के घेरे में है।"

विधि आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है।

महोदया, स्वर्गीय न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा जी, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे, जिन्होंने वर्ष 1993 का निर्णय लिखा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था:

"मेरे वर्ष 1993 के फैसले को, जो इस क्षेत्र पर आधारित है, बहुत गलत समझा गया और इसका दुरुपयोग किया गया। इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि पिछले कुछ समय से फैसले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें अनुचित नहीं कहा जा सकता। अतः किसी प्रकार के पुनर्विचार की आवश्यकता है। मेरा निर्णय कहता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया मूल रूप से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संयुक्त या भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया है, दोनों इसमें भाग लेते हैं।"

न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा जी, जिन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना करते हुए वर्ष 1993 का निर्णय लिखा था, स्वयं इस बात की आलोचना कर चुके थे कि उनके निर्णय को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा गया है और उसका उचित उपयोग नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदया, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया जी, जो एक प्रतिष्ठित मुख्य न्यायमूर्ति हैं, श्री वाजपेयी जी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित संविधान समीक्षा आयोग का नेतृत्व कर रहे थे। मैं विपक्ष के अपने मित्रों को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि बी.जे.पी. में हम पहले दिन से ही राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के समर्थक रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों की राय वर्ष 1993 से पहले की स्थिति पर जाने की रही है, लेकिन वाजपेयी सरकार के दौरान भी हमारी प्रतिबद्धता यही थी। वर्ष 2009 में भी हमारी प्रतिबद्धता यही थी। वर्ष 2014 लोक सभा चुनाव के दौरान भी हमारे घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग चाहते हैं। इसलिए, जहां तक इस बात का संबंध है, हम काफी सुसंगत रहे हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): फिर आप एक संक्षिप्त विधेयक क्यों ला रहे हैं? ... (व्यवधान) यह एक संक्षिप्त विधेयक है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं उस पर आऊंगा।

महोदया, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब श्री खड़गे जी की पार्टी ने भी इसे विधेयक के एक प्रावधान के रूप में लाया था और बाकी एक अलग साधारण विधेयक था। इसे दूसरे सभा ने पारित किया और फिर यह लोक सभा में आया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया, तो उसने पूरे ढांचे को संविधान में लाने की सिफारिश की और सुझाव दिया कि एक सामान्य विधेयक मत लाइए। स्थायी समिति ने नियुक्ति की प्रक्रिया आदि निर्धारित करके सामान्य विधेयक में सुधार की भी सिफारिश की। निष्पक्षता से कहें तो पिछली सरकार ने भी इस विधेयक पर लोक सभा में एक संशोधन पेश किया था, लेकिन सभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक निरस्त हो गया था। मैंने उस विधेयक को वापस ले लिया है।

वर्तमान विधेयक में, जिसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा गया है। एक बार जब मैं चर्चा के दौरान सभी तर्कों को सुनूंगा तो मैं इसका विस्तृत उत्तर दूंगा। परन्तु अध्यक्ष महोदया, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि जब मैं विधि मंत्री बना तो मैंने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया और सबसे पहली बात जो मैंने तय की वह यह थी कि मैं प्रतिष्ठित लोगों के साथ उचित नए विचार-विमर्श करूंगा। मैंने सबसे पहले एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता से परामर्श किया था। मैंने एक बैठक बुलाई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वी. एन. खरे, पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री सोली सोराबजी, श्री फली नरीमन, श्री शांति भूषण, श्री के. परासरन, श्री के. के. वेणुगोपाल, श्री के. टी. एस. तुलसी, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, प्रो. माधव मेनन, श्री उपेंद्र सिंह, श्री अनिल बी. दीवान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बीर सिंह जी, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल, श्री अरुण जेटली, एक प्रख्यात वकील की हैसियत से, सभी आए और मैंने बैठक की अध्यक्षता की। एक को छोड़कर सभी ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का समर्थन किया। बहुत से लोग नहीं आ सके, लेकिन मुझे याद है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जी.बी. पटनायक जी ने मुझे फोन करके यह कहा कि वह नहीं आ सकते, लेकिन वह इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी देते हैं। श्री

पी.पी. राव जी, श्री अशोक देसाई जी, श्री टी.आर. अंध्यारुजिना जी, श्री हरीश साल्वे जी और श्री जी.एन. वाहनवती जी, सभी ने इसका समर्थन किया। यह सबसे संभव व्यापक परामर्श था। इसके बाद, एक कानून मंत्री के रूप में मैंने भारत में राजनीतिक दलों के 26 प्रमुखों को व्यक्तिगत पत्र लिखे और उनकी राय मांगी। महोदया, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्री मुलायम सिंह जी और राम गोपाल जी दोनों ने इस पहल का समर्थन किया। राम विलास पासवान जी की पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। सी.पी.आई, सी.पी. (एम), सुधाकर रेड्डी जी और श्री प्रकाश करात जी ने मुझे पत्र लिखा। श्री तारिक अनवर जी यहाँ हैं। श्री शराद पावर जी ने मुझे पत्र लिखा। महोदया मायावती जी ने मुझे पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदया, जयललिता जी... (व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड): कुछ आपत्तियां भी हैं। आप सिर्फ यह न कहें कि हमने आपको पत्र लिखा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं उस पर आऊंगा। आपको बोलने का अधिकार है और मैं इसका जवाब दूंगा। मैं केवल यह बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैं उस पर आऊंगा। मुझे बस पांच मिनट और दें।

मैं माननीय ममता जी और माननीय जयललिता जी दोनों का सम्मान करता हूँ। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैंने उन्हें संबोधित करने की कोशिश की है। उस पर मैं अलग से बात करूंगा। मैंने माननीय सोनिया जी को भी पत्र लिखा था। मुझे यकीन है कि उनके दल के विचार मुझे पता चल जाएंगे मैं समझता हूँ कि वह अपने विचारों को व्यक्त करेंगी। श्री शराद यादव जी ने मुझे पत्र लिखा। लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मुझे पत्र लिखा था। महोदया, मैं आपको पूरी निष्पक्षता के साथ बताना चाहता हूँ कि कुछ सुझाव दिए जा चुके हैं। हमने कुछ सुझावों की भावना को स्वीकार किया है और दूसरों के बारे में जब सदस्यों द्वारा मुद्दे उठाए जाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। वर्तमान स्वरूप क्या है और यह अंतिम मुद्दा है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करेंगे। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। विधि मंत्री होंगे। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन माननीय प्रधान मंत्री जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता या लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा किया

जाएगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग से होगा। यही पूरा स्वरूप है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों के पदों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार और कर्तव्य मिला है। वे क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, यदि वह सक्षम हो, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा।

फिर, उनकी शक्तियों और विनियमों का ब्योरा दूसरे विधेयक में तैयार किया गया है जिसे मैंने अलग से पेश किया है और जिस पर इस विधेयक के साथ विचार किया जाना है। यह क्या कहता है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। संविधान में निर्धारित पात्रता मानदंड के अलावा, यदि वे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करते हैं, तो वरिष्ठता के अलावा उसकी योग्यता और मेरिट पर भी विचार किया जाएगा। इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

उच्च न्यायालय के मामले में, नाम मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा, जो दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा विनियमन द्वारा निर्धारित किये जा सकने वाले अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। ऐसा क्यों? हमारे पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसमें लगभग 100 न्यायाधीश हैं और हमारे पास सिक्किम उच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय हैं जहां न्यायाधीशों की संख्या कम है। हमारे पास कलकत्ता उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय है जहां संख्या अधिक है। इसलिए, विनियमन द्वारा यह तय किया जाए कि मुख्य न्यायाधीश को कितने अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमन के अनुसार उस उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकीलों पर भी विचार करेंगे।

कानून में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित नामों पर उस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के विचार भी अलग से होंगे, जो आयोग के पास जाएंगे। जब मैं 'राज्यपाल' कहता हूँ तो मेरा

तात्पर्य संवैधानिक अर्थ में राज्यपाल से है, जिसे मुख्यमंत्री जी की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है।

आयोग उच्च न्यायालय के लिए भी नामों की सिफारिश कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से उसी प्रकार अनुमोदन लेना आवश्यक है।

महोदया, अंत में, मैं दो और बातें कहना चाहता हूँ। यदि आयोग के दो सदस्य सिफारिश का विरोध करते हैं, तो यह लागू नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका, मुख्य न्यायाधीश, दो माननीय न्यायाधीशों को प्राथमिकता देते हुए, मुख्य न्यायाधीश प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति करने वाले तीन सदस्यीय समूह के सदस्य भी होते हैं और उच्च न्यायालय के प्रमुख भी होते हैं।

इसमें एक और प्रावधान है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। तथापि, यदि भारत के राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी कारणवश अनुरोध करते हैं, तो आयोग उस पर विचार करेगा और यदि आयोग उस पर विचार करता है तथा अपनी पूर्व राय को दोहराता है, तो वह सर्वसम्मति से होनी चाहिए। यह प्रावधान केवल भारत में सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी अर्थात् भारत के राष्ट्रपति को उचित सम्मान देने के लिए है।

महोदया, यह विधेयक का संक्षिप्त स्वरूप है। मैं बहस सुनते ही अन्य मुद्दों का जवाब दूंगा। आखिर में, मुझे इस सभा से एक अपील करनी है। मैं इस सभा का सदस्य नहीं हूँ, तथापि मैं पिछले 14 वर्षों से दूसरी सभा में हूँ। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि लोक सभा भारत की सबसे बड़ी पंचायत होती है। कानून पारित करने के अलावा और सरकार बनाने के लिए पार्टी को बहुमत देने के अलावा, एक पंचायत के रूप में यह भारत की आकांक्षा, भारत के उल्लास और भारत के आग्रह को प्रतिबिंबित करती है। इस सदन की यही गौरवशाली परंपरा है।

उस परंपरा के साथ, आज मैं इस सभा से अपील करता हूँ कि सभी विचारों से ऊपर उठकर इस उद्देश्य पर एक महान एकता दिखाएं कि यह सभा यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प

लेता है कि न्यायपालिका की गरिमा ठीक से बनी रहे और हमारे पास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया हो। मेरी इस सभा से यही अपील है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत विनम्रता से इस महान सदन के विद्वान सदस्यों से अपील करता हूँ कि यह सदन देश की चेतना, राजनीति, लोकनीति और आशाओं का प्रतीक है, आज का दिन ऐतिहासिक है, आप समर्थन करेंगे।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

तथा

“कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने और उनके स्थानांतरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने का उपबंध करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): महोदया, हमने विधेयक में कुछ संशोधनों के लिए नोटिस दिया है और उन पर विचार किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद अपराह्न दो बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(डॉ. एम. तंबिदुरै पीठासीन हुए)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। भारत के राष्ट्रपति अपराह्न 6.15 बजे संसद भवन में एक समारोह के लिए आ रहे हैं। सदस्यों को अपराह्न 5.45 बजे तक अपनी सीटों पर बैठना होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार प्रदान करना है। ऐसी स्थिति में, हमें सभा की कार्यवाही अपराह्न 5.30 बजे स्थगित करनी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, विधेयक पर बहस और चर्चा को उसी तरीके से समायोजित करना होगा क्योंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है जिसका अर्थ होगा कि हमें चार बार मतदान करना होगा, वह भी मैन्युअल रूप से पर्चियां बांटकर क्योंकि सीट आबंटन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे एक-एक वक्ता को खड़ा करें तथा समय की बाध्यता को भी ध्यान में रखें। मुझे अन्यथा कोई समस्या नहीं है। इस सभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्य सभा में और फिर माननीय राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा तथा हमारे पास समय बहुत कम बचा है। इसलिए मैं पूरी सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखें और तदनुसार सहयोग करें।

अपराह 2.04 बजे

संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014

(नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंतःस्थापन)

तथा

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014... जारी

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में, ये दोनों विधेयक - एक संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा नियमित विधेयक - बहुत महत्वपूर्ण और अद्वितीय विधेयक हैं। माननीय विधि मंत्री जी ने न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र तथा इन वर्षों के इतिहास के बारे में भी बताया।

थोमस जेफरसन ने कहा है कि राजा या कार्यपालिका से न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र की इच्छा की स्वतंत्रता कम से कम गणतंत्रवादी सरकार में एक क्षतिपूर्ति है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का महत्वपूर्ण मुद्दा एक विवाद बन गया है। वास्तव में, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति होनी चाहिए थी। यह बात राजनीतिक कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की पृष्ठभूमि में नहीं कही जानी चाहिए थी। यह अच्छा रुझान नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस प्रकार का टकराव एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विशेष रूप से वर्ष 1993 के बाद, इस प्रस्ताव को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया है? इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि कोई विरोध या मनमुटाव न हो। हमें एक निश्चित सर्वसम्मति पर पहुंचने की आवश्यकता है ताकि व्यापक रूप से यह न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यकारी दोनों द्वारा स्वीकार्य हो।

मुझे याद है कि वर्ष 2003 में ही हमने इस संबंध में एक संविधान संशोधन और एक विधेयक भी पेश किया है। वर्ष 2008 से ही, हम इस विधेयक पर काम कर रहे हैं। वास्तव में, जब मैं कानून मंत्री था, मैंने बहुत सारे राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किए थे, जिनमें प्रधान मंत्री जी, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, उच्च

न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों सहित राजनीतिक कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक भी शामिल थी। न्यायिक सुधारों के संबंध में दो-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल थी। कुल मिलाकर, उस बैठक से एक आम सहमति वास्तव में सामने आई।

उसके बाद हम यह देखना चाहते थे कि इस आम सहमति का विकास हो। हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि किसका पलड़ा भारी है। हम उदासीनता के लिए नहीं हैं। अंततः हमारी चिंता इस बात पर है कि देश में किस प्रकार की नियुक्ति प्रणाली लागू होनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए अच्छी हो। इसलिए, मैंने कहा था कि अंततः इसे राष्ट्र की इच्छा को दर्शाना चाहिए न कि केवल न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छा को। यह वह प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना होगा। हमें अपने अंदर यह सोचना होगा कि हम राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। न्यायिक प्रणाली अंततः न्यायाधीशों के प्रदर्शन और न्याय तक पहुंच पर निर्भर करती है। हम न केवल आजादी के बाद बल्कि उससे भी पहले से न्याय की खोज में लगे हुए थे। यहीं पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कॉलेजियम प्रणाली आने के बाद, इसकी शुरुआत पहले न्यायाधीश के मामले से हुई, जिसमें उस न्यायाधीश के मामले की अध्यक्षता करते हुए, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जी ने कहा:

"भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश, जिनसे केंद्र सरकार परामर्श करना आवश्यक समझे, केवल संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी परामर्शात्मक भूमिका और शक्ति है। नियुक्ति पूरी तरह से और विशेष रूप से केंद्र सरकार में निहित है।"

न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जी ने उस मामले की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में यह बात कही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वर्ष 1993 में, दूसरे न्यायाधीश के मामले में, उस समय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा जी के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय ने पहले न्यायाधीशों के मामले को खारिज कर दिया। वास्तव में, बाद में उन्हें इस बात का अफसोस भी हुआ। उन्होंने कहा कि यह उनकी मंशा नहीं थी। हमारे कानून मंत्री जी ने विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए इसका उल्लेख भी किया है। उसे कई बार इसका अफसोस हुआ। मैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श के लिए देश भर में ले गया। हर मंच पर, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलत किया। बेशक, कभी-कभी उन्होंने कहा कि इसका गलत अर्थ निकाला गया। इसमें किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या नहीं की गई है। यह स्पष्ट था कि उन्होंने गलती की थी। लेकिन वह कुछ नहीं कर सके क्योंकि उस समय तक उन्होंने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया था। वे क्या कर सकते थे? देर हो चुकी थी। वास्तव में, उन्होंने कहा कि चयन एक सहभागी परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होना चाहिए, जिसमें कार्यपालिका को संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शक्ति के प्रयोग पर मात्र नियंत्रण के रूप में कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए। उस निर्णय से पूरी बात कमजोर पड़ गई।

मैं एक और फैसले पर नजर रख रहा हूँ। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.पी. भरुचा जी ने वास्तव में परामर्श प्रक्रिया में अंतिम कील ठोक दी थी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा, “उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली हमारे उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। कॉलेजियम को भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा - उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया - उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचार जिनसे हो सकता है कि परामर्श किया गया और उच्चतम न्यायालय के उन सहयोगियों के विचार जो संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।” इस तरह पूरी बात पलट गई। उसके बाद, हम सभी ने एक प्रयास करने की कोशिश की और अब हम यहीं हैं। वास्तव में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सिर्फ नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायाधीश दोनों ही अलग हैं तथा सरकार की अन्य शाखाओं अर्थात् कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त हैं। चाहे वह राजनीतिक दल हो, अन्य

शक्तिशाली हितधारक हों या व्यक्ति हों, वह व्यक्तिगत न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वतंत्र है और उसे किसी भी स्रोत से दबाव, प्रलोभन या वादे के बिना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। यहीं पर उन्हें स्वतंत्र होना होगा। उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

वास्तव में, राजनीतिक कार्यपालिका में निहित अधिकारों के संबंध में संविधान बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 124 भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति माननीय राष्ट्रपति जी को प्रदान करता है। यह प्रावधान है कि माननीय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करेगा, जिन्हें माननीय राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा भी की जाती है। माननीय राष्ट्रपति जी को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना होगा।

इससे पहले मैं भी मुख्यमंत्री था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा हमसे परामर्श किया जाता था। हम राज्यपाल को एक संयुक्त पत्र लिखते थे और राज्यपाल कानून मंत्रालय को सिफारिश करते थे। अनौपचारिक रूप से इसका पालन किया गया है। यह समाप्त नहीं किया गया था। जब मैं भारत सरकार में कानून मंत्री था, तब हमें मुख्यमंत्री से इस तरह के पत्र मिलते थे। हम महत्व देते थे, लेकिन साथ ही इसे औपचारिक नहीं बनाया गया था। यह अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सीधे विधि मंत्रालय को पत्र लिख सकते हैं और काम करवा सकते हैं। बाद में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने भी कहा कि एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए।

राष्ट्रीय आयोग में राज्य की कार्यपालिका और न्यायिक शाखा दोनों की प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए (न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मिशनरी हेतु एकीकृत योजना)। इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि किसे महत्व दिया जाना चाहिए या किसकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उचित संतुलन होना चाहिए।

अब, आपने एक विधेयक पुरःस्थापित किया है, वास्तव में, वर्ष 2013 विधेयक - दोनों संविधान संशोधन विधेयक हैं। वास्तव में, वर्ष 2013 विधेयक हमारे, यानि यू.पी.ए. सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। आपने ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो चिंता का विषय है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वीटो अधिकार के बारे में है। यदि आयोग के दो सदस्यों में से कोई एक आपत्ति करता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यह वीटो अधिकार है। इसी को लेकर न्यायपालिका चिंतित है। यह बिना किसी भी निर्णय के समाप्त हो सकता है। यह अव्यावहारिक हो सकता है अथवा इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अनेक टकराव पैदा हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर काफी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक या तत्व है जिसे आपने हमारे विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक से भिन्न इस विधेयक में शामिल किया है। शायद यह काम कर सकता है। अन्यथा, यदि कोई समझौता नहीं होता तो कोई अन्य फार्मूला काम कर सकता था, क्योंकि आखिरकार यह तीन बनाम तीन है। न्यायिक आयोग में कुल सदस्य छह हैं। तीन कभी एक पक्ष ले सकते हैं; और अन्य तीन दूसरा पक्ष ले सकते हैं। यह एक विषम संख्या होनी चाहिए थी। इससे ऐसी स्थिति बच जाती। इससे कोई निर्णय नहीं निकलता। यदि कोई निर्णय लिया भी जाता है, तो अध्यक्ष के रूप में सी.जे.आई. की इसमें आवाज हो सकती है। इससे भारत के मुख्य न्यायाधीश संतुष्ट होते।

मेरा मानना है कि न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, जो कि आवश्यक है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कार्य करता रहे। इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। मुझे नहीं पता कि वीटो पावर क्यों पुरःस्थापित की गई है। मेरे हिसाब से वीटो पावर वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। किसी प्रणाली पर किसी प्रकार का एकतरफा निर्णय थोपा जाने जैसा है, जिसे ठीक से नहीं लिया जा सकता और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। वे कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए? क्या कोई दिशा-निर्देश हैं? हो सकता है, आपको दिशानिर्देश देने चाहिए। कम से कम जो नियम बनाए जाएंगे उनमें यह परिभाषित किया जा सकेगा कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन हैं। अन्यथा, प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो सकता है।

सदस्यों में से किसी एक का चयन करते समय, उनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होना चाहिए। लैंगिक न्याय के इन दिनों में, आपको आयोग के सदस्य के रूप में एक महिला को अनिवार्य रूप से रखना चाहिए था। मुझे लगता है, आपको वर्तमान स्थिति नहीं पता है। प्रणाली पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैं इसे इस तरह से रखूंगा। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह अनिवार्य होना चाहिए था। इससे पहले हमने कुछ रोटेशन प्रणाली दी थी, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो उस रोटेशन प्रणाली को भी छोड़ दिया गया है। परिणामस्वरूप, एक ही श्रेणी के लोग लगातार दोहराए जा सकते हैं। एक कार्यकाल, दो कार्यकाल या किसी भी संख्या में कार्यकाल; बेशक, एक ही व्यक्ति को तीन वर्षों के बाद पद पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्यक्तियों की एक ही श्रेणी को जारी रखा जा सकता है, जिससे कुछ हद तक मनमानी हो सकती है; और इससे समावेशी समाज की स्थापना में कुछ हद तक बाधा उत्पन्न हो सकती है। विविधता इस पूरे अभ्यास का मुख्य विषय होना चाहिए था। आपने उस पर विचार नहीं किया है। आप इसे कानून मंत्री जी के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने भी विधि मंत्री जी के रूप में काम किया है। मेरी जानकारी के अनुसार, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कुछ बहुलता होनी चाहिए, जिसका मुझे लगता है कि इस विधेयक में पूर्णतया अभाव है। हो सकता है, मंत्री महोदय कुछ संशोधन लेकर आएँ। कृपया उस संशोधन के बारे में उन्हें सोचना चाहिए।

इसके अलावा, कई सम्मेलनों में, मैं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से भी कहता था कि उच्चतम न्यायालय में कम-से-कम एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। जहां तक महिलाओं का सवाल है, दुर्भाग्यवश, न्यायपालिका में महिलाओं के प्रति पूर्ण पूर्वाग्रह है। मैंने एक महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश पाने के लिए संघर्ष किया। वहां भी उस विशेष महिला के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गईं। लेकिन फिर भी हम उसे पहली बार में ही समझ सके। हम वास्तव में उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं।

यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यही पारंपरिक दृष्टिकोण है, तो हम इसमें सुधार कैसे करेंगे? मैंने सोचा था कि, जब आप इस पर विचार करेंगे, तो आप बहुलता प्राप्त करने की इस समस्या का समाधान अवश्य

प्रस्तुत करेंगे। यहां तक कि पिछड़े वर्गों को न्यायपालिका में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात तो भूल ही जाइए, कभी-कभी तो उन्हें कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलता। अल्पसंख्यकों के संबंध में, उन्हें चुनना बहुत कठिन है। उनका भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कई उच्च न्यायालयों में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में भी केवल एक महिला जज हैं। अब, जाहिर है, सरकार ने कहा कि एक और होना चाहिए।

मुझे लगता है ये सब बहुत गंभीर मामले हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका को समाज की बहुलता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आपको इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वह निकाय है जो प्रत्यक्ष न्याय देता है और यदि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की संरचना ही ऐसी है कि इन वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो यह उचित नहीं है। हमें सुलभता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उच्च न्यायपालिका में बहुलता रखने और सामाजिक न्याय पाने के लिए कुछ अंतर्निहित प्रणाली होनी चाहिए। मेरे अनुसार, सामाजिक न्याय के बिना कोई भी न्याय प्रणाली न्याय संगत नहीं है। हमें उस प्रकार का निवारण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मैं इसके अन्य सभी पहलुओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि जैसे उन्नत देशों ने भी सामाजिक न्याय के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। वहां भी, न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक कार्यपालिका या सीनेट या संबंधित देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा की जाती है या उन्हें निर्वाचित निकायों के माध्यम से चुना जाता है। इसकी हमारी मौजूदा प्रणाली से कोई तुलना नहीं है, जिसमें न्यायाधीश स्वयं ही नियुक्ति करते हैं। यह केवल इस देश में है जहां न्यायाधीश अपनी नियुक्ति खुद करते हैं। इस तरह की व्यवस्था इनमें से किसी भी देश में नहीं है।

महोदय, वास्तव में, मैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष था और मैंने अनेक विकसित देशों में कार्य-प्रणाली के कार्य करने के तरीके को दर्शाया है। इसलिए, न्यायपालिका को विधायिका को प्रतिबिंबित करना चाहिए, राजनीतिक कार्यपालिका को प्रतिबिंबित करना चाहिए क्योंकि वे समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। न्याय वितरण प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम इसके आदी हो चुके हैं। हम अपने दिमाग को उपनिवेश बना

रहे हैं, इसे अलग कर रहे हैं, एक विशेष समाज बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे छोड़ना होगा। मैंने सोचा था कि आप अपने जनादेश का लाभ उठाते हुए एक व्यापक संशोधन लाएंगे। मुझे यह कहते हुए खेद है, यह केवल एक पैच-अप है। यह एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है। वास्तव में, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन में भी गुणवत्ता किस प्रकार की होती है? यह बहुत चयनात्मक है। मैं यह जानता हूँ - मैं मुख्यमंत्री था - कि यह कितना चयनात्मक था। विभिन्न वर्गों के बारे में भूल जाएं लेकिन कम-से-कम कुछ कुशल लोगों को इसमें होना चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि बिना किसी जानकारी वाला वकील भी अंततः भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। यही हमारी प्रणाली है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। एक सीमित जानकारी वाला वकील भी इस देश का सी.जे.आई. बन सकता है। यह बहुत बड़ा दोष है। आप इसे कैसे पूर्ववत करेंगे? उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की तो बात ही छोड़िए। यह हो सकता है। फिर यह किस तरह की एक कुशल प्रणाली है? इसलिए, यहां सब कुछ लंबित है।

मैंने एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा; मैंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा नामक एक विधेयक पेश किया। आप कृपया इस पर गौर करें। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लाने का विचार सीधे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। कल आप उन न्यायाधीशों को सीधे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। चयन के बाद वे कुछ समय तक सेवा करते हैं। न्यूनतम सेवाकाल के साथ आप उन्हें सीधे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। अन्यथा, या तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं या फिर पदोन्नत न्यायाधीश या सीधे न्यायाधीश भी। मैं समझता हूँ कि यह एक नई श्रेणी है जो उच्चतम न्यायालय तक जा सकती है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वकील जिला न्यायाधीश के रूप में शामिल होंगे। अन्यथा आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते। आप उन्हें कैसे आकर्षित करते हैं? आई.ए.एस., आई.पी.एस. की तरह सर्वोत्तम न्यायाधीशों, सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन प्रणाली होनी चाहिए। जिला न्यायाधीशों की सीधी नियुक्ति का सभी मुख्यमंत्रियों ने कुछ समय के लिए विरोध किया। लेकिन पिछली बैठक में, मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह वर्ष कौन सा था, मुझे लगता है कि शायद वर्ष 2009 या 2010 में हमने विधि मंत्रियों सहित सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक बुलाई थी। फिर, पहली बार यह सर्वसम्मति बनी कि

सभी भारतीय न्यायिक सेवाओं का प्रयास किया जाना चाहिए। यह निर्णय रिकॉर्ड में था। मेरा मानना है कि हमें सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले न्यायाधीश पाने के लिए इस पर जोर देना होगा। न्यायालयों में श्रेष्ठतम व्यक्ति मौजूद होंगे।

एक समय ऐसा था जब हमारे पास सर्वोत्तम शैक्षणिक शिक्षा वाले लोग नहीं होते थे; अब हमारे पास हैं। हमने यह प्रयोग बेंगलूर में नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी के साथ शुरू किया। हमने इसे काफी प्रोत्साहित किया। आज यह 14 ऐसे लॉ स्कूल विश्वविद्यालयों तक हो गया है जिसमें कोलकाता का विश्वविद्यालय शामिल है। सर्वोत्तम प्रतिभा सामने आ रही है। वे सभी नियुक्ति लेने पुनः विदेश जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वहां अवसर हैं। मैंने सोचा कि देश में और 14 लॉ स्कूल विश्वविद्यालय होनी चाहिए। हर राज्य में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। मुझे लगता है, इस तरह हम गुणवत्ता का उत्पादन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि उनकी मांग अधिक है तथा उन्हें आई.आई.टी. और आई.आई.एम. से स्नातक करने वालों से बेहतर वेतन भी मिलता है। सभी को लगता था कि लॉ कोई अच्छा कोर्स नहीं है। जब हम सभी ने लॉ की पढ़ाई शुरू की तो सभी कहते थे कि यह अंतिम उपाय है। अब, यह पहला उपाय बन गया है। यहां तक कि जिन लोगों ने एम.बी.बी.एस., आई.आई.एम., आई.आई.टी. की पढ़ाई पूरी कर ली है, वे भी एक और योग्यता हासिल करना चाहते हैं; खासकर वे कानून के पेशे में शामिल होते हैं। यह हालत हो गई है। इसमें बदलाव होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए आपने जिला न्यायाधीशों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया होता तो वे शामिल हो गए होते। यह एक अच्छा रास्ता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत सफलतापूर्वक प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। जब तक वे एक अच्छे, विख्यात, वरिष्ठ पद पर नहीं आते, तब तक उन्हें वह सीढ़ी नहीं मिल सकती है। यही कारण है कि वे विदेश जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह प्रतिभा पलायन है। आपको इसे नियंत्रित करना होगा। यही मैं चाहता था। उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा यह महत्वपूर्ण बयान दिया गया है कि इस देश में सबसे अच्छे रहस्यों में से एक न्यायाधीशों की नियुक्ति है। इसका मतलब है कि कोई पारदर्शिता नहीं है। आप किसे नियुक्त कर रहे हैं? आप किसी व्यक्ति को किस पृष्ठभूमि के साथ नियुक्त कर रहे हैं? कोई नहीं जानता। आखिरकार आप या तो भ्रष्ट न्यायाधीश को ले आते हैं या फिर ऐसे न्यायाधीश को, जो अत्यंत अकुशल है और देश के

कानून को समझ नहीं सकता। वह समाज की भावनाओं और आकांक्षाओं को बिल्कुल भी नहीं दर्शाएंगे। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति वी.एन. खरे जी कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में थे और उन्होंने इसे लागू किया। मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें न्यायपालिका की चिंताओं का भी समाधान करना होगा। केवल कुछ निष्कर्ष निकाल लेना और यह कह देना कि सभी पूर्व-कॉलेजियम न्यायाधीश बुरे हैं, यह सही नहीं है। कॉलेजियम ने इस देश और विश्व को सर्वोत्तम न्यायाधीश दिए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ या जस्टिस पी. एन. भगवती जी को देखिए, वे सभी इस प्री-कॉलेजियम प्रणाली से ही निकले थे। कोई नहीं कह सकता था कि उन्हें राजनीतिक रूप से नियुक्त किया गया था। उन सभी को न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी की तरह बाहर निकाल दिया गया। ऐसा कहना गलत है। साथ ही, यह कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप यह नहीं कह सकते कि इस वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली द्वारा नियुक्त सभी न्यायाधीश बुरे हैं। ऐसा करके आप उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं।

मैं जानता हूँ कि हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। कुछ न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसकी आलोचना करने लगे। आप इसकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। इस कॉलेजियम प्रणाली को त्यागते समय शालीनता और सम्मान का भाव होना चाहिए। इसकी निंदा और अपमान न करें। हम सभी इस कॉलेजियम प्रणाली की उपज हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह बुरा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यह असाधारण है। बुरा असाधारण है। जहां तक हमारे न्यायाधीशों का संबंध है, मुझे आपको व्यापक रूप से बताना चाहिए कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका प्रणाली है। हमें इस पर गर्व है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अपवाद नियम नहीं हो सकता। हमारे पास सर्वोत्तम न्यायाधीश हैं। हो सकता है कि कुछ काली भेड़ें भी हों, वे तो हर जगह होती हैं। प्रत्येक न्यायाधीश समाज का प्रतिबिंब होता है। संसद समाज का प्रतिबिंब है। प्रत्येक संस्था इस समकालीन समाज का परिचायक है। आप यह नहीं कह सकते कि हर सांसद एक आदर्श सांसद है। आप ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह, हर न्यायाधीश आदर्श न्यायाधीश नहीं हो सकता है। अपर्याप्तता और घाटा तो होगा लेकिन उस अपर्याप्तता और

घाटे की पूर्ति एक प्रणाली द्वारा करनी होगी। शासन में एक व्यवस्था हो सकती है; चुनावी प्रक्रिया में एक व्यवस्था हो सकती है; और न्यायपालिका में एक व्यवस्था हो सकती है। न्यायपालिका बिना व्यवस्था के नहीं रह सकती। न्यायपालिका में एक शासन प्रणाली होनी चाहिए। हमें यही करने की जरूरत है। इसीलिए हमें वीटो पावर के संबंध में दो या तीन समस्याओं का समाधान करना होगा, रोटेशन को पुनः लागू करने के बारे में सोचना होगा तथा कॉलेजियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ कम से कम एक महिला का प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाना होगा। लेकिन यह बिल्कुल भी पर्याप्त प्रावधान नहीं है, तथा इसमें कमी भी है। ऐसा करके आप निश्चित रूप से न्याय प्रणाली तक पहुंच में बाधा डाल रहे हैं। आपको इसे संबोधित करने की आवश्यकता है और फिर आपको नियमों या संशोधन के माध्यम से यह परिभाषित करना होगा कि वे दो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होंगे। वे रहस्यमय व्यक्ति नहीं होने चाहिए। वे निश्चित रूप से निश्चित लोग होने चाहिए, आपको इसे स्पष्ट करना होगा, और आपको इसे परिभाषित करना होगा। हर कोई प्रतिष्ठित नहीं हो सकता।

जब मैं कर्नाटक में मंत्री था, तो मैंने अपने मुख्य सचिव से पूछा, "मैं सबसे अच्छे अधिकारी चाहता हूँ।" उन्होंने कहा, "हर कोई सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है, और आप किसी को भी चुन सकते हैं।" आप जानते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का औसत निकाल लेते हैं या उनका सामान्यीकरण कर लेते हैं। मैं यह नहीं भूलना चाहिए कि अंततः उत्कृष्टता ही होनी चाहिए। वे लोग उपलब्ध हैं। उत्कृष्टता होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट है, जो शैक्षणिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हां, साथ ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुना सकता हूँ। जब मैं करकला स्थित अपने बार में दाखिल हुआ, जो एक मुंसिफ या पंजीकृत बार है, तो मैंने बार रूम के एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुर्सी पर बैठे हुए पाया। वह पूरे दिन बैठा रहता है। सुबह वह आता है और अदालत का समय समाप्त होने के बाद चला जाता है। मैंने पता लगाया कि वह व्यक्ति कौन था। उन्होंने कहा "वह स्वर्ण पदक विजेता हैं"। मद्रास लॉ विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल पाना सबसे बड़ी बात है। उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में पढ़ाई की, मुझे लगता है। उन दिनों वे स्वर्ण पदक विजेता थे, लेकिन वे बिना किसी संक्षिप्त जानकारी वाले वकील थे, बने रहे और बिना किसी संक्षिप्त जानकारी

वाले वकील के रूप में ही उनकी मृत्यु हो गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि वह शैक्षणिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, यह आवश्यक नहीं है कि वह एक उत्कृष्ट वकील भी होगा। लेकिन इसे कौन फ़िल्टर करेगा? कुछ तो होना ही चाहिए। कोई तो प्रणाली होनी चाहिए।

मैंने सोचा था कि इस विधेयक को लाते समय आपको कुछ ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे पारदर्शिता आएगी, जिसका पूरी तरह अभाव है। केवल चयन से काम नहीं चलेगा बल्कि उसे व्यवस्था से बाहर आना होगा। लेकिन इस प्रणाली में पूरी तरह से कमी है।

मैं समझता हूँ कि ये कुछ बातें हैं जिनका उल्लेख मुझे यहां अवश्य करना चाहिए। बेशक, इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन साथ ही, यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपने इसे प्रस्तुत किया है।

इसलिए, मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इनमें से कुछ प्रावधानों पर पुनः विचार करेंगे तथा मेरे द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेंगे।

यह अवसर देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री एस.एस. अहलूवालिया (दार्जिलिंग): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम लेने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह 16वीं लोक सभा में मेरा पहला भाषण है।

यद्यपि मेरा संसदीय जीवन दूसरे सदन में 24 वर्ष का रहा है, लेकिन मेरे भाषणों के माध्यम से या मेरे समर्थन के माध्यम से या मेरे विरोध के माध्यम से, कई कानून बनाए गए या निरस्त किए गए या संशोधित किए गए। लेकिन 16वीं लोक सभा में सांसद के रूप में यह मेरा पहला भाषण है और मैं पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बेशक, यह संसदीय करियर में मेरा 25वां वर्ष है।

महोदय, मैं मूलतः विधि स्नातक हूँ, लेकिन मैंने कभी वकालत नहीं की, क्योंकि विधि स्नातक होने के बाद मैं विधि निर्माता बन गया। 35 वर्ष की आयु में, मैं संसद का सदस्य बना, और तब से मैं यहीं हूँ।

आज का दिन सौभाग्यशाली है और हम एक ऐतिहासिक संविधान (संशोधन) विधेयक पारित कर रहे हैं। हम अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी टीम, विशेषकर पटना के युवा विधि मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं पटना में उनका पडोसी हूँ। उन्होंने संसद में लाए गए संशोधनों का बहुत ही शानदार परिचय दिया है।

अपराह 2.40 बजे

(श्री अर्जुन चरण सेठी पीठासीन हुए)

महोदय, यद्यपि दो विधेयकों पर चर्चा होनी है, एक संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन विधेयक, 2014) और दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, और मैं दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ, फिर भी मैं केवल एक विधेयक पर बोलने जा रहा हूँ, जो संविधान संशोधन विधेयक है।

महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 124, 127, 128, 217, 222, 224 और 231 में संशोधनों की बात की गई है। मैं उन पर बोलने जा रहा हूँ।

विद्वान और मेरे बड़े भाई वीरप्पा मोइली जी ने अभी-अभी बात की है। उन्होंने अपना भाषण यह कहकर शुरू किया जैसे हम सदन में संशोधन ला रहे हैं, न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव हो रहा है, जो सही नहीं है।

मैं शुरुआत में ही यह कहना चाहता हूँ कि संशोधन लाना और नया कानून बनाना विधायिका का प्राथमिक कार्य है; और हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

हमारे संविधान में तीन स्तंभ हैं जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। एक है विधानमंडल, जो संसद और विधानसभाओं में कानून निर्माता हैं। दूसरा कार्यपालिका है, जो कानून का निष्पादन करती है। तीसरा है न्यायपालिका, जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय देने का काम करती है।

मैं सभा के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि यह किसी टकराव के लिए नहीं है। लेकिन समय के साथ, हर चीज में संशोधन और विकास की आवश्यकता होती है।

अब बोलते समय, मोइली जी कुछ प्रावधानों पर आपत्ति कर रहे थे। अपने शोधपत्र तैयार करते समय मैंने उनकी ए.आर.सी. रिपोर्ट के अध्याय IV, नैतिक रूपरेखा को देखा। वे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। पहले पैराग्राफ में, उन्होंने कहा:

"आयोग के संदर्भ की शर्तें: आयोग अपने दायरे से रक्षा, रेलवे, बाहरी मामले, सुरक्षा और खुफिया प्रशासन की विस्तृत जांच के साथ-साथ केंद्र-राज्य संबंध, न्यायिक सुधार आदि जैसे विषयों को बाहर कर सकता है, जो पहले से ही हैं। अन्य निकायों द्वारा जांच की जा रही है।"

लेकिन फिर भी शासन में नैतिकता के अध्याय में, उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूरे मामले की जांच की, और अंततः उन्होंने सुझाव दिया। अब वह विरोध कर रहे हैं। लेकिन उस समय उन्होंने सुझाव दिया कि... (व्यवधान)

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैं इसके विरोध में नहीं हूँ।

श्री एस.एस. अहलूवालिया: अब आपका लहजा और रुख अलग है... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): क्या आप नहीं चाहते कि हम इस विधेयक का समर्थन करें?

श्री एस.एस. अहलूवालिया: मैं चाहता हूँ

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने विश्लेषण किया है और कहा है कि... (व्यवधान)

श्री एस.एस. आहलूवालिया: खड़गे जी, मैं भी आपका समर्थन लेना जानता हूँ! ... (व्यवधान)

ए.आर.सी. में, आपने कहा था, "एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए" ए.आर.सी. में आपकी सिफारिश थी, "एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए, जहां न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए।" यह बात आपने कही थी। फिर, परिषद में निम्नलिखित रचना होनी चाहिए। आपने कौन सी रचना सुझाई है? आपने सुझाव दिया कि माननीय उपराष्ट्रपति को परिषद का सभापति होना चाहिए; माननीय प्रधानमंत्री जी को परिषद का सदस्य होना चाहिए; लोक सभा के सभापति को परिषद का सदस्य होना चाहिए; भारत के मुख्य न्यायाधीश को परिषद का सदस्य होना चाहिए; विधि मंत्री जी को परिषद का सदस्य होना चाहिए; तथा फिर लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता परिषद के सदस्य होने चाहिए। यह आपका सुझाव था। एकमात्र अंतर, यदि मैं देखूँ, तो नामकरण में है। आपने जो नाम कहा, वह राष्ट्रीय न्यायिक परिषद है। हम कह रहे हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। बस यही अंतर है।

वास्तव में, समस्या कब शुरू हुई? सब कुछ सही रास्ते पर चल रहा था। न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित तीन महत्वपूर्ण चरण हैं। एक है, तीन संवैधानिक चर्चाएं जो वर्ष 1946 से 1950 तक हुई थीं। कार्यपालिका के नेतृत्व में नियुक्तियों का दूसरा चरण वर्ष 1950-1993 तक चला और तीसरा चरण, वर्ष 1993 से अब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्तमान कॉलेजियम बोर्ड है।

इस बीच में क्या हुआ? अनुच्छेद 124 के अनुसार, जब पहला न्यायाधीश मामला आया, तो उसका निर्णय वर्ष 1982 में आया। दूसरा निर्णय वर्ष 1994 में आया। फिर, 23 जुलाई, 1998 को, भारत के राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति संदर्भ भेजा गया था। भारत के राष्ट्रपति ने इसे उच्चतम न्यायालय को भेजा और उच्चतम

न्यायालय ने दूसरा निर्णय दिया। लेकिन वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह जी की सरकार में, श्री दिनेश गोस्वामी जी ने विधि मंत्री के रूप में एक विधेयक पुरःस्थापित किया। वह न्यायिक आयोग के लिए एक विधेयक लाना चाहते थे। लेकिन लोक सभा भंग हो गई।

उसके बाद, दूसरा विधेयक आया। फिर, आपकी ए.आर.सी. रिपोर्ट और फिर वर्ष 2008 में, कानून आयोग की रिपोर्ट आई, विधि आयोग की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था, या तो आप तीनों निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए उच्चतम न्यायालय जाएं या एक नया कानून लाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही और विधि आयोग के अध्यक्ष ने हंसराज भारद्वाज जी को भेजते हुए कहा कि न्यायाधीशों के केस एक, केस दो, केस तीन पर पुनर्विचार के प्रस्ताव पर विचार किया गया। संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न सिफारिशों तथा अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और केन्या जैसे विदेशी क्षेत्राधिकार वाले देशों के कानूनों पर भी विचार किया गया है, जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति का एकमात्र प्राधिकार कार्यपालिका के पास है या कार्यपालिका देश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्ति करती है। अंत में, उन्होंने अपने समापन पैराग्राफ में कहा कि वर्तमान सरकार के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं। एक यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तीन निर्णयों पर पुनर्विचार की मांग की जाए। अन्यथा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता और नियुक्तियों के लिए कार्यपालिका के अधिकारों को बहाल करने के लिए एक कानून पारित किया जा सकता है। तो, यह आपके समय में था। तब यू.पी.ए. सरकार सत्ता में थी। अंततः वर्ष 2013 में आप विधेयक लेकर आए। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया; स्थायी समिति ने इसे कुछ सिफारिशों के साथ वापस भेज दिया; और सिफारिशें फरवरी के महीने में परिचालित की गईं जब आप कुछ करना चाहते थे। जैसा कि श्री कपिल सिब्बल के प्रारंभिक विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था, एस.सी. और एस.टी. के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था - स्थायी समिति की यह सिफारिश थी - स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर आप एक संशोधन विधेयक लाना चाहते थे। अब, विधेयक सदन के सामने है।

आपने कहा - मेरा मतलब है, कई लोग और विशेष रूप से बहस के आपके शुरुआती वक्ता - कि इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव पैदा करेगा; किसी को भी टकराव करने में दिलचस्पी नहीं है

क्योंकि हम संविधान और न्यायिक प्रणाली द्वारा भी निर्देशित हैं। लेकिन, सांसदों के रूप में हमारे पास अपना कार्यक्षेत्र है जहां हम कानून बना सकते हैं। हम संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार ही वह कानून बना रहे हैं।

कौन कहता है कि हम इसे अलग कर रहे हैं? कौन कहता है कि हम न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं? यदि आप देखें तो हमारे देश में न्यायपालिका न्याय करे या न करे, हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह हमारा धर्म है। इसलिए एक न्यायाधीश को *न्यायमूर्ति* कहा जाता है। इसका संबंध धर्म से जुड़ा है। *न्याय भी धर्म से जुड़ा है - न्यायधर्म।* हम *न्याय* को धर्म के रूप में समझते हैं और हम इसे *न्यायमूर्ति* द्वारा दिए गए न्याय के रूप में स्वीकार करते हैं। आप मुझे बताएं कि कौन सा अधिकारी *मूर्ति* का प्रतीकात्मक है। यह केवल *न्यायमूर्ति* है क्योंकि यह *न्यायधर्म* से जुड़ा है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो हम ब्रिटिश न्यायशास्त्र द्वारा निर्देशित थे। हमने उसे अपनाया। लेकिन, उससे पहले, हम कौटिल्य न्यायशास्त्र द्वारा निर्देशित थे। यदि आप कौटिल्य न्यायशास्त्र को देखें, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर महाभियोग, निष्कासन और यहाँ तक कि सजा तक सभी प्रकार की प्रणालियाँ कौटिल्य, द्वारा विकसित की गईं। वहां सब कुछ था।

अपनी ए.आर.सी. रिपोर्ट में ही, आपने पैराग्राफ 2.9.4 में एक और बात का उल्लेख किया है - मुझे नहीं पता कि आपने अपने रिपोर्ट में इन सभी चीजों का उल्लेख क्यों किया है - "भारत का उच्चतम न्यायालय, 7 मई, 1997 को आयोजित अपनी पूर्ण अदालत की बैठक में, सर्वसम्मति से न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्कथन नामक एक चार्टर को अपनाया गया, जिसे आम तौर पर न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित लिखा है:..."। फिर, आप ए से सीधे पी तक गए और आपने उद्धृत किया है। बेशक, जब हम न्यायिक जवाबदेही विधेयक के बारे में बात करेंगे, तो हम इसका फिर से उल्लेख करेंगे। लेकिन, मुझे यह है कि हमने कभी नहीं कहा कि यह व्यवस्था खराब है या वह व्यवस्था खराब है। जब हम एक संशोधन ला रहे हैं, तो हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए, शुरू में ही, मैंने कहा कि मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ।

मैं एक लॉ ग्रेजुएट (कानून स्नातक) भी हूँ। मैं कई जजों से भी मिलता हूँ। न्यायाधीशों के साथ मेरे अच्छे संपर्क हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि मैं एक की प्रशंसा करता हूँ और अगर मैं दूसरे का नाम नहीं लेता, तो उसे लगे, कि मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता। तो, मैं उस आधार पर नहीं हूँ। यहां हम किसी की प्रशंसा या किसी की बदनामी नहीं कर रहे हैं। हम एक कानून ला रहे हैं और इसे भावी पीढ़ी के लाभ के लिए पारित कर रहे हैं ताकि नियुक्ति प्रणाली या किसी भी अन्य चीज में खोया हुआ विश्वास खत्म हो जाए और अंततः यह बहाल हो जाए और एक अच्छी न्यायपालिका इस देश के लोगों की सेवा कर सके। मेरा वही निवेदन था।

जैसा कि आपने कहा, न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों का आवर्तन नहीं होना चाहिए। ... (व्यवधान) आपने कहा कि एक ऐसा प्रावधान है कि एक सदस्य को अगली बार दोहराया नहीं जा सकता। तीन साल बाद, उसे दोहराया नहीं जाएगा। आप जिस श्रेणी की बात कर रहे हैं, वह यह है कि उसे बार-बार आवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। यह वहां नहीं होगा। मुझे लगता है, मेरे विद्वान मित्र विधि मंत्री जी नियमों में उस बात का भी ध्यान रखेंगे। वह एक प्रावधान लाएंगे ताकि एक नया व्यक्ति इसमें आ सके।

आपने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्रेणी के औचित्य के बारे में भी पूछा है। उसमें सबसे बड़े विपक्षी दल के सदस्यों में से एक होगा। उन्हें पता चल जाएगा कि वह विख्यात व्यक्ति कौन है। वह भी इस निर्णय का हिस्सा होंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि यह किसी की जेब से नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मानदंड है और कुछ विख्यात व्यक्तित्व इसमें शामिल हो रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): आदरणीय महोदय, हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों लिया और इस विधेयक पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। हाल ही में, हमने एक समाचार देखा है जिसमें कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने, कॉलेजियम कैसे काम कर रहा है, इस बारे में कुछ राय दी है। यही सही इतिहास है।

एक पूर्व न्यायाधीश, श्री काटजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक राजनीतिक दल के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया है और कहा है कि एक राजनीतिक दल ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में उस न्यायाधीश पर दबाव बनाया था। इस तरह से यह मुद्दा शुरू हुआ। इस संबंध में, पूर्व विधि मंत्री श्री भारद्वाज जी ने स्वयं एक बयान दिया कि डी.एम.के. ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवधि के विस्तार की मांग की थी। इस तरह से यह समस्या शुरू हुई। जब कुछ राजनीतिक दलों ने व्यवस्था का लाभ उठाया और कॉलेजियम पर दबाव बनाया तो कॉलेजियम उस दबाव के आगे झुक गया। यही हमने देखा है। यह वही खबर है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कॉलेजियम एक पद्धति श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ नहीं है। यह हमारा नजरिया है।

महोदय, मैंने विधि मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे उन दिनों के अनुभवों के बारे में हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं जानता हूँ कि कॉलेजियम किस प्रकार से निर्णय लेता है और कार्यकारी को दरकिनार कर देता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने उस समय कितना कष्ट उठाया। इसलिए, मैं कुछ तर्क सामने रखना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधि मंत्री जी को हमारी पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में एक पत्र लिखा है और मुझे यह व्यक्त करना है। यह हमारे दल का रुख है।

जहां तक ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी का संबंध है, हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे दल का रुख है। यहां तक कि हमारे विधि मंत्री जी ने भी कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। हम इसके हक में इसलिए हैं क्योंकि लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि संसद कुछ नियमों और विनियमों, और कुछ निहित स्वार्थ के साथ एक कानून ला रही है। यह भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए, हम पूरी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हक में हैं। यह हमारी पार्टी का रुख है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधि मंत्री जी को भी यही लिखा है।

अपराह्न 3.00 बजे

जहां तक कार्यपालिका की भूमिका का सवाल है, हमारा विचार है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मौजूदा प्रक्रिया और प्रथा संवैधानिक उपबंधों की भावना के अनुरूप नहीं है क्योंकि कार्यपालिका की भूमिका को प्रभावी ढंग से छीन लिया गया है। मुद्दा यह है। हम कह रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में और उनकी राय देने में कार्यपालिका की भूमिका होनी चाहिए, और यही हमारे सी.एम. ने माननीय विधि मंत्री जी को लिखा है।

दुनिया के किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति नहीं है जहां न्यायपालिका प्रभावी ढंग से खुद ही अपनी नियुक्ति करती हो। न्यायपालिका केवल अपने मुद्दे के बारे में बात कर रही है, और वे अपने ही न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहे हैं। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, श्री मोड्ली जी ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का उल्लेख किया था, जो उनके द्वारा दिया गया एक अच्छा सुझाव है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में जो होता है वह यह है कि कॉलेजियम में वे ऐसे लोगों का चयन कर रहे हैं जहां कुछ न्यायाधीश अपने बहनोई, बेटे, परिवार के सदस्यों आदि की सिफारिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वे न्यायाधीश बन रहे हैं, और यह ऐसे ही चला आ रहा है। तो, प्रतिभाशाली लोग कहां हैं? शायद, ये लोग भी प्रतिभाशाली हैं और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ।

जैसा कि श्री मोड्ली जी ने कहा है कि वर्ष 1993 से पहले, जब कॉलेजियम की कोई भूमिका नहीं थी, तो भी कई प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का सवाल है, कॉलेजियम प्रणाली हमारे पहले के न्यायाधीशों की तुलना में बेहतर न्यायाधीश ला सकती है। इसलिए वे यह नहीं कह सकते कि कॉलेजियम व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ चीज़ है; वे प्रतिभाशाली लोगों की तलाश में हैं; और वे इस और उस बात को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम कॉलेजियम के दृष्टिकोण को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि "न्यायिक नियुक्तियों में न्यायिक प्रधानता की वर्तमान प्रथा के साथ वर्ष 1993 से अनुभव ने हमें यह भी दिखाया है कि नियुक्तियों की गुणवत्ता के संदर्भ में परिणाम वर्ष 1993 से पहले की अवधि में प्रचलित स्थिति से काफी बेहतर नहीं है जब कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

श्री मोडली ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का सुझाव दिया था, जो एक अच्छा सुझाव है। यह एक अच्छा सुझाव है क्योंकि जब हमारे पास आई.पी.एस./आई.ए.एस. की एक प्रणाली होगी, तो आरक्षण भी होगा और जब आरक्षण होगा, तो उस समय एस.सी., ओ.बी.सी. और अन्य सभी श्रेणियों के लोगों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वे इस प्रक्रिया में कैसे नियुक्त करते हैं? वे नियमों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वे कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें एस.सी. लोग, ओ.बी.सी. लोग और महिलाएं नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कॉलेजियम जो कर रहा है, उससे उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। यदि आई.पी.एस. की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा उपलब्ध है, तो पदोन्नति दी जाएगी, और जब उनकी नियुक्ति जिला-स्तर पर होगी, तो उन्हें पूरा अनुभव होगा और उसके बाद उन्हें पदोन्नति दी जाएगी।

वर्तमान में तो, ऐसा हो रहा है कि एक वकील भी नियुक्त कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, हमारे विधि मंत्री जी भी एक प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। मान लीजिए, वह एक न्यायाधीश बन जाते हैं, फिर क्या होगा? वह उस समय कैसे निर्णय देंगे जब वह अपने अधीनस्थ काम कर चुके और किसी मामले में रहे अपने मुवक्किलों के लिए एक न्यायाधीश के रूप में बैठे होंगे? आखिरकार, हम सभी इंसान हैं और हम भगवान की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए, वकीलों के प्रैक्टिस करने के संबंध में, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यदि आप एक इंसान के रूप में सोचें, तो स्वाभाविक रूप से, उनके निर्णय पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, यदि आप अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की तरह का कुछ लेकर आते हैं, तो यह एक अच्छा सुधार होगा। दूसरी ओर, यदि आप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों आयोग जैसा कुछ लाने जा रहे हैं, तो यह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला नहीं है और यह एक सच है। आपको प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने चाहिए और केवल तभी हम देश में वास्तविक न्यायिक प्रणाली ला सकेंगे। इसके बाद, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं और आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों की तरह स्वचालित रूप से पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को जज बनाया जाएगा तो इसमें उनकी धारणा और इच्छाएं भी शामिल होंगी। यह एक अच्छी प्रणाली है, और अगर आप उस प्रकार की एक प्रणाली लाते हैं तो हम उसकी सराहना करेंगे।

सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायाधीशों को राज्यपालों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ समय बाद उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं हर किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कुछ लोग या एक या दो लोग हो सकते हैं, जो मौजूदा सरकार में अधिकारियों को खुश करने की भूमिका निभा सकते हैं ताकि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद मिल सके। इसलिए, हमें ऐसी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। आप पूर्व टी.आर.ए.आई. अध्यक्ष श्री मिश्रा को नियुक्त करने के लिए एक संशोधन लाए हैं। उस संशोधन में भी, जब आपने यह शर्त रख दी है कि उन्हें सरकारी सेवा में, सेवानिवृत्ति के बाद किसी पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो न्यायाधीशों का क्या होगा? वे कहते हैं कि वे हर चीज़ से ऊपर हैं और यदि आप इन न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी तरह के सरकारी पद पाने की अनुमति दे रहे हैं, तो यह सही नहीं है। आप उन्हें समितियों या पैनलों में नियुक्त कर सकते हैं क्योंकि यह अलग बात है, लेकिन आपको उन्हें कार्यकारी अधिकारी वाली नियुक्तियों के लिए नहीं चुनना चाहिए। इस तरह के अधिकार उन्हें नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे पद उनके पुनर्वास केंद्र नहीं बनने चाहिए।

यदि आप इस तरह की सभी भारतीय न्यायिक सेवाओं को लाते हैं, तो ऐसी चीजों को रोका जा सकता है, और यह एक अच्छा सुझाव है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा, आरक्षण और अन्य सभी चीजें लागू होंगी।

इसके अलावा, न्यायपालिका राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे देश की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता के प्रति संवेदनशील होने के लिए भारतीय समाज की विविधता को दर्शाना चाहिए। इसलिए, इसे विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और समुदायों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऐसी समस्याओं को तभी अधिक प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है जब न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को भी पर्याप्त अधिकार हो।

महोदय, कार्यपालिका को भूमिका निभानी होगी क्योंकि हम निर्वाचित कार्यकारी हैं। संसद सर्वोपरि है। इसलिए, जब हम कानून बना रहे होते हैं, तो हम एक आम आदमी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, जिसने हमें वोट दिया। केवल उसी कारण से हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर अपने सुझाव दे रहे हैं।

राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में क्या? यही हमारी चिंता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य सरकारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह राज्य सरकारें हैं जो वास्तव में कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं। भले ही संसद इतने सारे कानून पारित करती है, लेकिन वे सभी राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं। यदि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनकी बात रखने के लिए उन्हें उचित अभ्यावेदन नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह के राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में यही लिखा है। इसलिए, मैं दृढ़ता से सिफारिश करूंगा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग दो स्तरों पर कार्य करे - एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर, आप उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं और यह ठीक है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग ऐसा कर सकता है। लेकिन हमारे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या? जहां राज्य स्तर के इतने सारे मुद्दे शामिल हैं? राज्यों में विधान सभाएं हैं और विधान परिषदें भी हैं और लोग उन विधायी निकायों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य स्तर पर हम आपसे जो अनुरोध कर रहे हैं वह यह है कि राज्यों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में अधिकार दिए जाने चाहिए। हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं और यही बात हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में लिखी है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय न्यायिक आयोग बनाया जाना चाहिए। इस विधेयक में उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि आपके पास एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है, हम एक अलग राज्य स्तरीय न्यायिक आयोग चाहते हैं जहां राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति, वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और अन्य प्रतिनिधि सदस्य हों। यह हमारा विचार है, और इसलिए, हम इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब आप राज्यों के लिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं तो इस विधेयक का समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है। हम विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधि मंत्री जी को एक पत्र लिखा है। मैं यहां हमारे विचार भी व्यक्त कर रहा हूं। जब तक आप राज्य स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन नहीं करते, हमारा दल इस विधेयक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हो सकता। मैंने पहले ही संशोधन भी दिए हैं। संशोधन आ सकता है। जब तक आप हमारे संशोधनों को स्वीकार नहीं करते, तब तक

हमारा दल इस विधेयक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। कृपया यहां हमारे विशिष्ट संशोधनों को ध्यान में रखें। मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि उस संशोधन में क्या लिखा है।

"राज्य स्तरीय आयोग के सदस्य इस प्रकार हो सकते हैं:- भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायपालिका के दो नामांकित व्यक्ति अर्थात् भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री राज्य या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो न्यायाधीश नहीं हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के महाधिवक्ता वाले कॉलेजियम द्वारा चुने जाते हैं। हमारा विचार है कि आयोग की संरचना का प्रावधान संविधान में ही किया जाना चाहिए।"

अब, आप यह विधेयक लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता कि यू.पी.ए. इसका समर्थन करेगा या नहीं। आप क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको हमें इस विधेयक के बारे में कुछ कहने का अवसर देना होगा। उसी लिए, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि राज्य स्तर पर आयोग होने चाहिए। मैंने इसके लिए एक संशोधन दिया है। ... (व्यवधान) मैं पत्र की विषयवस्तु को व्यक्त कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी के पास मेरे मुख्यमंत्री जी का पत्र है। आपने जो बातें कही हैं, हमने उनकी भी वकालत की है। हम भी उनकी सराहना कर रहे हैं। कार्यपालिका को नियुक्ति में भूमिका निभानी चाहिए। हम इनकार नहीं कर रहे हैं। राज्यों की क्या भूमिका है? इसलिए, मैं संवैधानिक संशोधन की मांग कर रहा हूँ।

न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक की खंड 5 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को प्राप्त करने का प्रावधान है। हालाँकि, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन दृष्टिकोण के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। आप अब विधि मंत्री हैं, और मैं विधि मंत्री था। फाइल मंत्री जी के पास आ सकती है। इसके बाद, फाइल न्यायाधीशों

के पास जाएगी जो अंतिम निर्णय लेंगे। यहां, विधि मंत्री केवल हस्ताक्षर करके और भेजकर एक क्लर्क के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 1993 के बाद से विधि मंत्री एक मजाक बन गया है। मुझे नहीं मालूम कि श्री वीरप्पा मोइली जी को अब तक क्या-क्या झेलना पड़ा है। मैंने इन चीजों का सामना किया है। तभी, मैं बता रहा हूं। हम क्लर्क नहीं हैं। हम कार्यकारी प्राधिकारियों के लिए निर्वाचित लोग हैं। जब हम अपने लिए इस तरह के सम्मान की मांग कर रहे हैं, तो वास्तव में हम अपने लिए सम्मान की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए सम्मान की मांग कर रहे हैं। हम जनता द्वारा चुने गए थे। तो, हम यहां हैं। इसलिए, राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि आप मुख्यमंत्री जी के विचार को ध्यान में रखे बिना अंतिम निर्णय लेते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम संवैधानिक संशोधन या संविधान में ही प्रावधान के लिए जोर दे रहे हैं।

किसी भी प्रस्तावित नियुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में एक प्रावधान किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा विरोध की जाने वाली नियुक्तियों पर कार्रवाई नहीं की जाए। खंड 5 को और संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह उपबंध किया जा सके कि राज्यपाल, राज्य सरकार और दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जिनके पास कोई उम्मीदवार है और जिस उच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रस्ताव है, नियुक्ति से पहले उनसे परामर्श किया जाना चाहिए। यह करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो इसका क्या फायदा है? यह भी एक गंभीर मुद्दा है जिसे हमारी महोदया ने उठाया है।

जिस तरह से आयोग की सिफारिशें की जाएंगी, उसे विधेयक में नहीं दर्शाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सिफारिशें एकमत, सर्वसम्मति या बहुमत पर आधारित होंगी और बहुमत के मामले में, चाहे वह साधारण बहुमत हो या योग्य या उत्कृष्ट बहुमत हो। मुझे यह पता नहीं है। इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। यह सलाह दी जा सकती है कि बाद के चरण में व्याख्या में कोई भ्रम होने के बजाय कानून में ही इस तरह के नियम को वर्णित किया जाए। आदर्श रूप से, ऐसा नियम एक उत्कृष्ट बहुमत होना चाहिए, जिसमें यदि कोई दो सदस्य प्रस्तावित सिफारिश का पक्ष नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं किया जाएगा।

न्यायिक मानकों और जवाबदेही विधेयक में, जांच पैनल को न्यायाधीशों की एक विशेष टीम के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जबकि निगरानी समिति में, तीन सदस्य सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं; एक अटॉर्नी जनरल है, जो कानूनी और न्यायिक बिरादरी के साथ भी निकटता से जुड़ा हुआ है और अंतिम सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात व्यक्ति है। निगरानी समिति के पास जांच समिति का चयन करने का अधिकार निहित है। इन परिस्थितियों में, निगरानी के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण पैनल में न्यायपालिका को इतना अधिक प्रतिनिधित्व देना, जिसकी अधिकांश कार्यवाही जनता की नजरों से छिपी रहेगी, प्राकृतिक न्याय के एक बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन प्रतीत होता है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसलिए, यह आवश्यक है कि जांच पैनल और निगरानी समिति दोनों में नागरिक समाज के उच्च सत्यनिष्ठा और उत्कृष्टता वाले अधिक व्यक्ति हों ताकि पक्षपात का कोई भी प्रभाव न रहे।

इसलिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को उम्मीद है कि ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी के विचारों को बोर्ड पर लिया जाएगा और संसद में पारित होने से पहले तीन विधेयकों में किए गए आवश्यक आधिकारिक संशोधनों को आगे बढ़ाया जाएगा। यह हमारा नजरिया है।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय सभापति जी, मैं माननीय विधि मंत्री जी के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही कम समय में वह यह विधेयक लेकर आए हैं। यह बहुत लंबे समय से आवश्यक था।

यू.पी.ए.-II प्रशासन के दौरान, माननीय विधि मंत्रियों में से एक इसके समान एक विधेयक लाना चाहते थे। मेरी उनसे बात हुई, और उस समय भी मैंने इसका समर्थन किया। मैंने उस समय अपने दल के विचार व्यक्त किए थे। मेरा दल न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखता है। हमारा मानना है कि पिछले 64 वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय के कार्यों के कारण, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करके, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। मैं इस में विश्वास रखता हूँ।

मुझे ए.के. गोपालन के मामले में संविधान पीठ का पहला फैसला याद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अध्याय-III की व्याख्या की थी। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं? पहली संविधान पीठ में दो न्यायाधीश, एक महान न्यायाधीश बीरेन मुखर्जी और दूसरे, महान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस.आर. दास उस संविधान पीठ के सदस्य थे, उस कलकत्ता बार का सदस्य होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है। मुझे गर्व है जब दूसरी संविधान पीठ का निर्णय प्रत्यर्पण की व्याख्या के लिए आया है। पीठ में न्यायमूर्ति बीरेन मुखर्जी, न्यायमूर्ति एस.आर. दास और न्यायमूर्ति विवियन बोस थे। कई महान न्यायाधीश आए हैं और उन्होंने अपने कृत्यों का निर्वहन किया है। कानून बनाना इस महती संस्था का प्रारंभिक कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व है। यही देश की जनता की इच्छा है। उच्चतम न्यायालय कानून के प्रावधानों और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए है। अनुच्छेद 141 के कारण, यह बाध्यकारी है। लेकिन संविधान निर्माताओं को कभी यह उम्मीद नहीं थी कि न्यायपालिका संविधान या अन्य प्रावधानों की व्याख्या की प्रक्रिया से कानून बनाएगी। हालांकि, हाल ही में, कई मामलों में, न केवल उच्चतम न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है।

इस संसद द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को पुरःस्थापित नहीं किया गया था। कॉलेजियम प्रणाली उच्चतम न्यायालय की शुरुआत है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कानून संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के कारण

नहीं, बल्कि इस विचार से बनाया गया था कि पूर्व-1993 न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए, कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। और कॉलेजियम प्रणाली ने वास्तव में राजनीतिक कार्यपालिका के पूरे कार्यों को हड़प लिया है। उच्चतम न्यायालय के प्रति बड़े सम्मान के साथ मैं यह कहूंगा कि इसने राजनीतिक कार्यपालिका का दर्जा घटाकर केवल क्लर्क का कर दिया है। यह सिस्टम वर्ष 1993 से सही चल रहा है।

हमें उस समय बहुत धक्का लगा जब चित्तौष मुखर्जी जैसे न्यायाधीश को दरकिनार कर दिया गया और उन्हें उच्चतम न्यायालय में नहीं लाया गया। हम बहुत स्तब्ध हैं जब गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्जी को उच्चतम न्यायालय में नहीं लाया गया है। कारण यह है कि जब तत्कालीन सी.जे.आई. गुजरात के एक संस्थान के दौर पर थे, तो न्यायमूर्ति भट्टाचार्जी जो उस समय गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे, उस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। इसलिए कॉलेजियम ने उनके मामले को खारिज कर दिया था। लेकिन न्यायमूर्ति भट्टाचार्जी का तर्क था कि जब वह उस संस्थान से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे तो वे वहां कैसे जा सकते थे?

एक न्यायाधीश जो न्यायाधीश बनने के बाद किसी वकील से कभी नहीं मिला, जिसने न्यायाधीश बनने के बाद कभी सामाजिक समारोह में भाग नहीं लिया, एक न्यायाधीश जो कोलकाता में हर समय सबसे निष्पक्ष था, देश के सबसे ईमानदार न्यायाधीशों में से एक था, कॉलेजियम की सनक के कारण हटा दिया गया।

इस कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए अब सही समय है। हमें इसे प्रतिस्थापित करना होगा। हमें इसे मजबूरी में प्रतिस्थापित करना होगा। हमारा अनुभव बताता है कि ऐसा करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां आप पाएंगे कि मेरे द्वारा मेरी नियुक्ति या मेरे सहयोगियों की नियुक्ति के लिए कानून बनाया गया हो। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह कानून बना दिया है कि उनकी नियुक्तियां किस तरीके से होंगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, मैंने एक न्यायाधीश को देखा है जिन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, श्री मोइली जी ब्रीफलेस (बिना मुक्किल) वकीलों के न्यायाधीश बनने के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक ऐसे न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी खुली अदालत में निर्णय नहीं दिया। जब भी किसी बड़े मामले की सुनवाई हो रही होती थी, तो एक वकील पूरा समय बैठकर नोट्स ले लिया करता था। वह न्यायाधीश घर पर इसकी तैयारी करने के बाद निर्णय सुनाते थे। उन्होंने खुली अदालत में एक भी फैसला नहीं सुनाया। यह कॉलेजियम पद्धति का एक उत्पाद है।

महोदय, मैं पहले भी जानना चाहता था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति क्या थी। क्या यह वरिष्ठता पर आधारित है? क्या यह योग्यता पर आधारित है? क्या यह कोटा के आधार पर है? यह क्या है, मैं कभी भी समझ नहीं पाया। उनकी नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यह मैं कभी नहीं समझा। ... (व्यवधान) मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है; मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। यदि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्ष 2001 न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाता है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्ष 1996 न्यायाधीश को प्रतिस्थापित क्यों किया जा रहा है? आधार क्या है? क्या यह अखिल-भारतीय वरिष्ठता है? क्या यह अखिल-भारतीय योग्यता है? एक उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय में चार या पांच न्यायाधीश क्यों होंगे जबकि एक अन्य उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय में एक भी न्यायाधीश नहीं होगा? यह इस पर निर्भर करता है कि सी.जे.आई. कौन है। यदि मैं सी.जे.आई. हूँ, तो मैं अपने राज्य से न्यायाधीशों को लाऊंगा; यदि आप सी.जे.आई. हैं, तो आप अपने राज्य से न्यायाधीशों को लाएंगे। यह वह विचार और संकल्पना नहीं है जिसका सपना भारत के संविधान ने कभी भी देखा हो।

अदालतें हर दिन नियुक्तियों की आलोचना करती हैं और हर दिन नियुक्तियों को रद्द करती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए एक गैर-पारदर्शी पद्धति क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी एक न्यायाधीश या वकील जो सबसे जूनियर होता है - शायद सक्षम, शायद ईमानदार, शायद शिक्षित -

पहले नियुक्त किया जाता है और अन्य वरिष्ठों को नियुक्ति नहीं दी जाती? वे वरिष्ठ उस न्यायाधीश की नियुक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। यह हमारे देश में व्यावहारिक स्थिति है। श्री मोइली जी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। वह पूछ रहे थे कि इन लोगों को क्यों नियुक्त किया जाता है। कोई पारदर्शी पद्धति नहीं है। यदि मैं वरिष्ठ न्यायाधीशों को जानता हूँ और यदि मेरे साथ मुख्य न्यायमूर्ति और वरिष्ठ न्यायाधीशों का आशीर्वाद हो, तो मेरे नाम की सिफारिश की जाएगी। यदि किसी को ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलते हैं, लेकिन वह एक अच्छा वकील है, तो उसके नाम की अनुशंसा नहीं की जाएगी। आदमी को दौड़-भाग करनी पड़ती है और न्यायाधीशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ते हैं; तभी उसके नाम की सिफारिश की जाती है। इस पद्धति को बदलना चाहिए और यह बदलाव लाया गया है।

मैं वास्तव में खुश हूँ। आज का दिन इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से चीजों को इतनी जल्दी से उठाया गया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। माननीय विधि मंत्री जी को यह अत्यंत अति आवश्यक लगा और मुझे भी यही लगा।

मैंने भास्कर भट्टाचार्य के बारे में बात की। माननीय विधि मंत्री जी, क्या आप जानते हैं, कि जब उन्हें हटा दिया गया था तो गुजरात उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई थी? वह हमारे संस्थान से संबंधित थे, लेकिन गुजरात जाने के बाद, एक साल के भीतर, उन्होंने बार से इतना सम्मान अर्जित किया कि गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.बी. शाह जो गुजरात से थे, उन्हें क्यों हटाया गया? क्या कोई इसका कारण बता सकता है? क्या कभी किसी को यह भी पता चला है कि सक्षम न्यायाधीशों को क्यों हटाया गया? किसी को नहीं पता कि किसके मामले पर विचार किया जाएगा; किसी को नहीं पता कि किसके मामले को खारिज कर दिया जाएगा। इसके बारे में कोई नहीं जानता।

मैंने भास्कर भट्टाचार्य के बारे में बात की जिनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। कोई नहीं बता सकता कि उन्हें क्यों हटाया गया। यही कारण है कि मैं यह पूछ रहा हूँ। क्या कोई कोटा है? क्या आपके पास कोलकाता, मुंबई,

दिल्ली और गुजरात आदि के लिए कोई कोटा है? क्या ऐसा कोई कोटा है कि जब किसी न्यायाधीश को हटाया जा रहा हो तो उसी राज्य के किसी अन्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में उसी पद को भरने के लिए नियुक्त किया जा रहा हो? क्या कोई कोटा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को भरने के बारे में आपका क्या विचार है? क्या यह अखिल-भारतीय वरिष्ठता पर आधारित है? क्या यह योग्यता पर आधारित है? यदि योग्यता है, तो आप योग्यता पर कैसे विचार करेंगे? हमें यह समझना होगा।

मैंने अखबार में पढ़ा है कि कॉलेजियम पर हमले को लेकर माननीय सी.जे.आई. बहुत सदमे में थे लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक यहां एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब न्यायाधीशों के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतें होती हैं तो सी.जे.आई. उस अवसर पर क्यों नहीं बोले। जब वकीलों ने कहा कि न्यायाधीश अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो सी.जे.आई. उस अवसर पर क्यों नहीं उठे? सी.जे.आई. न्यायपालिका में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केवल अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नहीं है। यदि वह भारतीय न्यायपालिका के संरक्षक हैं, तो उनका दायित्व यह देखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीश ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। आजकल क्या हो रहा है? न्यायपालिका द्वारा इस संस्था पर हर दिन बिना किसी तुकबंदी अथवा कारण के वार किया जा रहा है। सी.आर.पी.सी. के मुताबिक, अगर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जब कोई मुद्दा ही नहीं होता, और कोई न्यायाधीश किसी न किसी तरह से यह बोलता रहता है कि एम.पी.'ज़ को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, एक एम.पी. की भूमिका क्या होनी चाहिए और सांसद का आचरण कैसा होना चाहिए, तो मुझे आश्चर्य होता है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए; मुझे यह नहीं बताया जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे जो कुछ भी करना है, मुझे संविधान और नियमों के अनुसार करना है; और मुझे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के फरमान के अनुसार नहीं करना।

यह मेरा अनुभव है। बिना किसी तुक या कारण के, उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, यह आजकल इस संस्थान पर वार करने का फैशन बन गया है, जैसे कि हमने राजनीति में आकर या सांसद सदस्य बनकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ब्लैक शीप हर जगह होती हैं; न्यायपालिका में भी कुछ

ब्लैक शीप हैं और राजनीति में भी कुछ ब्लैक शीप हैं; यह न केवल राजनीति में हैं; यह न्यायपालिका में भी हैं; लेकिन इनकी संख्या अलग हो सकती है।

अगर एक संस्था दूसरी संस्था को सम्मान नहीं देती है, तो उस संस्था को भी दूसरी संस्था से सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान परस्पर होना चाहिए; सम्मान दिया जाना चाहिए और लिया जाना चाहिए। यह पारस्परिकता पर आधारित है; इसका विनिमय करना ही होगा।

जहां तक किसी कानून को बनाने का सवाल है, सर्वोच्चता और प्रमुखता संसद के पास है, दूसरों के पास नहीं; उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह अब एक फैशन बन गया है। सभी कल्पना के आधार पर चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं यह कह रहा हूं। यदि सत्तारूढ़ दल का एक एम.पी. या एम.एल.ए. कोई अपराध करता है, तो यह धारणा है कि प्रधान मंत्री उसमें शामिल है या मुख्यमंत्री उसमें शामिल है। सब कल्पना है। यदि ऐसा है, तो बड़े पैमाने पर लोग यह क्यों नहीं सोचेंगे कि यदि कोई व्यक्ति जिसने मेरे साथ जूनियर के रूप में काम किया है और अगर मैं उसके सामने बहस करता हूं, तो न्यायाधीश भी मेरी उपस्थिति के कारण प्रभावित होगा। डॉ. थंबीदुरई इस पर बोल रहे थे।

माननीय मंत्री जी, आप एक बहुत ही ऐतिहासिक विधेयक लेकर आए हैं। यदि आप वास्तव में न्यायपालिका के प्रदर्शन में सुधार लाना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में न्यायपालिका को मजबूत करना चाहते हैं, तो कृपया किसी भी ऐसे न्यायाधीश को न रखें जो उस राज्य में उच्च न्यायालय में नियुक्त हों, और फिर स्थानांतरण करें। स्थानांतरण केवल नाम के लिए नहीं होना चाहिए। प्रत्येक 3-4 वर्षों के बाद स्थानांतरण होगा। ... (व्यवधान) आज, कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। कृपया मुझे बोलने दें।

3-4 से अधिक वर्षों से किसी संवेदनशील पद पर कोई नहीं है; तो, उच्च न्यायालय में एक संवेदनशील पद पर, एक न्यायाधीश एक साथ 10-12-14 वर्षों तक क्यों होगा? क्या यह तुलना है? यदि अत्यंत जिम्मेदार आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अधिकारियों का हर तीन साल बाद तबादला किया जा रहा है, यदि वे

संवेदनशील पद पर रहते हैं, तो एक न्यायाधीश का तबादला क्यों नहीं किया जाए? उसका तबादला होना चाहिए।

जनहित याचिका के नाम पर क्या चल रहा है? आज, न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी मामलों को निपटाने के अपने मूल कार्य का निर्वहन नहीं करते हैं। यदि कोई पी.आई.एल. है, तो वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनका नाम समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ में तस्वीरों के साथ दिखाई देगा। मैं माननीय विधि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पी.आई.एल. को विनियमित करने के लिए कानून लाएं। मैं पी.आई.एल. के विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन उन्हें एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि पी.आई.एल. के मामले में, न तो पार्टी का नाम, न वकील का नाम और न ही न्यायाधीश का नाम प्रकाशित किया जाएगा और उनकी कोई फोटो नहीं दी जाएगी; तो आप देखिए कि पी.आई.एल. को कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।

मुझे आश्चर्य होता है जब बिना किसी कारण के इस संस्था पर न्यायपालिका द्वारा वार किया जाता है। माननीय विधि मंत्री जी ने अपने भाषण में एक विचार रखा है। हमारे दल के नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी इच्छा से पूर्णतः अवगत कराया है और उसकी सराहना की है। उन्होंने एक छोटा सा राइडर दिया है। कृपया उस राइडर पर विचार करें। भारत के संविधान के तहत एक राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है, जहां यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 356 को छोड़कर, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करना होगा। आपने यहाँ एक प्रावधान किया है। एक राज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। यह *अधिकारातीत* होगा। आप संविधान से परे जा रहे हैं। आप इस तरह संविधान को स्पर्श नहीं कर सकते। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करना होता है। आपके पास ऐसे मामले आए हैं जहां राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना काम किया है।

एक माननीय सदस्य: एकमात्र अपवाद तेलंगाना है।

श्री कल्याण बनर्जी: मैं तेलंगाना विधेयक के साथ नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर हूँ। कृपया आज मुझे गुमराह करने की कोशिश न करें। मैंने ऐसा कहा है कि आज वास्तव में इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था, जिसे समय बीतने के साथ बदलने की आवश्यकता थी, हमारे दशकों के अनुभव से, बदलने जा रही है। बदलाव का समय आ गया है और आप उसे ला रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है।

भारतीय न्यायपालिका द्वारा मेरी संस्था की हर क्षण आलोचना की जा रही है क्योंकि हम राजनेता हैं, हम संसद के सदस्य हैं या विधानसभाओं के सदस्य हैं। न्यायपालिका की आलोचना करने के मेरे पास सौ कारण हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं पद्धति का सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय न्यायपालिका मजबूत हो। मैं चाहता हूँ कि भारतीय न्यायपालिका अपनी गरिमा बनाए रखें। मैं चाहता हूँ कि भारतीय न्यायपालिका को इस देश के 130 करोड़ लोगों से सम्मान मिले क्योंकि हमारा लोकतंत्र उसी पर आधारित है। इसलिए, मैं आपसे इस विस्तार में जाने का अनुरोध करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। योग्यता क्या है? क्या यह अंतर्राज्यीय वरिष्ठता है, अखिल भारतीय वरिष्ठता या राज्यवार वरिष्ठता, उस पर विचार किया जाएगा? यदि यह राज्यवार वरिष्ठता है, तो पद्धति टूट जाएगी। मुझे अखिल भारतीय वरिष्ठता पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको कहीं न कहीं इसका ध्यान रखना होगा। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है यदि वकीलों की नियुक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में की जाए। यह एक महान उत्पाद है। मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि न्यायमूर्ति नरीमन हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक व्याख्याकारों में से एक हैं। मुझे नहीं पता कि न्यायमूर्ति ललित न्यायाधीश बने हैं या नहीं, लेकिन वह हमारे द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकीलों में से एक हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए कितने पद रख रहे हैं। क्या यह सी.जे.आई. पर निर्भर करता है? एक सी.जे.आई. कहेगा कि छह पद सीधे भरे जा सकते हैं। दूसरा कह सकता है कि बार काउंसिल से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मैं इससे संबंधित दिशानिर्देशों के बारे में जानना चाहता हूँ। आप बार काउंसिल से की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या को निर्दिष्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं, यह 4, 10 या सभी हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि कितने

न्यायाधीश उच्च न्यायालय से आएं या कितने न्यायाधीशों की भर्ती सीधे उच्चतम न्यायालय बार से की जाएगी।

मुझे एक और छोटा सा अनुरोध करना है। आप बिहार राज्य के पटना से हैं। मुझे पता है कि आपको वही दर्द है जो मुझे भी है। दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय वादकारियों के लिए बहुत महंगा मामला बन गया है। उच्चतम न्यायालय के वकीलों की फीस 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक होती है। यह क्या है? कृपया उनके एकाधिकार को खत्म कर दें। कृपया विभिन्न क्षेत्रों में सर्किट बेंच स्थापित करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप दो उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। एक उद्देश्य यह है कि वादकारी को उसके दरवाजे पर ही न्याय दिया जाना चाहिए। आप इस उद्देश्य को हासिल कर लेंगे। आप एक और उद्देश्य हासिल कर लेंगे कि मुकदमा दायर करने वालों के लिए मुकदमा महंगा नहीं होगा। यदि आप वकीलों की फीस को विनियमित करने के लिए कानून लाते हैं तो मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। मैंने इस संबंध में कोई शोध नहीं किया है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता है। अपने राज्य में मुझे जो करना है वह यह है कि मैंने अपनी नेता कुमारी ममता बनर्जी के आशीर्वाद से अपनी राजनीतिक पार्टी और अपने वादियों के लिए मुकदमा लड़ा है। एक वर्ष में, मुझे आपराधिक अदालतों में 2000 मुकदमे करने होते थे। यहां बैठे किसी भी अन्य व्यक्ति से, वादकारियों के दर्द को मैं बेहतर जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब उन्हें न्यायपालिका के पास जाना पड़ता है तब वास्तविक समस्या क्या होती है। इसलिए, आप वकीलों की फीस को विनियमित करने के लिए कानून लाइए।

इसके साथ ही, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। अंत में, मैं कहूंगा कि न्यायपालिका के लिए मेरे दिल में सबसे अधिक सम्मान है। मैं न्यायपालिका के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारी न्यायपालिका का और भी अधिक सम्मान किया जाएगा।

श्री भर्तृहरि महाताब (कटक): माननीय सभापति महोदय, मैं आज यहां एक संविधान (संशोधन) विधेयक से संबंधित और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन पर भी विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझसे पहले जो तत्काल वक्ता थे, वह अपने व्यवसाय और इस देश के विभिन्न न्यायालयों में चल रही गतिविधियों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। मुझसे पहले के अन्य वक्ताओं ने भी न्यायपालिका के कामकाज का उल्लेख किया है। जब मंत्री जी ने विधेयक पेश किया, तो उन्होंने वर्ष 1992-93 के फैसले का और उसके बाद जो कुछ हुआ था उसका भी जिक्र किया। सिक्सटीज में एक फिल्म आयी थी -- 20 साल बाद और यह बिल आ रहा है करीब 21 या 22 साल बाद।

[अनुवाद]

इसके बीच में क्या हुआ हमें लॉजिस्टिक्स को भी समझना चाहिए। वर्ष 1989 में देश ने खंडित जनादेश दिया था। यह वर्ष 2014 की बात है जब देश ने एक स्पष्ट जनादेश दिया। यह वही बदलाव है जो आज हम देख रहे हैं। लोकतंत्र इसी तरह से काम करता है। इस सभा में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब एक स्तंभ कमजोर हो जाता है तो दूसरा स्तंभ मजबूत हो जाता है और संतुलन बना रहता है। आज सोचता हूँ, इस मायने में यह एक ऐतिहासिक दिन है कि विधानमंडल का स्तंभ अपनी ताकत को फिर से प्राप्त कर रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन ला रहा है।

जब मैं विधेयक के पहलुओं पर बात करना चाहूंगा, तो मैं कहना शुरू करूंगा कि न्यायाधीशों, वकीलों और विधायकों के बीच अब यह आम सहमति बन गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम द्वारा श्रेष्ठ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इसे बदलने की आवश्यकता है। इस कदम के पीछे ठोस कारण हैं।

पहला, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का हमारे संविधान में कोई आधार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना होता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 217 द्वारा समान अधिकार दिए जाते हैं। वर्ष 1981 में, जिसे पहले न्यायाधीश के मुकदमे के रूप में जाना जाता है, उच्चतम न्यायालय ने माना कि श्रेष्ठ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार केवल और विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास है, अर्थात्, संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श के अधीन, अनुच्छेद 124 और 217 में संदर्भित, केंद्र सरकार के पास है। जहां तक मुझे याद है, यदि मैं सही हूं, वह न्यायमूर्ति भगवती थे जिन्होंने यह निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हालांकि, वर्ष 1992 में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने का दावा करने वाले दूसरे न्यायाधीश के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने पहले निर्णय को उलट दिया और संवैधानिक प्रावधानों को फिर से लिखा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में प्रधानता भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास होगी जो अपने दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देंगे। इससे फर्क पड़ा। कोई भी अच्छी तरह से समझ सकता है, विधानमंडल, संसद कमजोर थी। अधिदेश खंडित था; तब सरकार अल्पमत सरकार थी और तभी यह झटका लगा था। राष्ट्रपति के पास केवल अपनी शंका व्यक्त करने का सीमित अधिकार होगा। हालांकि, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अपनी सिफारिश दोहराते हैं तो राष्ट्रपति का संदेह कायम नहीं रहेगा।

बाद के एक फैसले में, जिसे तीसरे न्यायाधीश के मुकदमे के रूप में जाना जाता है, उच्चतम न्यायालय ने सी.जे.आई. की प्रधानता को कमजोर कर दिया और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के एक कॉलेजियम और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगियों को नियुक्ति का अधिकार दिया। दूसरे और तीसरे न्यायाधीश के मुकदमे में निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्राप्त करने के नाम पर एक असाधारण टूर डी फोर्स है। न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के प्रावधानों को फिर से लिखा। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के कार्य की प्रक्रिया को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उनके कॉलेजियम द्वारा की गई औपचारिक

अनुमोदन सिफारिशों तक कम कर दिया गया। संविधान में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ न्यायालय के भीतर विचार-विमर्श को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और कॉलेजियम द्वारा नियुक्त करने के मूल अधिकार में परिवर्तित किया गया है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि उस अवधि के दौरान संविधान सभा ने क्या बहस की थी। संवैधानिक उपबंध के अधिनियमन के समय सभा का विचार यह था कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को आखिरी नियुक्त प्राधिकारी नहीं होना चाहिए। इसकी अदालत द्वारा अवहेलना की गई और इस बीच पिछले 20 से 21 वर्षों के दौरान, यह मुद्दा अदालत में फिर कभी नहीं उठाया गया।

पहले उदाहरण में, कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और यह गुप्त है। किसी न्यायाधीश के चयन के बारे में जनता को तब तक जानकारी नहीं होती जब तक उसका नाम कॉलेजियम द्वारा सरकार को नहीं भेजा जाता। दूसरा, कॉलेजियम के सदस्यों के पक्षपात या पूर्वाग्रह के कारण न्यायाधीशों के चयनित या अचयनित होने के कई उदाहरण देखे गए हैं। तीसरा, नियुक्तियों की प्रतिस्पर्धी योग्यता पर चयन की अवहेलना की जाती है और न्यायाधीशों को आम तौर पर उच्च न्यायालयों में उनकी रैंकिंग की वरिष्ठता के आधार पर उनको उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर दिया जाता है। इसलिए, कोई भी कह सकता है कि लोगों से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जैसी कार्यपालिका की पूर्ववर्ती प्रणाली को बहाल किया जाए, लेकिन विरोधाभासी रूप से वर्ष 1950 से 1973 तक हमारे उच्चतम न्यायालय के कुछ सबसे उत्कृष्ट न्यायाधीशों को उस प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान ही इस प्रणाली को नष्ट कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय न्यायाधीश के मामले में न्यायपालिका ने अधिकार का प्रयोग किया और उस समय एक नया शब्द गढ़ा गया, जिसका नाम था, 'प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध न्यायपालिका'।

आज भी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, उचित परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। संविधान संशोधन विधेयक के रूप में हमारे सामने आज जो कुछ भी है, वह संविधान में मूल परिवर्तन है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि, संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 द्वारा शुरू किए गए संयुक्त राज्य के

न्यायिक नियुक्ति आयोग को छोड़कर, ऐसा आयोग कहीं और सफल नहीं हुआ है। हमने इस पर बहस नहीं की, कि अन्य देशों में क्या हुआ। लेकिन केवल यूनाइटेड किंगडम में ही यह बेहतर तरीके से काम कर रहा है।

दक्षिण अफ्रीकी संविधान एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता है लेकिन इसका काम संतोषजनक नहीं है और कई बार, नियुक्तियां सरकार द्वारा प्रभावित हुई हैं।

जब संविधान संशोधन पारित किया जाता है, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीशों और 24 उच्च न्यायालयों में 800 से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। शायद यह डॉ. थंबीदुरई के मन में था, जब वह दो अलग-अलग आयोग होने का उल्लेख कर रहे थे। यह आयोग पर कार्यभार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब माननीय वित्त मंत्री जी आज की चर्चा का उत्तर देंगे, वे हमें उस आयोग पर कार्यभार के प्रकार के बारे में समझाएंगे क्योंकि यह कार्य की धनराशि है, जो न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति के अलावा उस आयोग पर होगी। यह इस आयोग पर अतिरिक्त बोझ होगा।

कोलेजियम प्रणाली को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं में रिकॉर्ड बनाम भारत के संघ (1993) 4 एस.सी.सी. 441 पर रखा गया था। इस निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217(1) की व्याख्या की। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अंतिम राय के अनुरूप न हो।

जे.एस. वर्मा द्वारा लिखित बहुमत के फैसले को पढ़ने पर, कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उन्होंने दो मुख्य कारण बताए हैं। उन दो कारणों को पढ़ना आवश्यक है। पहला, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय की प्रधानता कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी - ये उनके शब्द हैं - और राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर देगी। दूसरा, सी.जे.आई. और अन्य न्यायाधीशों का कॉलेजियम उम्मीदवार के कार्यों और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता को जानने और उसका आकलन करने के लिए सर्वोत्तम रूप से तैयार है।

इस निर्णय के बाद न्यायाधीशों की नियुक्तियां इस कॉलेजियम पद्धति के अनुसार हुई हैं। फिर भी, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले कई लोगों की अनदेखी की गई है और कम योग्यता वाले लोगों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि, कॉलेजियम ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित की है जो केवल रक्षा कर सकती है - हमें इसे स्वीकार करना होगा - और कार्यकारी ज्यादातियों और बहुसंख्यकवादी कानून के खिलाफ लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करना होगा। हालांकि, वर्ष 1993 के बाद, कॉलेजियम प्रणाली यह सुनिश्चित करने में सक्षम रही है कि न्यायाधीश कार्यपालिका से स्वतंत्र हैं, वे यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि सर्वोत्तम और ईमानदार को वर्ष 1993 के बाद उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाए। वर्ष 1993 की नौ-न्यायाधीशों की पीठ के दृष्टिकोण को बदलने के लिए, यह आवश्यक था कि सरकार द्वारा इस प्रकार का संवैधानिक संशोधन पेश किया जाए। साधारण संशोधन संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में संशोधन करना है जिसे आज पेश किया जा रहा है।

हम यह न भूलें कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा: "एक स्वतंत्र न्यायपालिका की शुरुआत इस बात से होती है कि न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है और उनकी क्षमता क्या है।" न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। हमें यह श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हम खुद को अधिक अधिकार दे रहे हैं और इस तरह यह आभास पैदा कर रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को रौंदा जा सकता है। हमारा दल और मैं इस प्रकार के डिजाइन में भागीदार नहीं होंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्तमान व्यवस्था जो सत्ता पक्ष में बैठती है, वह भी इसमें विश्वास नहीं करती है।

इस विधेयक में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के बीच 50-50 के ब्यौरे की परिकल्पना की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री जी, और भारत के प्रधान मंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से नामित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल आयोग के सदस्य होंगे।

बहुत विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और न्यायपालिका की सामूहिक स्वतंत्रता को बनाए रखना, यह

सुनिश्चित करने के लिए कि यह कार्यपालिका पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता को बनाए रखे, आवश्यक है। यही सारांश होना चाहिए। फिर भी, हम यह नहीं भूल सकते कि जब न्यायपालिका इन विषयों पर आवाज़ उठाती है, तो जवाबदेही पर उसकी चुप्पी बहारा करने वाली है।

मैं सरकार और मंत्री जी से चार सवाल पूछना चाहूंगा। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि आप इन सवालों के बारे में भी सोचें। मुझे उम्मीद है कि वह इन चार सवालों का जवाब देंगे। पहला, क्या अब समय नहीं आ गया है कि न्यायाधीशों के चयन में विधायिका को कोई भूमिका दी जाए? आज, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास ही अधिकार हैं। क्या विधानमंडल की कोई भूमिका है या भविष्य में कोई भूमिका होगी? क्योंकि कई लोकतांत्रिक देशों में इसका प्रावधान है, तो क्या ऐसा करने का समय नहीं आया है? दूसरा, क्या मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा? आज सुबह जब मैं अपने घर से बाहर आ रहा था, तो मैंने किसी को बताया कि यह विधेयक है जिस पर आज चर्चा होने वाली है। एक बहुत ही देहाती व्यक्ति ने मुझसे पूछा: क्या मामलों की संख्या कम हो जाएगी? क्या देरी कम होगी? क्या विभिन्न अदालतों में मामलों की संख्या कम हो जाएगी? यह बुनियादी सवाल है क्योंकि जब हम न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं, तो न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तीसरा, क्या भाई-भतीजावाद खत्म हो जाएगा? मुझे इसे और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में, क्या नई प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि सबसे अच्छे और ईमानदार व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाए?

श्री आनंदराव अडसूल (अमरावती): माननीय सभापति, मैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, वर्ष 2014 नामक इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं माननीय विधि मंत्री जी के ध्यान में वह संशोधन लाना चाहूंगा जिसे डॉ. एम. तंबिदुरै द्वारा उपस्थित किए जाने की मांग की गई है, जो मुझे अभी-अभी मिला है। यह वैध जैसा लगता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि विधेयक का शीर्षक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक के बजाय उच्च न्यायालय विधेयक के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति और राज्य न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक वैध

विधेयक है क्योंकि यह विधेयक केवल उच्चतम न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उच्च न्यायालयों पर भी लागू होता है।

फिर, छोटे कारणों के न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, किसी तरह हमें निर्णय मिल रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं।

अपराह 4.00 बजे

न्याय में देरी करना न्याय से इंकार करना है। और इसका कारण यह है कि इसके पीछे पूरी तरह से बेशक नहीं, पर भ्रष्ट न्यायिक मशीनरी है। लंबे अनुभव के बाद हमारा बहुत ही बौद्धिक कानून मंत्रालय यह संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया है और हमें इसे पारित करना है। अनुच्छेद 124 के साथ, नए अनुच्छेद 124 (क), (ख), (ग) को सम्मिलित किया गया है।

इससे पहले, न्यायिक मशीनरी के अंतर्गत एक कॉलेजियम था जिसमें पांच सदस्य थे। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, उक्त राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, स्वयं विधि मंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए दो प्रमुख सदस्य शामिल हैं। इस संरचना में से, यदि कोई दो सदस्य किसी भी नियुक्ति का विरोध करते हैं, तो उक्त नियुक्ति अमान्य होगी। मुझे लगता है, इस नए संशोधन में यह निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक निर्णय है। निश्चित रूप से, यह विधेयक भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगा और भविष्य में, न्यायाधीशों की जो भी नियुक्ति होगी, यह उचित होगा क्योंकि आयोग में विधि मंत्री जी के साथ न्यायपालिका और प्रधान मंत्री भी हैं।

एक अन्य पहलू अधिक पारदर्शिता रखने और भ्रष्टाचार से बचने के बारे में है। हमारे पास अतीत में कई मामलों में ऐसा अनुभव है - मैं यहां किसी भी मामले को उद्धृत नहीं करूंगा। इसलिए यह संशोधन बहुत आवश्यक

है और संविधान में संशोधन के माध्यम से आयोग बहुत आवश्यक है। अतः मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी द्वारा इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का स्वागत करता हूँ। मैं, अपनी ओर से और अपने दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। मेरे नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, श्री के. चंद्रशेखर राव गारू, ने अपनी राय व्यक्त की थी, जब सरकार ने उनकी सरकार की राय के बारे में पूछा था। यह विधेयक इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली का स्थान ले रहा है। मैं इस देश में पिछले दो दशकों से मौजूद कॉलेजियम प्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ।

अपराह्न 4.05 बजे

(डॉ. रत्ना डे (नाग) पीठासीन हुईं)

हालांकि, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, सात आयोगों और संसदीय स्थायी समिति ने भी उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष रूप से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है। इन आयोगों के साथ-साथ स्थायी समिति में भी कई सुझाव दिये गये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को यहां लाने से पहले उन सभी सुझावों पर विचार किया होगा।

महोदय, मैं अपने आप को विधेयक की धाराओं तक ही सीमित रखूंगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक की धारा 12 में कहा गया है कि आयोग, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है। वहीं, विधेयक की धारा 4 में यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर मौजूद रिक्तियों की जानकारी देगी और ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए अपनी सिफारिश देने के लिए कहेगी। इसलिए, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों के बारे में सूचित करने के लिए एक विशिष्ट समय अवधि का उल्लेख किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द

नियम बनाने के लिए आयोग को एक समय सीमा भी देनी चाहिए ताकि हम बिना किसी देरी के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में रिक्तियों को भर सकें।

इसी प्रकार, विधेयक की धारा 13 में यह उल्लेख किया गया है कि आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों को संसद के सामने रखा जाएगा। इस धारा में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे नियम अथवा विनियम संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाएंगे और संसद द्वारा उनसे सहमत न होने की स्थिति में हम उनमें संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि दूसरे विधेयक में, यानी संविधान संशोधन विधेयक में, हम इस आशय का एक नया अनुच्छेद 124सी जोड़ रहे हैं कि संसद, कानून द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। भारत और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और आयोग को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रियाएं, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन का तरीका और ऐसे अन्य नियम निर्धारित करने का अधिकार देते हैं। जो मामले आवश्यक समझे जा सकते हैं। इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार विनियम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम किस प्रकार के विनियमों की उम्मीद कर रहे हैं? इस संसद को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

निःसंदेह, इसका धारा 12 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विनियम फ्रेम करेंगे। लेकिन न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन का तरीका क्या होगा? वर्तमान में, कॉलेजियम प्रणाली में, संबंधित उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय में कॉलेजियम का हिस्सा हैं, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं में से व्यक्तियों को चुनते हैं। लेकिन आगामी नियमों में, अधिवक्ताओं के समुदाय से व्यक्तियों को चुनने का तरीका क्या होगा? इस सभा को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निकट भविष्य में कौन से नियम आने वाले हैं।

श्री वीरप्पा मोइली ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में बात की। मैं सरकार से एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए विधेयक लाने का अनुरोध करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि, अब हमारे पास लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रीय विधि विद्यालय (नेशनल लॉ स्कूल) हैं और मेधावी छात्र इन स्कूलों में आ रहे हैं। नए कानून आ रहे हैं; आर्थिक सुधारों के कारण कारपोरेट कानून आए हैं। मुकदमेबाजी बढ़ गई है। इसलिए, इन विद्यालयों से निकलने वाले सभी मेधावी छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चुना जा रहा है। न्यायिक सेवा के अस्तित्व में न होने से हम कई अच्छे और मेधावी स्नातकों को खो रहे हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि हम जल्द से जल्द अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लेकर आएँ। वर्तमान में, हमारे विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती की जाती है। सभी भारतीय न्यायिक सेवा को कम से कम निचली न्यायपालिका में लाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास राज्यों में आई.ए.एस. और आईपीएस अधिकारी हैं। हालांकि उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किया जा रहा है, लेकिन उन्हें उनके संबंधित राज्यों को आबंटित किया जाता है। यदि भारतीय न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की भर्ती किसी आयोग द्वारा की जाती है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग या कोई अन्य आयोग हो, जो भी सरकार प्रस्ताव करती है, ऐसे न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों को राज्यों को आबंटित किया जा सकता है। उन्हें शुरू में जिला न्यायाधीशों के रूप में भर्ती किया जा सकता है और आने वाले दिनों में, निश्चित रूप से, पदोन्नति के माध्यम से, वे उच्च न्यायालयों में जाएंगे जैसा कि अब भी है। निचली न्यायपालिका के लोगों को संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में कुछ कोटा दिया जाता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस अधिनियम को जल्द से जल्द लाने का अनुरोध करूंगा।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): धन्यवाद, सभापति महोदया, जैसा कि मेरे कुछ सहयोगियों ने पहले ही कहा है - हमारे माननीय मंत्री जी गर्व कर सकते हैं - यह इस संसद के ऐतिहासिक दिनों में से एक हो सकता है। मुझे डर है कि अब जब इस सभा में संविधान में संशोधन किया जा रहा है और यह विधेयक पारित हो जाता है तो हमारे कुछ 'माई लॉर्ड्स' और 'योर ऑनर' सभा में चर्चा से खुश नहीं होंगे।

मैं माननीय मंत्री जी की मंशा का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वह बहुत वरिष्ठ और विख्यात वकील हैं। मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, भले ही मैं भी उसी पेशे में हूँ। मैं न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर के राज्य से हूँ और मैं कॉमरेड ए.के. गोपालन के दल से हूँ। हमारा संविधान 'हम, भारत के लोग' शब्दों से शुरू होता है। लेकिन, हमारी न्यायपालिका की 'कैसिनो न्यायपालिका' के रूप में आलोचना की गई है। न्यायपालिका के गलियारों में, मैंने लोगों से, बार के लोगों से, मेरे सहयोगियों से, मेरे भाइयों और बहनों से टिप्पणियाँ सुनी हैं। मैं अकेले इस सभा के एम.पी. 'ज़ के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यह हमारे देश का और हमारे संविधान का आह्वान है कि इस विधेयक को पारित करना है। लेकिन, इसके साथ ही, मैं मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहूँगा और महोदया, आपकी अनुमति से, आपके माध्यम से, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा।

मैं सहमत हूँ कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को पदेन सभापति होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सुझाव है जिस पर माननीय मंत्री जी विचार कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक को उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा नामित किया जाना चाहिए और न्यायिक पक्ष का दूसरा व्यक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा नामित उच्च न्यायालयों में से एक का मुख्य न्यायमूर्ति हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे नहीं हैं। इसका एक अलग अस्तित्व है। दोनों को ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो, एक तरफ, उच्चतम न्यायालय को इसका उचित महत्व दिया जाना चाहिए और दूसरी तरफ उच्च न्यायालयों को भी उनका उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि हम एक महासंघ हैं। हमारा संविधान कहता है कि हम एक संघीय राज्य हैं।

जबकि हमारे माननीय मंत्री जी भी एक पदेन सदस्य हैं, मैं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी और लोक सभा में मुख्य विपक्षी दल के नेता वाले कॉलेजियम द्वारा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। हम ये प्रस्ताव क्यों नहीं रख सकते कि इन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति न्यायविद होना चाहिए? संविधान में भी, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, न्यायविदों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह दुर्लभतम है कि यहां न्यायविदों पर विचार नहीं किया

जाता। हम, कानून के छात्र के रूप में, न्यायविदों की पाठ्यपुस्तकों, शोध पत्रों और अन्य लेखन का अध्ययन करते थे। ऐसा करके हममें से कुछ विधायक बन गए हैं और हमारे कुछ पुराने मित्र बार या बेंच में चले गए।

मेरा अन्य सुझाव यह है कि बार काउंसिल से एक नामित व्यक्ति होना चाहिए। प्रक्रिया में हमारे अधिवक्ताओं और प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का भी हाथ होना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। हम इस विषय पर भी गौर क्यों नहीं कर सकते? हमारी न्यायपालिका को लोगों और प्रणाली दोनों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसलिए सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और योग्यता बहुत आवश्यक हैं।

इस सभा को एक अन्य पहलू पर भी गौर करना होगा। जब हम योग्यता की बात करते हैं, तो हम सभी महिलाओं के बारे में बोलते हैं। इस सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा हुई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि उनमें कोई योग्यता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी नहीं है? महिला अधिवक्ताओं का क्या होगा; उन्हें न्यायपालिका में ज़रा भी पदोन्नत क्यों नहीं किया जाता?

अल्पसंख्यकों के बारे में क्या? न केवल एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी., बल्कि अल्पसंख्यकों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। विविधता के इस राष्ट्र में हम इस पहलू पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? आदरणीय पासवान जी भी यहां हैं। उन्हें इस विषय को उठाना चाहिए। हम योग्यता की बात करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि योग्यता के लिए मानदंड क्या हैं। मुझे अभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में पासवान जी द्वारा दिया गया भाषण याद है जिसमें उन्होंने कहा था, 'यह पासवानों का युग है।' पासवान जी, आप मेरे यहां आए और ऐसे ही बोले। मुझे अभी भी वो शब्द याद हैं। वर्तमान में हमारी न्यायपालिका में क्या हो रहा है? हर कोई कह रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका में भ्रष्टाचार है। हम एकमात्र ऐसी जनता हैं जो अपने गंदे कपड़ों को सार्वजनिक रूप से धोते हैं। मैं आपका विरोध कर सकता हूँ और आप मेरा विरोध कर सकते हैं। मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ और आप मेरी आलोचना कर सकते हैं और हम एक-दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। सभी को यह पता है। हमारे मीडिया के लोग यहां कभी-कभी दोपहर से पहले मौजूद रहेंगे और दोपहर के बाद नहीं। चौथी संपदा के रूप में, वे कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि

न्यायपालिका में किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए गए हैं, क्या हम कह सकते हैं कि वे बेदाग हैं?

माननीय मंत्री जी, मुझे आशा है कि आपको वह दिन याद होगा जब राज्य सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि राज्य सभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, क्या हम कह सकते हैं कि अन्य न्यायाधीश सही हैं? हमारी न्यायपालिका को जीवन और मृत्यु के अधिकार हैं। हमारे पास वह अधिकार नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे पास जीवन प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है। मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यह सब उन पर निर्भर करता है। अधिवक्ताओं के रूप में, हम उन्हें "माई लॉर्ड" कहकर संबोधित करते हैं और हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि आप उनकी आलोचना करते हैं तो आपको न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ता है और मामला शुरू हो जाता है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम को निरसित किया जाना चाहिए। यह आपको मेरा विनम्र सुझाव है। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी को आलोचना के स्तर से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें आलोचना करने का भी अधिकार है।

सभापति महोदया, हमें अपने संविधान पर गर्व है। उच्चतम न्यायालय के स्थान के संबंध में अनुच्छेद 130 में लिखा है: "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियुक्त करें।" इसमें भी संशोधन किया जाना है। आयोग को इस तर्क पर गौर करना चाहिए जिसका अब हम गठन करने जा रहे हैं।

न्यायपालिका में विविधीकरण नहीं होता है और न ही विकेंद्रीकरण है। हम केंद्र से राज्यों और ग्राम पंचायतों के स्तर तक राज्यों को अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं।

महोदया, मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। कृपया मुझे एक और मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें।

जब हम अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो न्यायपालिका में भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए।

अंतिम, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आयोग की भूमिका केवल संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार बोर्ड तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह आयोग एक सांविधिक निकाय है, और इसके पास अपना तंत्र और अपने अधिकारी होने चाहिए। साथ ही, बहुत सारे न्यायाधिकरण हैं, और उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। कई न्यायाधीश जब सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि वे सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी बिल्कुल थके नहीं हैं, और वे कुछ अच्छे अवसरों की तलाश में हैं।

इस आयोग के पास क्षेत्राधिकार और अधिकार होने चाहिए जिनका प्रयोग वह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय पर करने जा रहा है। इसका न्यायाधिकरणों पर भी अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। जब तक न्यायाधिकरणों को इस आयोग के दायरे में नहीं लाया जाता, वे न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, उनकी अपनी चलती होगी, और वे अधिकरण भ्रष्टाचार के अवसर बन सकते हैं, और भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होगा।

हम एक बेदाग न्यायपालिका, सत्यनिष्ठा वाली न्यायपालिका, एक ऐसी न्यायपालिका चाहते हैं जिस पर हमें गर्व हो।

हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। क्या हम इसका गर्व करेंगे? इसलिए, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालयों, मुफस्सिल न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीशों के बहुत सारे रिक्त पद हैं। इनमें सैकड़ों पद खाली हैं। यहां युवा भी हैं जो मेधावी हैं। हम इन सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को फिर से तदर्थ आधार पर क्यों नियुक्त करना चाहिए? वहां कई युवा और गुण-संपन्न लोग हैं, आप उन्हें नियुक्त करें। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूं कि यहां युवा और मेधावी लोग हैं, और उन्हें सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमें इस बात की खुशी है कि संविधान की धाराएं, चाहे 124(2) हो, 127(ए) हो, 128 हो, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति है, एड-हॉक जजों की नियुक्ति है, रिटायर्ड जजों की नियुक्ति है, धारा 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है, धारा 222 में हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, 224 में जजों की एड-हॉक नियुक्ति है, 224(ए) में हाईकोर्ट में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति है और 231 में दो या तीन से अधिक जजों के लिए कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना का मुद्दा है। इसमें संशोधन लाने की बात हो रही है। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, हमारे सभी साथियों ने कहा है कि यह प्रयास आज से नहीं हो रहा है, यह प्रयास काफी समय से हो रहा है। हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का महत्व है और संसद को सर्वोपरि माना गया है। आप देखें कि इसी से संसद की सर्वोपरिता है कि संविधान की धारा 72 के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा भी दे देता है तो राष्ट्रपति को यह आधिकार है कि उसे क्षमा दान करे। इसका मतलब है कि संविधान में संसद को सर्वोपरि रखा गया है। माननीय राष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा होता है। वर्ष 1993 के पहले न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका को थोड़ा बहुत आधिकार था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, "उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

[हिन्दी]

मतलब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह लेकर एप्वाइंट करेगा, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। यह वर्ष 1993 से शुरू हुआ और वर्ष 1993 के बाद वर्ष 1998 में मुहर लगा दी गयी। वर्ष 1993 के पहले कोलेजियम नहीं था, यह कोलेजियम शब्द वर्ष 1993 के बाद आया। मैं सर्वप्रथम यह कहना

चाहूँगा, मैं पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और खड़गे साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था और कांग्रेस के सदस्य उस कमेटी के चेयरमैन थे। सब लोगों की इस पर एक राय थी, आप भी इस बिल को लाना चाहते थे, दिसम्बर में आपने कैबिनेट में पास भी कर दिया था। इसके पहले भी 4-5 बार प्रयास हुए, लेकिन जब-जब प्रयास हुए, तब-तब चुनाव आ गए और नतीजा यह हुआ कि यह संविधान संशोधन नहीं हो पाया। यह कोई पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। मैं सब सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसमें सारा सदन, कुछ एकाध बात को छोड़कर कि इसमें हमारा अमेंडमेंट कर दीजिए, स्टेट में अलग से एक स्टेट कमीशन भी बने, अदरवाइज सारे के सारे लोग, सभी पक्ष के संसद सदस्य इसके साथ में हैं।

मुझे खुशी है कि किसी भी माननीय सदस्य ने, जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उसके प्रति बॉयस्ड ओपिनियन नहीं दिखाया है। सब लोगों ने यह माना है कि जैसे हमारी पार्लियामेंट सर्वोपरि है, अपने क्षेत्र में न्यायपालिका भी सर्वोपरि है। यह जो कमीशन है, यह जज के जजमेंट में इंटरफेयर करने का नहीं है। यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो यह तय करेगी कि जजेज का एप्वाइंटमेंट कैसे हो और कैसे उनका एप्वाइंटमेंट हो, जिसमें एक पारदर्शिता हो? अभी जो आरोप लगाया जा रहा है और सबसे ज्यादा आरोप तो भूतपूर्व जस्टिस लगा रहे हैं, तो उसे सुधारने की दिशा में यह एक कदम है जिससे न्यायपालिका की गरिमा कायम रहे। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, यू.के. डेवलप्ड कंट्री है, आस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कहीं भी एक तरफा पॉवर जज को नियुक्ति करने की नहीं दी है। जज, जज को नियुक्त करे, यह अधिकार दुनिया में कहीं नहीं है। सिर्फ भारत में यह अधिकार है कि जज की नियुक्ति जज करेगा।

अभी यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की चर्चा हो रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 24 मई, 1949 को संविधान सभा में कहा था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी एक आम आदमी की तरह है। उनके भी अपने सेंटीमेंट्स हैं, उनके भी होप प्रोजेड्युस हो सकते हैं, इसलिए पूरा अधिकार मुख्य न्यायाधीश को ही क्यों दिया जाए? जबकि हम यह अधिकार पूर्णरूपेण से राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं, हम यह अधिकार पूर्णरूपेण से संसद को नहीं दे रहे हैं तो फिर एक व्यक्ति विशेष को या एक संस्था विशेष को यह अधिकार क्यों? इसलिए उन्होंने

कहा था कि जुडिशियरी अप्वाइंटमेंट में एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यह जो संविधान संशोधन बिल आया है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 6 मेंबर्स हैं। इन 6 मेंबर्स में से जो चीफ जस्टिस ऑफ इन्डिया है, वे उसके चेयरमैन होंगे और दो सीनियर मोस्ट जज मेंबर होंगे। तीन मेंबर्स तो सीधे जुडिशियरी के हो गये। लॉ मिनिस्टर उसके सदस्य होंगे और दो पदेन सदस्य होंगे। दो पदेन सदस्यों का चुनाव चीफ जस्टिस ऑफ इन्डिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ दी अपोजीशन या जो बड़ी पार्टी का नेता होगा, वे मिलकर दो पदेन सदस्यों का चुनाव करेंगे। हम लोग उस स्टैंडिंग कमेटी में थे और स्टैंडिंग कमेटी में हम लोगों ने रखा था कि दो एमिनेंट पर्सन की जगह पर तीन एमिनेंट पर्सन रखे जायें, जिसमें शेड्यूल कॉस्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड, माइनोरिटी या महिला में से एक होना चाहिए। बाद में हम लोगों ने उस पर डिसकशन किया कि यदि हम तीन कर देते हैं और फिर उसमें एक प्रधान मंत्री रहेंगे, उसके बाद विधि मंत्री रहेंगे तो यह इंबैलेन्स हो जाएगा। यदि चार इधर हो गए - एक विधि मंत्री और तीन एमिनेंट पर्सन्स तथा दूसरी तरफ एक चीफ जस्टिस और दो सुप्रीम कोर्ट के जज, इस प्रकार तीन हो गए तो यह बैलैन्स बिगड़ जाता है। यूपीए की तरफ से भी जो बिल आया था तो उन्होंने भी तीन के बदले दो किया था जबकि हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा था कि तीन हो। अब उसके बाद मामला है जो आपने भी कहा और हम लोगों ने भी यही कहा कि तीन में से एक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, महिला या अल्पसंख्यक - इसमें से एक होगा। हमारे सदस्य मोइली साहब ने कहा कि उसमें आपने रोटेशन की बात कही थी, इसमें रोटेशन नहीं है। यह एक मुद्दा है। हो सकता है कि कभी महिला भी हो और माइनॉरिटी भी हो, कभी महिला भी हो और बैकवर्ड क्लास भी हो, कभी शेड्यूलड कास्ट हो, ये कुछ चीजें हैं लेकिन वह बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुख्य मुद्दा एक ही है कि जजेज की नियुक्ति जज स्वयं करें या जजेज की नियुक्ति एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक हो। जो दो एमिनेंट पर्सनैलिटी के चुनाव का सवाल है, उसमें जो तीन हैं, उसमें चीफ जस्टिस रहेंगे, प्रधान मंत्री जी भी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजीशन या अपोजीशन की जो बड़ी पार्टी के हैं, वे भी इसमें रहेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो ट्रांसपेरेन्सी है, वह जजेज के चुनाव में और नियुक्ति में बिल्कुल नहीं है। वह पारदर्शिता इसमें आएगी। हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन आप जजेज की संख्या देखें, उसमें कितने शेड्यूलड कास्ट्स के जज हैं, कितने शेड्यूलड ट्राइब्स के लोग हैं, कितने बैकवर्ड

क्लासेज के लोग आते हैं, कितने माइनोंरिटी के लोग आ जाते हैं। कभी-कभी कह सकते हैं कि एक जस्टिस चीफ जस्टिस बन गए या माइनोंरिटी के बन गए, बैकवर्ड क्लासेज के हुए या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इन सारी की सारी चीजों में हमने इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि कहीं हम लोगों के बीच में आपस में कोई सरकार और विपक्ष का मामला नहीं उठे, कनफ्रंटेशन नहीं हो, विधायिका और न्यायपालिका में कोई कनफ्रंटेशन नहीं हो। अभी मोइली साहब ने एक बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन जन्म भर के कोढ़ को एक बार में कैसे साफ करेंगे! आपने इंडियन ज्यूडीशियल सर्विस की बात कही।

[अनुवाद]

माननीय सभापति जी: पासवान जी, मेरी बात सुनिए। आप और कितना समय लेंगे?

श्री रामविलास पासवान: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

संविधान की धारा 312 में कहा गया है कि "संसद कानून द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का प्रावधान कर सकती है।" 312ए के मुताबिक सीधे कहा गया है कि यह कमीशन मत बनाओ, ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस रखो। ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस का मतलब हुआ कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरैन सर्विस है। उसमें ऑटोमैटिक रिज़र्वेशन हो जाता है। आज कोई नहीं कह सकता है कि आई.ए.एस. और आई.पी.एस. से निकलने वाले शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनोंरिटी या महिला अधिकारी एफिशियैन्ट नहीं हैं। सब एफिशियैन्ट हैं। उसी तरीके से होना तो यह चाहिए था कि कमीशन के बजाय इंडियन ज्यूडीशियल सर्विस होनी चाहिए थी जिसमें सीधी नियुक्ति हो। लेकिन सब लोगों के चूँकि इसमें मतान्तर हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकती हैं, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया है - इंडियन ज्यूडीशियल कमीशन निकाला गया है। मैं समझता हूँ कि यह जन-भावना है, आपकी भी भावना है। मैं देख रहा था कल्याण जी जब बोल रहे थे तो कितनी तालियाँ बजीं। कितनी तालियाँ बजीं, यह पूरे सदन की भावना है, यह सदन सर्वोपरि है, यह ऐतिहासिक दिन है और इस

ऐतिहासिक दिन के अवसर पर मैं विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और लॉ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से आज यह संविधान संशोधन विधेयक सदन में आया है। मैं समझता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक तिथि है, 12 अगस्त है, जो कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और सर्वसम्मति से हम इस संविधान संशोधन विधेयक को पास करने का काम करें। धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदया, मैं सबसे पहले विधि और न्याय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस बिल की आवश्यकता देश बहुत दिनों से महसूस कर रहा था। धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से चर्चा थी कि देश की संसद की सर्वोच्चता, संसद की राय से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह सकता है, इसलिए न्यायपालिका में भी माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति में इस सदन की राय ज़रूरी थी। जहां तक नियुक्तियों का सवाल है, कोलेजियम सिस्टम के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस बात को ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें सभी की राय-मश्विरा ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि आपने उसमें कुछ हद तक सुधार किया है।

महोदया, मेरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। माननीय पासवान जी भी कह रहे थे और मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप जो संशोधन आधिनियम लाए हैं, इसमें कुछ बातें अस्पष्ट हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए प्रान्तों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशगणों में से जो बेहतर है, ईमानदार है, उसको आप चयनित कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 31 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और आठ सौ से ज्यादा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो वहां यह चुनिन्दा छः लोग नियुक्ति कर पाएंगे, इसमें मुझे शंका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में 26 माननीय उच्च न्यायालय हैं, उनमें आठ सौ न्यायाधीश के पद हैं। क्या आप आठ सौ न्यायाधीशों की स्कूटनी कर पाएंगे? इन आठ सौ पदों के लिए आठ सौ से ज्यादा दावेदार भी होंगे, तो क्या उनमें से चयन कर पाएंगे, उनकी स्कूटनी कर पाएंगे, इस बात में मुझे पूरी शंका है?

इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आप राष्ट्रीय चयन आयोग बना रहे हैं, उसी तरह से प्रदेश स्तर पर हर हाई कोर्ट के लिए भी एक चयन आयोग जरूर बना दें, जिससे उन हाई कोर्ट्स में बेहतर से बेहतर न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सके।

महोदया, मंत्री जी जो बिल लाए हैं, इसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्रियों का रोल न के बराबर है। जब देश के प्रधानमंत्री जी और विधि मंत्री जी की राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका है तो प्रदेश स्तर पर नियुक्ति आयोग बना कर मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण करें, वहां के स्थानीय विधि मंत्री जी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाएं, यह हमारा आपको सुझाव है। आपने केवल दो सदस्य नामित करने का प्रावधान किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश मिलकर के केवल दो सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे और नॉमिनेट करने के लिए जो वर्ग आपने तय किए हैं या उस आयोग को बनाने के लिए आपने जो अर्हताएं तय की हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक और महिलाएं हैं। आपने पांच वर्ग तय कर दिए हैं, लेकिन सदस्यों की संख्या केवल दो रखी है। मेरा सुझाव है कि आप दो सदस्यों की संख्या को बढ़ा कर पांच कर दीजिए। पासवान जी कह रहे थे कि इम्बेलेंस हो जाएगा। इम्बेलेंस कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब उनमें चयन होगा तो उसमें देश के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश मौजूद होंगे, जो तीन लोगों का चयन करेंगे। जब तीन लोगों के चयन के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मौजूद होंगे तो इस तरह का कोई इम्बेलेंस नहीं होगा। बहुत से देशों ने बड़ा आयोग बनाया है, जहां एक-एक आयोग में 17-18 तक सदस्य हैं। इंग्लैंड में 18 सदस्य हैं। छः की जगह सात, आठ या नौ हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देश का वह व्यक्ति जो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, विशेष कर न्यायपालिका में। सर्वोच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोग हैं ही नहीं।

अगर उच्च न्यायालयों की बात करें तो माननीय मंत्री जी, आज आप सर्वे करेंगे तो मैं कहता हूं कि इन वर्गों के पांच फीसदी से ज्यादा लोग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में मौजूद नहीं हैं। देश का जो बड़ा वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है, अगर पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं सब को

इसमें मिला देंगे तो ये शायद 80-85 फीसदी लोग होंगे, ये लोग भी देश की न्यायपालिका में अपनी भागीदारी चाहते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि शायद आप इस में सदस्यों की संख्या बढ़ा दीजिए लेकिन सभी वर्गों को इसमें समान रूप से प्रतिनिधित्व देने का काम करें। माननीय मंत्री जी, यह मेरा आपको सुझाव है। प्रदेश सरकारों के मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों की भी भूमिका को बढ़ाएं। यह भी मेरा आप से निवेदन है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापती महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यह एक ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल है। सर्वोच्चता और स्वतंत्रता दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिस विधेयक को आपने लाने का काम किया है, और यदि आप मजबूत लोकतंत्र को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं तो इससे इस देश की सभी संस्थाओं का सम्मान खुद-ब-खुद बढ़ेगा। हिन्दुस्तान के ऋषि-मुनियों के काल से लेकर आज तक इस देश की सर्वश्रेष्ठता दूसरों का सम्मान करने की रही है। मंत्री जी, आपने लगातार दूसरों का सम्मान करने की बात तो की है, पर क्या अपना सम्मान खो कर अमेरिका का सम्मान किया जा सकता है? मैं बार-बार कहता हूं कि दूसरों का सम्मान करना हमारे देश की संस्कृति रही है, यह हमारे देश की श्रेष्ठता है। लेकिन अपने आस्तित्व और सम्मान को समाप्त कर दूसरों के सम्मान की बात हमेशा करते रहना अच्छा नहीं है। जब इस देश की सर्वोच्चता की बात आती है तो मुझे सोमनाथ दादा का चेहरा नज़र आने लगता है। सोमनाथ दादा ने इस कुर्सी पर बैठ कर इस सर्वोच्चता को हिन्दुस्तान में जिस मजबूती से पहचान दिया, वह आज तक किसी माननीय स्पीकर ने नहीं दिया। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में इन्दिरा गांधी जी ने पहचान दी। यदि हम सरदार पटेल और इन्दिरा गांधी की बात लाएंगे तो उन्होंने इस सदन की सर्वोच्चता को हिन्दुस्तान में लाया।...(व्यवधान) आप की सरकार ने इस सदन की गरिमा, सर्वोच्चता और माननीय न्यायालय के सम्मान को ध्यान में रख कर यह जो न्यायिक गठन का प्रयास किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।

महोदया, मैं बस दो-तीन सुझाव दूंगा क्योंकि समय कम है। मंत्री जी, निचले कोर्ट में क्या होता है, कोई चीज़ आप से छिपी नहीं है। वहां भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, वह कोई चीज़ आप से छिपी नहीं है। आपने जिस

आयोग का गठन किया है, उसमें मेरा आग्रह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह इस आयोग की प्राथमिकता न हो। यह आयोग हो, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह न हो। मेरा इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि हाई कोर्ट के जो विद्वान, व्यावहारिक और अनुभवी लोग हैं, ऐसे गंभीर, अनुभवी और विद्वान व्यक्तियों को लेना चाहिए। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आएंगे तो फिर इस देश का सम्मान और भला नहीं होगा। इस देश की सर्वोच्च संस्था का सुप्रीम उस व्यक्ति को होना चाहिए जो सर्वगुण सम्पन्न हो। इसके लिए ऐसे कमीशन की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा, इसमें ट्रांसपैरेंसी का होना बहुत आवश्यक है। बिना ट्रांसपैरेंसी के किसी भी आयोग का कोई मतलब नहीं है। तीसरा, इसमें बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के, कुछ निष्पक्ष विद्वान और सामाजिक लोग हों। सामाजिक लोग और निष्पक्ष विद्वान की नियुक्ति को कौन तय करेंगे?

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि जज की नियुक्ति की प्रक्रिया के छः महीने पहले आप इसको लोगों के बीच लाएं ताकि लोग उन जजों के बारे में जानें और कोई लॉयर हो, अपनी राय दे सके। छः महीने के अंदर वह अपनी राय दे, तीन महीने के अंदर आप सभी की राय सुन कर यदि आप किसी बात को लाएंगे तो ट्रांसपैरेंसी बनी रहेगी। आप जिस जज की नियुक्ति करेंगे, उस पर इस देश में कोई चैलेंज नहीं होगा, अंगुली नहीं उठेगी। तीसरा मेरा कहना यह है कि शिकायत का भी मौका देना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम तीन महीना शिकायत का मौका देना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि वेबसाइट पर इन बातों को लाएं, जब आप नियुक्ति करें, जो शिकायत आए,...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: सभापति महोदया, मैं कंकलुड कर रहा हूँ। जब आप शिकायत का निपटारा करेंगे तो वह निश्चित रूप से वेब साइट पर आए ताकि इसको दुनिया देखे कि आपकी ट्रांसपिरेंसी कितना सुंदर है। आप जो नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का आपकी निष्पक्षता पर कोई चैलेंज न करें, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उस पर अंगुली न उठे...(व्यवधान) मैं नरेन्द्र मोदी जी और आपको बधाई देता हूँ कि आप निश्चित रूप से इस देश की सर्वोच्चता के लिए यह बिल लाए हैं। ...(व्यवधान) एससी, एसटी माइनोरिटी की महिला भी इसमें होनी चाहिए, इसमें महिला की अनिवार्यता आवश्यक है।...(व्यवधान) क्या कारण है कि एक ही वर्ग के जज आज तक आते रहे?...(व्यवधान) दलित आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के जज नहीं आए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: सभापति महोदया, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ। क्या कारण है कि इसमें आज तक हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आदिवासी और दलित महिला नहीं आईं? ...(व्यवधान) एससी, एसटी के लोग नहीं आए और आए तो बहुत कम आए।...(व्यवधान) क्या कारण है कि एक ही वर्ग के लोग आए?...(व्यवधान)

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि निश्चित रूप से जब आप कमेटी बनाएंगे तो उसमें एससी, एसटी, माइनोरिटी की महिला जरूर हो, इसका ध्यान रखा जाए।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदया, इस ऐतिहासिक मौके पर जो महत्वपूर्ण बिल ज्यूडिशियरी रिफॉर्म के लिए आया है, वह निश्चित तौर से इस बात का द्योतक है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र की बुनियादें हिल गई थीं, उसी के कारण न्यायपालिका भी प्रभावित हुई है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा मेंडेट मिला है। देश आज परिवर्तन चाहता है। हम माननीय विधि मंत्री जी को, जो विद्वान न्यायविद भी हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि आज इस ऐतिहासिक बिल से एक नये परिवर्तन

की ओर देश बढ़ रहा है। जनता की आकांक्षा के अनुरूप एक नया ऐतिहासिक दिन आज बना है और हम इसके लिए सरकार को हृदय से बधाई देते हैं।

सभापति महोदया, इस बिल को इंट्रोड्यूस करते समय जो स्ट्रक्चरल फॉर्म पर इन्होंने एक संक्षिप्त परिचर्चा की और पूर्व कानून मंत्री, श्री मोइली साहब ने भी बहुत बेबाक तरीके से इस बिल के प्रभाव का इस दिशा में उन्होंने जो कदम उठाया, देश के अंदर विभिन्न संगठनों एवं एजेंसियों से सम्पर्क करके जिस अनुभव को कंट्रीब्यूट किया, निश्चित तौर से वह भी स्वागत योग्य है। उन्होंने जनता की आवाज को समझने की कोशिश की।

महोदया, हम दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। हमारे यहां पहले से भी यह मान्यता रही है कि पंच परमेश्वर होता है। प्रेमचन्द की कहानियों को यदि हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि गांव में बड़े लोग कानूनविद नहीं होते थे, लेकिन जब वे पंच की कुर्सी पर होते थे तो अपने जीवन की कीमत पर भी न्याय दिया करते थे। निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाक्रम हुआ है, लिटिगेंट लोग भी इस बात को जानते हैं कि किस कोर्ट में, कहां, कौन सी घटना हुयी है? माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी ने जिन सवालों को खड़ा किया है, निश्चित तौर से यह बात जनता के मन और ज्ञान में है। एक बड़े संकल्प के साथ सरकार जो ये दोनों बिल लायी है, हम पार्टी की तरफ से पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): महोदया, आपने मुझे संविधान (एक सौ इक्कीसवें) संशोधन विधेयक और सरकार द्वारा पुरःस्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक के बारे में विचार-विमर्श में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, मैं इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आर.एम. लोढ़ा के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करते हुए आरंभ करना चाहती हूं, जो आज एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित हुआ है जिसमें वह पहले की त्रुटिपूर्ण कॉलेजियम प्रणाली के बचाव में मजबूती से सामने आए थे। मुझे ऐसा प्रतीत

होता है कि सी.जे.आई. देश के सर्वोच्च कानून निर्माता संस्थान, यानी संसद को कमजोर बनाने और हतोत्साहित करने का जानबूझकर और सचेत प्रयास कर रहे हैं। सी.जे.आई. से यह समझने और महसूस करने की अपेक्षा की जाती है कि अदालत की भूमिका केवल कानून की व्याख्या करना है, न कि कानून का सृजन करना और बनाना। यह संसद की जिम्मेदारी है। और न्यायपालिका अपनी नियुक्ति के लिए एक भी प्रणाली नहीं बना सकती। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही कर रहे हैं तो यह प्रणाली सही नहीं है। तो, इस दृष्टि से सरकार ने जो कदम उठाया है वह प्रशंसा एवं सराहना के योग्य है। मैं वास्तव में इन दो विधेयकों को पुरःस्थापित करने के लिए एन.डी.ए. सरकार द्वारा किए गए प्रयास अथवा पहल का स्वागत करती हूँ।

महोदया, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि व्यापक भ्रष्टाचार के मद्देनजर समय की मांग है जो हमारी न्यायिक प्रणाली को खराब कर रहा है। हमारे यहां योग्यता के अलावा अन्य विचारों पर नियुक्तियों की घटनाएं हुई हैं और राजनीतिक से लेकर वाणिज्यिक, जाति और लिंग पूर्वाग्रहों तक कई आधारों पर कई योग्य और ईमानदार व्यक्तियों की अनदेखी की गई है। साथ ही, कॉलेजियम की पुरानी प्रणाली में रिक्तियों को भरने में देरी हुई है। इसलिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करना महत्वपूर्ण है।

हालांकि, मैं यह कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में सामाजिक विविधता का प्रतिबिंब अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिलाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद वास्तविकता है कि जाति, वर्ग और लिंग आधारित पूर्वाग्रह और पक्षपात हमारी न्यायपालिका में मौजूद हैं और इस समस्या का समाधान आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

मैंने हमारे माननीय विधि मंत्री जी को यह कहते हुए सुना कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का हिस्सा बनने जा रहे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक समाज के एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. वर्ग से होगा। हालांकि, मुझे लगता है कि यदि आप सिर्फ एक सदस्य को चुनते हैं, तो यह या तो एक एस.सी. या एस.टी. या ओ.बी.सी. या

एक महिला अथवा अल्पसंख्यक होना चाहिए। इसलिए, एक सदस्य पर्याप्त नहीं है। सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए तथा आकार बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं। हमारे पास इंग्लैंड का न्यायिक आयोग है जिसमें आयोग का आकार बड़ा है। इसलिए, यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है और यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एस.टी. से एक सदस्य हो, हमारे पास एस.सी. से एक सदस्य हो, हमारे पास ओ.बी.सी. से भी एक सदस्य हो, जिसमें इन वर्गों से एक महिला भी शामिल हो। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समग्रता में आयोग बनाएं। इसलिए मैं हमारे माननीय मंत्री जी से इन सुझावों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ। यह राष्ट्र के हित में और समाज के शोषित वर्गों के हित में होगा।

मैं, इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार इसके द्वारा भारत की मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए आयोग का गठन कर रही है, यह स्वागत योग्य है। पिछले वर्षों में कई वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर विवाद हुए हैं, इसके फलस्वरूप आयोग के गठन के लिए पिछली सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी और अंत में मोदी सरकार इस पर कार्यान्वयन करने का कार्य कर रही है। वैसे तो, दशकों से पुराने कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ त्रुटि, अपारदर्शिता और गोपनीयता के कारण कोलेजियम सिस्टम सवालियों के घेरे में आ गया है। अतः इस आयोग के द्वारा आशा है कि हम उससे बाहर निकल पाएंगे।

सरकार से मेरा निवेदन है कि इस समय देश में बहुत आधिक संख्या में जज के पदों की रिक्तियां हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप उच्च न्यायालयों में मुकदमों का दबाव काफी बढ़ गया है। अतः आयोग की प्रक्रिया प्रारंभ

होते ही, जैसा कि उसमें प्रावधान है कि किसी भी रिक्ति के बाद तीस दिनों के अंदर उस पद पर जज की नियुक्ति हो जाएगी, इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम नागरिकों को समय से न्याय मिल जाएगा। आयोग इस पर पूर्णतः सफल रहेगा। मेरा मानना है कि अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्गों, अकलियतों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, आयोग उस पर भी ध्यान देगा। जैसा कि इस बिल में मात्र नियुक्ति एवं स्थानांतरण का ही प्रावधान का अधिकार आयोग के पास होगा। ... (व्यवधान)

(श्री हुक्मदेव नारायण यादव पीठासीन हुए)

अपराह्न 4.57 बजे

अगर, आयोग के पास जजों के खिलाफ शिकायतों से निपटने का भी अधिकार होता तो आयोग की एक अहम् भूमिका होती। पिछले एक-दो दिनों से सरकार की इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कुछ आशंका व्यक्त की है कि न्यायपालिका को बदनाम करने का सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। वे कोलेजियम सिस्टम को अभी भी उचित मानते हैं। क्योंकि, उसके द्वारा न्यायपालिका को उनकी स्वायत्ता मिली हुई है। अगर कोई दूसरी व्यवस्था होती है तो उससे राजनेताओं और अफसरों की दखलअंदाजी बढ़ सकती है। मेरा मानना है कि सरकार का यह दायित्व है कि न्यायपालिका को यह भरोसा दिलाए कि सरकार उसके अधिकार क्षेत्र में कभी भी दखलअंदाजी नहीं देगी और उसको पूर्णरूपेण स्वतंत्रता प्रदान करेगी। क्योंकि न्यायपालिका हमेशा संविधान की संरक्षक रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): महोदय, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विषय पर मेरे दल का विचार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दो दशकों से अधिक

समय से चर्चा हो रही है। इस पर जल्द से जल्द चर्चा करना और अंतिम रूप देना आवश्यक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका और उनकी जवाबदेही पिछले कुछ दशकों से कभी भी संतोषजनक नहीं रही। इससे पहले, कार्यपालिका ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की एक प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एकतरफा कब्जा कर लिया गया था। कार्यपालिका की भूमिका को कुछ हद तक सीमित रखने के अलावा स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। यह साबित होता है कि यह भरोसेमंद नहीं है। हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग आदि के आरोपों के साथ न्यायाधीशों के नैतिक मूल्यों के बारे में अधिक आरोप लगे हैं। एक प्रमुख वकील और पूर्व विधि मंत्री शांति भूषण और उनके बेटे प्रशांत भूषण, जो एक प्रमुख वकील भी हैं, द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की ईमानदारी के बारे में एक चौंकाने वाला आरोप लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू की न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में कार्यपालिका के दबाव संबंधी हालिया टिप्पणी ने बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया है, हालांकि उनका यह आरोप बिना किसी कारण के दस वर्ष बाद आया है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसे बदला जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा की जानी चाहिए। यह योग्यता, निष्ठा तथा सामाजिक एवं लैंगिक न्याय पर आधारित होना चाहिए। हम निम्नलिखित तरीके से आयोग की संरचना का प्रस्ताव रखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को आयोग का सभापति होना चाहिए; दूसरा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति; तीसरा, भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति होने चाहिए; चौथा, भारत के उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश; पांचवां, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री होना चाहिए; छठा, एक न्यायिक सदस्य विपक्ष के नेता या लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए; सातवां, प्रख्यात न्यायविदों को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाना चाहिए। वर्तमान न्यायाधीशों और कानून मंत्री जी को छोड़कर, अन्य को राष्ट्रीय न्यायिक

आयोग से सेवानिवृत्ति के बाद कोई अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक पद या राजनीतिक पद लेने से वर्जित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी. एन. जयदेवन: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। पदेन सदस्यों को छोड़कर कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसकी आयु 55 वर्ष न हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, कल लगभग इसी समय, मैं रेलवे (संशोधन) विधेयक का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ा था। आज, मैं इस विधेयक को इस सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करने में माननीय मंत्री जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ।

जिस तरह से विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि उन्होंने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखा है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, सभा में हुई दलीलों या वाद-विवाद को सुनने पर, मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारे देश के लोगों और बाहर के लोगों के बीच बुरा संदेश जा रहा है मानो हम न्यायपालिका के कार्यों और अधिकारों का अतिक्रमण करने जा रहे हैं। यह वास्तविक स्थिति नहीं है। मैं श्री महताब जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि हम अपने स्तर पर न्यायपालिका और विधानमंडल के बीच संतुलन बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

विचारणीय मुख्य प्रश्न हमारे देश में वर्ष 1993 से पहले की स्थिति है। ऐसा देखना बहुत अजीब है कि 'परामर्श' शब्द के संबंध में अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की व्याख्या का अर्थ सहमति है। न्यायपालिका ने

एकतरफा रूप से अन्य एजेंसियों के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। उनके पास अतिरिक्त अधिकार थे, जो उस दौरान इस्तेमाल किए जा रहे थे।

अधिकारों का पृथक्करण भारतीय संविधान की मूल, मुख्य विशेषताओं के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। कार्यपालिका सर्वोच्च है, विधायिका सर्वोच्च है और न्यायपालिका भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। साथ ही, वे सभी स्वतंत्र हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? समय की कमी के कारण मैं इस बात को स्पष्ट रूप से या विस्तार में नहीं बता सकता। कृपया मुझे कुछ मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी जाए।

विधायी कार्यों, कार्यकारी कार्यों के साथ-साथ न्यायिक कार्यों को संविधान में विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। दुर्भाग्य से, यदि आप न्यायिक कार्यों को पढ़ें, तो अधिकांश समय, वे कार्यपालिका और विधानमंडल के कार्यों का अतिक्रमण कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? मैं इस सभा से बड़ी विनम्रतापूर्वक यह अपील करूंगा कि इस संबंध में आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विधानमंडल अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा है। कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है। जब कार्यपालिका और विधानमंडल अप्रभावी और और अक्रियाशील हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से, एक रिक्तता बन जाएगी और उस रिक्तता को न्यायपालिका द्वारा भरा गया था। यही न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। मैं न्यायिक सक्रियता का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मुख्य बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा वह यह है कि संसद और कार्यपालिका को मजबूत किया जाना चाहिए। हमें स्वयं को ठीक करना चाहिए ताकि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ-साथ विधानमंडल के अधिकारों को छीनने में कुछ ना कर सके।

मुझे माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना है। जहां तक आयोग की संरचना का सवाल है, इस संविधान (संशोधन) विधेयक में केवल एक समर्थनकारी प्रावधान है। अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक के अनुसार है। संविधान (संशोधन) विधेयक के तहत पूरे प्राधिकरण को आयोग पर निहित किया जा रहा है। आप विनियमों को देख लें। विधेयक की धारा 12 के तहत, अधिकारों को लगभग आयोग के पास निहित किया जा रहा है। इसलिए, इस पर गौर किया जाना चाहिए।

मेरी अगली बात न्यायपालिका की गुणवत्ता में सुधार करने के तरीके के बारे में है। न्यायपालिका की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारतीय न्यायिक सेवा लाई जानी चाहिए। निचली न्यायपालिका इस विधेयक के दायरे में नहीं आ रही है। इसलिए, न्यायिक सेवा के संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है जिसके माध्यम से भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, महोदय, मैं समाप्त करता हूँ।

श्री असासदुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक पर मुझे कड़ी आपत्ति है। मैं ट्रेजरी बेंच को यह बताना चाहता हूँ कि मुझे इस पर आपत्ति क्यों है।

मुझसे ठीक पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने अधिकारों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लेख किया था। हमने देखा है कि इस सरकार के सत्ता संभालने के बाद, जिन माननीय अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की मांग की गई थी, उनमें से एक को सरकार ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि आई.बी. ने उस अधिवक्ता के खिलाफ एक प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी। इस विधेयक पर मेरी आपत्ति इसी से संबंधित है। आप आई.बी. को कैसे नियंत्रित करते हैं? इस कानून को पारित करके, हम कार्यपालिका को, उस समय की सरकार को आई.बी. रिपोर्ट के नाम पर न्यायपालिका में अपने लोगों को रखने के लिए एक खाली चेक दे रहे हैं। यह हाल ही में हुआ है और इससे अधिकारों के पृथक्करण को चोट पहुंची है। उच्चतम न्यायालय के एक माननीय अधिवक्ता को पदोन्नत नहीं किया गया था। इसने अधिकारों के पृथक्करण को बहुत गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है।

आप आई.बी. को कैसे नियंत्रित करते हैं? आई.बी. इस सम्मानित सदन के प्रति जवाबदेह नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में संविधान (121वां संशोधन) विधेयक के कुछ प्रावधान लाना चाहता हूँ। धारा 124ख उपधारा ग में कहा गया है, '... यह सुनिश्चित करें कि अनुशासित व्यक्ति क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला है। महोदय, मैं आपको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक उद्धृत करना चाहता हूँ। विधेयक की धारा 5,

उपधारा 2 में कहा गया है, 'आयोग क्षमता, योग्यता और किसी अन्य मानदंड के आधार पर...' यहाँ सत्यनिष्ठा का उल्लेख कहाँ है? संविधान संशोधन में सत्यनिष्ठा की बात कही गई है, लेकिन एन.जे.ए.सी. विधेयक में सत्यनिष्ठा की बात नहीं की गई।

जब हम एन.जे.ए.सी. विधेयक पर आते हैं, तो मुझे 'वरिष्ठता' शब्द पर कड़ी आपत्ति है क्योंकि आप इसे बहुत कड़ा बना रहे हैं। हल्के-फुल्के अंदाज में कहा जाए तो जब बात अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की आई तो यह सरकार वरिष्ठता को भूल गई। यह हल्के-फुल्के अंदाज में कहा गया है, इसे गंभीरता से न लें। ... (व्यवधान) मैं इसे हल्के-फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ। इसे अपने दिल पर न लें। मुझे पता है कि यह आपको चोट पहुंचाता है।

हमारा देश संघवाद के सिद्धांत पर चलता है। यह विधेयक लाकर आप संघवाद की संकल्पना को तार-तार कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? क्या आप हमारे देश के संघवाद को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं? और तो और, जब नाम दिए जा रहे हैं तो इन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा सकता? हम आवेदन क्यों नहीं आमंत्रित कर सकते? और, क्या आर.टी.आई. इस जे.ए.सी. पर लागू होगा? न्यायपालिका ने आसानी से कहा है कि उन पर आर.टी.आई. लागू नहीं होती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम स्वीकार किया गया है या खारिज कर दिया गया है? इसलिए इस आयोग को एक पूर्णकालिक आयोग होना चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी के पास बैठकर इन सभी मुद्दों पर निर्णय लेने का समय होगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कब बैठेगा? सचिवालय कहाँ है? इसलिए यहां कोई पारदर्शिता नहीं है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

सर, मुझे केवल आधा मिनट दीजिए, हम रिलीवेंट बात कह रहे हैं। इसके बाद हम अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं।

माननीय सभापति : ठीक है, बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: शॉटरलिस्टेड कैंडिडेट्स का एलान कीजिए...(व्यवधान) बताइए कि कौन हैं वे लोग, उनको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? उसमें ट्रांसपैरेंसी नहीं है, यह गलत होगा। इसीलिए मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि इसे स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।

[अनुवाद]

एडवोकेट जॉयस जॉर्ज (इडुक्की): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। यह पूरी न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि न्यायपालिका ने किस तरह से न्यायिक प्रणाली में नियुक्तियां करने का अधिकार हासिल किया है। मैं उन चीजों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं यहां केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

इन संशोधनों के अनुसार, हमारे पास न्यायाधीशों के चयन के उद्देश्य से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त करने की प्रणाली है। इस प्रयोजन के लिए, हमारे पास संशोधनों में एक तंत्र प्रदान किया गया है। यहाँ, मेरा एक सुझाव है। तीन व्यक्ति हैं- राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और विपक्षी नेता। इन व्यक्तियों का चयन करते समय इन सभी व्यक्तियों के बीच एक सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए। उस अनुभाग में यह स्पष्टता की जानी चाहिए।

न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करने का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं के साथ भी परामर्श करने का प्रावधान है। उच्च न्यायालयों के इन प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को भी चयनित करने के लिए कोई उपबंध होना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए, बार एसोसिएशन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के प्रयोजनार्थ सिफारिशें करने से पहले परामर्श के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय के इन प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं का चयन करने के प्रयोजनार्थ बार एसोसिएशन से परामर्श करने का कुछ प्रावधान होना चाहिए।

यह हमारी ओर से पूरी न्यायपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। मैं ऐसी ही आशा करता हूँ और मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं केरल उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन से हूँ, जिसने पूरे देश को महान न्यायविद वी.आर.कृष्ण अय्यर से परिचित कराया।

[अनुवाद]

श्री आर. राधाकृष्णन (पुडुचेरी): माननीय सभापति महोदय, न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद हो सकता है कि मैं विधेयक के तकनीकी पहलुओं और सूक्ष्म विवरणों पर बात करने के लिए पर्याप्त योग्य ना होऊँ, लेकिन क्या यह विधेयक आवश्यक है, मैं इसके सामान्य पहलुओं में जाना चाहूँगा।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की जिम्मेदारी परम होती है और यह जिम्मेदारी तभी दिखती है जब वे प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो, आखिरकार, निर्वाचित प्रतिनिधि वे लोग हैं जो जनता के लिए उत्तरदायी हैं। लोकतंत्र के अन्य निकाय, कार्यपालिका और न्यायपालिका देश के लोगों के लिए सीधे उत्तरदायी नहीं हैं; और न ही लोग अपने किसी भी कार्य में न्यायपालिका या कार्यपालिका पर प्रश्न उठा सकते हैं। इसलिए, कोई भी शक्ति अथवा नियंत्रण की शक्ति केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों अर्थात्, संसद अर्थात् विधानमंडल में ही निहित होनी चाहिए।

इस व्यापक तर्क में, मुझे लगता है कि विधि मंत्री जी और सरकार द्वारा लाए गए बदलावों का स्वागत है। मेरा सुझाव है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में और विनियमन के किसी भी निकाय में, चाहे वह कोई नियामक निकाय हो, कोई आयोग हो, सी.बी.आई. हो या आई.बी. हो या कुछ भी हो, संसद को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। अंतिम नियंत्रण निश्चित रूप से निर्वाचित सदस्यों के पास होना चाहिए। कोई भी निकाय सरकार का स्वायत्त नहीं हो सकता। इसलिए, मैं सरकार की इस पहल और इस विधेयक को आगे लाने में सरकार का पूरा समर्थन करता हूँ। मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ।

श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर): धन्यवाद, महोदय।

हम एक बहुत ही संवेदनशील मामले पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय विधि मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं जो पूर्ववर्ती यू.पी.ए. सरकार द्वारा लाया गया था। मुझे खुशी है कि एक कानूनी विशेषज्ञ होने के अलावा, आपने कई कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ली है। आपने कुछ नाम पढ़े हैं। इसलिए, हमें विश्वास है कि यह न्यायपालिका की कसौटी पर खरा उतरेगा।

अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने खुले न्यायालय में व्यक्त किया है कि उनके द्वारा इस विधेयक के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है। माननीय सी.जे.आई. की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है - आप इसके बारे में जानते हैं - कि न्यायपालिका को बदनाम करने और देश में न्यायपालिका की छवि को कम करने का प्रयास किया जा रहा है; उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि आम जनता के बीच यह धारणा बन गई है कि - उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन कहा - न्यायपालिका को बदनाम करने और इसकी छवि को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

आप जानते हैं कि हम यहां जो भी विधान बनाते हैं, उसके प्रत्येक हिस्से की न्यायिक छानबीन और जांच की जाएगी। हमें उसे झेलना होगा। इसलिए, हमें संविधान संशोधन विधेयक पर काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूँ। आपने नियुक्त किये जाने वाले दो विख्यात सदस्यों के बारे में उल्लेख किया है जो न्यायाधीशों को चुनेंगे। ये दो व्यक्ति कौन होंगे? जैसा कि डॉ. संपत ने ठीक ही बताया, वे न्यायिक पृष्ठभूमि वाले विख्यात व्यक्ति होने चाहिए। उनकी जरूरत है। ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो एक बेहतर न्यायाधीश हो सकता है? एक व्यक्ति जो न्याय दे सकता है, केवल एक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी वाला व्यक्ति ही बेहतर निर्णय दे सकता है। इसलिए यह इस सरकार की जिम्मेदारी है कि इन दो सदस्यों की नियुक्ति करते समय स्पष्टता बनाए रखी जाए।

अंत में, अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक न्यायाधीश को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है और उसे सेवा से हटा दिया गया है; उससे पहले, उसने सैकड़ों निर्णय दिए हैं। उस भ्रष्ट न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णयों का क्या भविष्य होता है? यदि एक न्यायाधीश, जिसे भ्रष्टाचार के आधार पर हटा दिया गया है, ने सैकड़ों निर्णय दिए हैं, तो निर्णय का भविष्य और मूल्य क्या है? ऐसे निर्णयों में हम क्या औचित्य जोड़ सकते हैं? यही प्रश्न है।

आखिरकार, यह समय की मांग है। इस देश का आम आदमी या इस देश का आम वादकारी चाहता है कि मुकदमे का फैसला योग्यता के आधार पर हो, अन्यथा नहीं।

इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूँ, जिसे हम आगे लेकर आए थे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): आदरणीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इतनी सार्थक चर्चा हुई है। मैंने अपने 14 वर्ष के संसदीय जीवन में इस स्तर की चर्चा बहुत कम देखी है। मैं पूरे सदन को आज हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उसका कारण यह भी है, जैसा मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा था, कि आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज इसे पूरा देश देख रहा है। यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। पूरी बहस का जो स्तर रहा, उसमें वीरप्पा मोइली जी ने बहस की शुरुआत की, उनका भाषण बहुत ही विद्वतापूर्ण था। अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी बातें कहीं। मैंने आज धर्मेन्द्र जी को इतने गंभीर विषय पर बोलते हुए पहली बार सुना, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने राम विलास पासवान जी से आग्रह किया था कि उनको भी बोलना चाहिए, उनका भी सजेशन था। प्रेमचंद्रन जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। मैं राजेश रंजन जी को पप्पू यादव कहता हूँ, उनका भी भाषण मैंने सुना, उसमें भी बहुत गहराई दिखाई पड़ी। मैं श्री कल्याण बनर्जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। कहाँ है वह? मैं उसे नहीं देख सकता। वह किस स्तर तक पहुंच गया? मैं उन्हें और अन्य सभी दोस्तों को भी

बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी शानदार ढंग से बात की। मुझे मालूम था कि अन्य बहुत से लोगों की इस विषय पर बोलने की इच्छा थी, यह विषय भी ऐसा था कि उन्हें इस पर बोलना चाहिए था, लेकिन समय की कमी है। आपको मालूम है कि महामहिम राष्ट्रपति जी छः बजे आने वाले हैं, उस कार्यक्रम में हम सभी को जाना है। मैं भी केवल दस मिनट में अपना उत्तर दूंगा, बाकी बातें मैं कल विस्तार से बोलूंगा, फिर आपको वोट देने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी ओर से अपनी व्यक्तिगत कृतज्ञता भी रखना चाहता हूँ। मेरे बारे में कई माननीय सदस्यों ने अच्छी बातें कही हैं, पता नहीं मैं उसके लिए पात्र हूँ या नहीं। मैं वास्तव में माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे बारे में और जिस तरह से पूरी बात प्रस्तुत की गई, उसके बारे में इतने अच्छे शब्द कहे। मैं बहुत प्रभावित हूँ और सभी माननीय सदस्यों को मेरा गर्मजोशी से अभिवादन जिन्होंने मेरे पक्ष में बात की है।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं कुछ जनरल बातें कहना चाहता हूँ। एक बात मैं इस सम्माननीय सदन को बताना चाहता हूँ और इस सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि माननीय न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का हमारी सरकार का कोई इरादा नहीं है। उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालयों के अधिकारों, क्षेत्राधिकार, प्राधिकरण, संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उनकी शक्तियां सर्वविदित हैं। उनकी स्वतंत्रता सर्वविदित है। उनके अधिकारों और कर्तव्यों को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उनका सम्मान, संस्थागत सत्यनिष्ठा भी सर्वविदित है। इसे शुरू में ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि सदन में जो सर्वानुमति बनी है, अभी किसी ने नाम लिया कि मैंने किसी ज्यूरिस्ट का नाम लिया था, बिल्कुल लिया था। कई लोग हमारी मीटिंग में नहीं आ पाए थे। आज मैं इस सदन में सुभाष कश्यप जी का नाम लेना चाहूंगा। वह लोक सभा के महासचिव रह चुके हैं और देश के बहुत बड़े

संविधान विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी अपनी सहमति दी थी। वह वेंकट चेलैया कमीशन के सदस्य थे। कई लोग रहे हैं। सबने अपनी सहमति दी है कि नहीं, यह बदलाव होना चाहिए।

जब मैं सारे सदन की बात करता हूँ तो मैंने कई नेताओं को पत्र लिखा, सोनिया जी को भी लिखा था। मुझे मालूम था कि वह थोड़ी अस्वस्थ थीं इसलिए पत्र का उत्तर नहीं आया। इसलिए पार्टी का भाव आज स्वयं वीरप्पा मोइली जी ने प्रकट किया है। मैं उनका भी साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप शायद 17 जुलाई के पत्र का जिक्र कर रहे हैं। वह लैटर आपने लिखा था।

श्री रवि शंकर प्रसाद : यह कोई इश्यू नहीं है, मुझे मालूम है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसके बारे में हमने मीटिंग करके यह निर्णय लिया कि यह बिल हमारा है, इसका पूरा समर्थन करना चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यही मैं कह रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसलिए आपको लैटर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। हमने यह स्पष्ट किया और हमारे ओपनिंग बैट्समैन मोइली जी ने सारी बात बता दी।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूँ। आपका भी सम्मान किया और आपकी नेता के निर्देशन पर आपने पार्टी का स्टैंड लिया, इसलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैंने तो सम्मान के लिए पत्र लिखा था। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अगर मैं देश के कानून मंत्री के रूप में देश की 26 पार्टीज के अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा, तो प्रमुख पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को निश्चित रूप से पत्र लिखूंगा। मैंने बड़ी विनम्रता से लिखा है और आपने आज जो स्टैंड लिया है, वह एक अच्छी बात है। मैं उसका भी सम्मान करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

आज मैं केवल प्रारंभिक टिप्पणी कर रहा हूँ क्योंकि आज अपराह्न 5.30 बजे तक हमें का सत्र समापन करना होगा। माननीय राष्ट्रपति आ रहे हैं और हमें उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। जब हम न्यायपालिका की

बात करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि न्यायपालिका के अधिकार और प्राधिकार क्या है। एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं इस माननीय सदन के साथ साझा करना चाहूंगा। किसी ने अवमानना के अधिकार के बारे में बात की। क्या न्यायपालिका के अधिकार केवल अवमानना के अधिकार से ही उत्पन्न होते हैं? क्या न्यायपालिका के अधिकार केवल उसकी निर्णय लिखने की क्षमता से ही आते हैं? हां, उनके प्राधिकार महत्वपूर्ण हैं। हां, अवमानना की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन मुझे सदन में एक बात साझा करने दो। एक न्यायाधीश का वास्तविक प्राधिकार क्या है?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): गुस्से में अंग्रेजी याद आ गई।

श्री रवि शंकर प्रसाद: गुस्से की बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कभी गुस्सा करता ही नहीं, आप तो मुझे जानते हैं। ठीक है, मुलायम सिंह जी आपका निर्देश है तो मैं बाकी भाषण हिन्दी में दे देता हूँ। मैं तो मिलीजुली भाषा में बोल रहा था, क्योंकि दक्षिण भारत से हमारे कई मित्र हैं इसलिए मैं अंग्रेजी भी बोल रहा था। मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगा।

माननीय सभापति जी, मुझे आज एक प्रश्न पूछने दें। मैं चाहूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर यह सभा विचार करें। एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिसने बड़े माफिया नेताओं या बड़े अपराधियों को 20 साल की सजा दी है, कई अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद जब वह अपनी पत्नी के साथ बाजार में घूमता है तो आप क्यों और कैसे उम्मीद करते हैं कि माफिया समर्थक उस पर हमला नहीं करेंगे? क्या आपने इसके बारे में सुना है? नहीं, हमने नहीं सुना है कुछ दुर्लभ मामलों में, हमने ऐसा सुना है। यह न्यायपालिका का नैतिक प्राधिकार है और यह न्यायपालिका की प्रेरक शक्ति है, जो न्यायपालिका के सम्मान को बढ़ाती है। यह नैतिक आधार बहुत जरूरी है जो न्यायपालिका का सम्मान बढ़ाता है। जब मैं यहां खड़ा हूँ तो माननीय सभापति जी, बहुत विनम्रता के साथ ज्यूडिशियरी के उस नैतिक अधिकार का पूरा सम्मान करते हुए कहता हूँ कि अगर यह संसद अपनी परम्पराओं और गरिमा के सम्मान की बात करती है तो इस देश की

न्यायपालिका की गरिमा, संस्थागत नैतिक अधिकारों का भी सम्मान करती है और हम चाहते हैं कि वे बढ़ें, यह हम कहना चाहते हैं। कभी कोई टकराहट का इसमें जरा भी संदेश नहीं है, जो मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में कहा था। यह हर्ष का विषय है, संतोष का विषय है कि सदन के हर क्षेत्र में इस मामले पर सर्वानुमति थी कि इसमें बदलाव होना चाहिए। कुछ लोगों के स्वर अलग थे तो संसद में हरेक को अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है। एक-दो लोगों ने कहा था लेकिन आज मुझे लगा कि सरकार की ओर से हम स्पष्ट कर दें।

एक बात यह भी आई कि आज एक बहुमत की सरकार आई है, इसलिए हिम्मत दिखाई जा रही है। माननीय सभापति जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इस बार जो देश ने मत दिया है वह एक बदलाव का मत है। तीस वर्षों के बाद हमारे दल को बहुमत मिला है, एक दल को बहुमत मिला है। हमें प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को देखकर हृदय से प्रसन्नता होती है कि देश ने यह बदलाव किया है। लेकिन एक बात हम सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहते हैं कि जहां हमें इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय पर आनंद होता है, वहीं हमें अपने दायित्व का भी बोध है और विनम्रता का भी अहसास है, यह हम कहना चाहते हैं। हमारे अंदर जरा भी यह बात नहीं है कि आज अगर हमें इतना भारी बहुमत मिला है, जैसा कि माननीय मेहताब जी ने संकेत दिया कि आज रविशंकर प्रसाद यह बिल इसलिए लेकर आये हैं कि शायद हमारा बहुमत का दल है। यह हमारी प्रामाणिक प्रतिबद्धता है कि जो संविधान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसमें जो संविधान की मर्यादा रही है, जिसमें बदलने का अधिकार संसद का है, उसके अनुरूप ही हमने कार्यवाही की है, जिसका पिछले 20 वर्षों से प्रयास चल रहा है। इसे उसी रूप में देखना चाहिए। हमने अपने घोषणापत्र में भी इसका विस्तार से जिक्र किया है, आप सभी इस बात को जानते हैं और बाकी लोगों ने भी इसका जिक्र किया है। जैसा मैंने कहा कि यह केवल बीजेपी का घोषणापत्र नहीं है, यह सिर्फ एनडीए का नहीं है, पांच प्रयास हुए हैं संविधान को बदलने के और 6 रिपोर्ट्स आई हैं जिनकी चर्चा मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में की है।

आज जब हम यह ऐतिहासिक बिल पास करेंगे तो हम इतिहास बना रहे हैं और उसके तीन कारण हैं। पहला, आज लोक सभा ने देश को दिखाया है कि जब अवसर आता है तो देश की राजनीति एक स्वर में कैसे बोलती है। दूसरा, संसद ने यह भी दिखाया है कि जब लोक सभा और पार्लियामेंट के बारे में चर्चा होती है, जिसके कुछ संकेत कल्याण बाबू ने दिये कि जब अवसर आता है तो संसद की बहस, संसद का स्तर कितनी ऊंचाई पर जाता है। सभापति जी, तीसरा संकेत यह गया है कि यह संसद राजनीति के माध्यम से आती है लेकिन जब विषय देश का आता है तो यह संसद राजनीति के भेदभाव से ऊपर होकर एक स्वर में भी बोलने का संकल्प रखती है। आज हमने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। इस हाउस में मुझे इन आरम्भिक टिप्पणियों को इसलिए कहना जरूरी था कि जो हमने आशा की थी, जो हमारी अपेक्षाएं थीं उनके अनुरूप आज का सदन उपस्थित हुआ है। अब मैं कुछ स्पेसिफिक टिप्पणियों पर आऊंगा, मेरे पास पता नहीं समय कितना है, चूंकि अगले कार्यक्रम में जाना है।

[अनुवाद]

मैं केवल एक मुद्दे को संबोधित करूंगा जो वीरप्पा मोइलीजी ने कहा है। मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा। श्री वीरप्पा मोइली जी ने बताया कि इन दो विख्यात व्यक्तियों का चयन कैसे किया जाएगा। श्री वीरप्पा मोइली जी, आप महान अनुभव वाले व्यक्ति हैं, आप भारत के मुख्यमंत्री और विधि मंत्री रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? भारत के प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता दो सर्वश्रेष्ठ विख्यात व्यक्तियों का चयन नहीं कर सकते हैं! उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। विनियम हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। मुझे विश्वास है, यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधान मंत्री है, यदि कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है, यदि तीसरा व्यक्ति, विपक्ष का नेता है - कौन जानता है कि यह आपके दल की ओर से आप भी हो सकते हैं - अंततः यदि उन्होंने बैठकर विचार विमर्श करने का फैसला किया है, तो उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता पर हमें विश्वास करना चाहिए। नियुक्ति की गुणवत्ता, इस सामूहिक बुद्धिमत्ता को दर्शाएगी। यह मेरी गंभीर चिंताओं में से एक है जिसे मैं आज इस सभा के साथ साझा करना चाहूंगा कि हम सार्वजनिक जीवन में जो हैं, हमने अपनी

क्षमताओं पर अविश्वास करना शुरू कर दिया है। कृपया हमारी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करें। आप, जो राजनीति में हैं, वे सर्वश्रेष्ठ चुनने में काफी सक्षम हैं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैंने व्यक्तित्वों का उल्लेख नहीं किया है। आपको मेरा भाषण अवश्य देखना चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैंने आपका भाषण पढ़ा है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: आपको मेरे भाषण को पूरी तरह से पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं। मैंने कहा है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रणाली महत्वपूर्ण है। इसलिए, आपको एक प्रणाली को छोड़ना होगा ताकि वे उस पर काम कर सकें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय श्री मोइली जी, मैं कल बाद में इसका उत्तर दूंगा। मैंने आपकी बात को सुना है। मैं हाथ से लिखे जाने वाले नोट्स ही लेता हूँ मेरे अधिकारी भी अपनी टिप्पणी देते हैं, लेकिन मैं हाथ से लिखे नोट्स ही लेता हूँ।

मैं दूसरे भाग पर आता हूँ। आपने विख्यात न्यायाधीशों के चयन के मानदंडों के बारे में उल्लेख किया है। यह अनुच्छेद 124 (ग) के तहत ही है - संसद कानून, उपविधि, विनियम आदि - जिसे मैं कल विस्तार से पढ़ूंगा। वह मानदंड आ जाएगा। यह आज आपसे और सभा से मेरा आखिरी निवेदन है कि हमें माननीय प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और विपक्ष के नेता की सहज परिपक्वता, राजनीतिक क्षमता और दूरदर्शिता पर विश्वास करना चाहिए ताकि वे जो सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, उसका चयन कर सकें। इसी बात को मैं सामने लाना चाहता हूँ। इसी के साथ, मैं आज के लिए यहीं समापन करता हूँ। बाकी बात मैं कल करूँगा। मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूँ।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैर्या नायडू) : अभी हाउस को एडजर्न करके राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए कृपया आज हाउस को एडजर्न कीजिए। कल सुबह फिर से डिस्कस करेंगे।

माननीय सभापति: यदि सभा की राय हो तो सदन की कार्यवाही साढ़े पांच बजे समाप्त की जाए।

अनेक माननीय सदस्य : सहमति है।

माननीय सभापति : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 13 अगस्त, 2014 / 22 श्रवण, 1936 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक स्थगित

हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/lc>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के

अन्तर्गत प्रकाशित
